हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 को माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

12.12.2018/1100/av/hk/1

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 67 के तहत एक नोटिस दिया था।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिए। मैं बता रहा हूं।

मुझे नियम 67 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी द्वारा एक नोटिस प्राप्त हुआ है। इस नोटिस का मैटर क्योंकि सबजुडिस है। ...(व्यवधान)... इसलिए जो नोटिस का मैटर मेरे पास लिखित रूप में आया है ...(व्यवधान)..."the motion shall not deal with any matter which is under adjudication by a Court of Law having jurisdiction in any part of India."

(कांग्रेस दल के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे।)

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि नियम 69 के उप नियम 8 के अनुसार प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के सम्बंध में नहीं होगा जो भारत के किसी भाग के क्षेत्राधिकार में रहने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णय के अंतर्गत हो। अतः यह अस्वीकार किया जाता है।

(कांग्रेस दल और **सत्ता**पक्ष; दोनों तरफ से कुछ सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल व नारेबाजी करने लगे।)

12.12.2018/1105/TCV/HK/1

अध्यक्षः कृपया बैठ जाईये। काफी हो गया है। ---(व्यवधान)---

(पक्ष और विपक्ष के सदस्य खड़े होकर नारेबाजी करते रहे)

अध्यक्षः कृपया बैठ जाईये। ---(व्यवधान)--- कृपया बैठ जाईये।

12-12-2018/1110/NS/YK/1

प्लीज़ बैठिए। ...(व्यवधान)... आप बैठिए, प्लीज़। ...(व्यवधान)... आप बैठिए, आप बैठिए तो सही। ...(व्यवधान)... आप बैठिए न, हम एजैंडा बताते हैं। ...(व्यवधान)... आप बैठिए, चलिए बोल लीजिए ...(व्यवधान)...

प्रश्न काल आरम्भ

प्रश्न संख्याः 599

श्री पवन कुमार काजलः (Not interested)

(विपक्ष के सदस्य सदन में नारेबाजी करते रहे।)

अध्यक्षः अब श्री रविन्द्र कुमार (जयसिंहपुर) अपना प्रश्न पूछेंगे।

प्रश्न संख्याः 934

श्री रविन्द्र कुमार (जयसिंहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी से सिर्फ आश्वासन चाहिए कि इस सड़क को कब तक चालू कर दिया जाएगा?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... शिवनगर-गंदड़ वाया सियारा-कुड़ाना सड़क को बरसात के दौरान बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस माननीय सदन में हमने अपने उत्तर में दर्शाया है कि लगभग 1,61,19,768/- रुपये का नुकसान हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि लगभग चार किलोमीटर सड़क प्रभावित हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि लोक निर्माण विभाग, पालमपुर डिवीज़न के अन्तर्गत आने वाली यह सड़क शिवनगर-

गंदड़ वाया सियारा-कुड़ाना सड़क की कुल लम्बाई 9.780 किलोमीटर है। इस सड़क की इंप्रूवमैंट और बाइडनिंग का कार्य वर्ष 2017 में "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" के अंतर्गत गंदड़ से शुरू हुआ था। वर्ष 2018-19 में भारी बरसात और बादल फटने के कारण इस सड़क को व्यापक नुकसान हुआ है। जैसा मैंने पहले बताया कि इस पर लगभग 1,61,19,768 रुपये के नुकसान का हमारा एस्टिमेट बना है। इस सड़क में ज्यादातर सरफेस बह गया है। रिटेनिंग वॉल और ब्रेस्ट वॉल के टूटन के कारण सड़क पर किसी भी वाहन की आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई है। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, साईड ड्रेन और कल्वर्टस आदि भारी बरसात में ध्वस्त हो गए हैं। कई जगहों से सड़क के बह जाने के कारण यहां के लोगों का सम्पर्क पूरी तरह से कट गया है। इस सड़क को 0/0 से 4/0 किलोमीटर कुरू गांव तक अस्थायी तौर पर सड़क को ठीक करके बस सेवा बहाल कर दी गई है। ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस दल के सभी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत करवाना चाहता हूं कि शेष बचे मार्ग को शीघ्र ही बहाल करने के आदेश हमने विभाग को दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी यह कार्य पूर्ण हो जाएगा।

12.12.2018/1115/RKS/YK-1

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी ने जो नियम-67 के अंतर्गत नोटिस दिया था वह पूरी तरह सब-ज्यूडिस है और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में फैसला होने के बाद श्री बालक राम एंड अदर्ज़ सुप्रीम कोर्ट गए और दिनांक 9.02.2016 को हीयरिंग पर केस लगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य जजिज ने इसके ऊपर फैसला सुनाया- upon hearing the Counsel, the Court made the following order, "Delay condoned, leave granted be operation of the order passed by the High Court shall remain stayed, pending further order from this Court." यह सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हिमाचल प्रदेश विधान सभा की नियमावली के अनुसार नियम-69 के उपनियम (8) में यह बात स्पष्ट रूप से इंडिकेट की गई है- "The motion

shall not deal with any matter which is under adjudication by a Court of Law having jurisdiction in any part of India." इस मामले को माननीय सदस्य ने नियम-63 के अंतर्गत दिया था और इसी आधार पर इसको टर्न डाउन करने के बाद इस मामले को माननीय सदस्य ने नियम-67 के अंतर्गत दिया। माननीय सदस्य हिमाचल प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और उन्हें नियमों की सम्पूर्ण जानकारी है। लेकिन इसके बावजूद इस प्रकार का वातावरण तैयार करना यह पूरी तरह से न्याय के विरुद्ध है।
दूसरा, जो आसन का निर्णय है, आसन के निर्णय के बाद नारे लगाना और आसन के विरुद्ध लगाए गए नारे निंदनीय है और उनको एक्सपंज किया जाता है।

अब माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सचमुच में विपक्ष के इस अभद्र व्यवहार से दुःखी हूं और पूरा सदन इनकी बातों से हैरान व परेशान है। नियम-67 के अंतर्गत जो नोटिस दिया गया, उस नोटिस को दो कारणों से स्वीकार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पहला, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस पर माननीय सदन में चर्चा नहीं हो सकती और ऐसा नियमों में भी प्रावधान है।

12.12.2018/1120/बी.एस./ए.जी./-1

जिस तरह से यहां पर माननीय सदस्य ने इस मामले को उठाने की कोशिश की है, माननीय अध्यक्ष महोदय आपने बताया कि इस आसन पर बैठ करके उन्होंने स्वयं उपाध्यक्ष के पद का निर्वहन किया है। इस आसन में बैठ करके हमें नियमों, सदन की गरिमा और व्यवस्थाओं से अवगत करवाते रहे हैं। आज विपक्ष में पहुंच करके अपने आप नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यदि कोई ज्वलंत मुद्दा होता कि उसमें सारी कार्रवाई को रोक करके उस पर चर्चा करनी पड़ती तो भी हम कुछ हद तक विपक्ष की बात से सहमत होते । परंतु इस तरह का कुछ नहीं था, यह मात्र राजनीति करने के लिए हो रहा है। मैं इस विषय की गंभीरता को समझता हूं इसलिए इस बारे में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया कि यह मामला

सुप्रीम कोर्ट में है और मामला न्यायालय में होने के कारण जो नोटिस नियम 67 के तहत दिया गया है उसे एडमिट नहीं किया जा सकता और न ही स्वीकार किया जा सकता है न ही इस पर कोई चर्चा की जा सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बारे में जजमेंट पढ़ कर सुना दी है। हम तो इस माननीय सदन में 11 महीनों से सत्ता में आए हैं, यह तो 09.02.2016 का निर्णय है। उस वक्त वे कहां थे। वर्ष 2016 से वर्ष 2018 तक वे सत्ता में रहे। फिर भी हमारी सरकार लोगों को राहत मिले उस दिशा में कार्य कर रही है। मैं कुछ दिन पहले किन्नौर गया था, किन्नौर में बहुत सारे लोग मुझे मिले और उन्होंने इस बारे में बात कही । मैंने उन्हें कहा कि कानून के दायरे में रह करके जो मदद सरकार कर सकती है वह जरूर की जाएगी। हमने निर्णय किया है कि उसमें आवेदन करने की अवधि जो 31.12.2018 को समाप्त हो रही है, सरकार उसे एक वर्ष और एक्सटेंड कर रही है। उसके साथ-साथ जो उसमें आय के बारे में शर्तें हैं उनमें भी सरकार आय की बढ़ोतरी करेगी। सरकार की मंशा रियायत प्रदान करने की है। लेकिन यहां महज राजनीति हो रही है। जब ये लोग सत्ता में बैठे थे तो क्यों नहीं इस बारे में बात कही गई। उससे पहले इस मामले को क्यों नहीं उठाया गया ? अब यह कह रहे हैं कि वहां पर 11 महीनों से कोई भी

नौतोड़ प्रदान नहीं किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से यह मामला माननीय न्यायालय में गया है तब से वहां पर किसी को नौतोड़ प्रदान नहीं किया गया है। यह बात उन्हें समझनी चाहिए कि जब उनकी सरकार थी तब से ही इसमें रोक लग चुकी थी। विपक्ष के लोग बहुत सारी चीजों को अनावश्यक तरीके से उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ,

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ प्रदेशों में उनकी सरकार सत्ता में आ गई तो इन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे हिमाचल प्रदेश में भी सत्ता में आ गए हैं। जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है हमने वहां उन्हें बधाई दे दी है। विपक्ष को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है। आज विपक्ष का व्यवहार चिंता जनक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जब चर्चा होती है और पीठ द्वारा कोई व्यवस्था का निर्णय दिया जाता है तो उसमें यह नहीं देखा जाता कि यह निर्णय किसके पक्ष और विरूद्ध आया है। वह नियमों के अनुसार ही दिया जाता है। परंतु विपक्ष के लोगों को यह भी स्वीकार नहीं है। इस माननीय सदन में आसन के विरोद्ध में व्यक्तिगत रूप से नाम लेने की परंपरा कभी नहीं रही है। जिस प्रकार से आज विपक्ष के लोगों ने नाम ले करके इस सदन के आसन को अपमानित किया है इसकी मैं घोर निंदा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के नेता यहां पर अखबार ले करके क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे? हम अच्छी तरह से व्यवस्था से वाकिफ हैं। उनको यह नहीं सोचना चाहिए कि जो सत्ता में बैठे हैं वे कुछ नहीं जानते। हमें बता रहे थे कि जब हाऊस चला है तो कैबिनेट की मीटिंग के निर्णय अखबारों में कैसे चले गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें कोई ब्रिफिंग नहीं हुई, कोई प्रैस नोट नहीं गया। अखबार वालों ने अपने अनुमान से समाचार को निकाला है। कहीं से खबर निकल गई होगी या जानकारी भी मिल गई होगी, हम इस बात से भी इनकार नहीं करते ।

12/12/2018/1125/RG/AG/1

हम इस बात से सहमत हैं कि जब सदन चल रहा होता है तो ऐसी परिस्थिति में कैबिनेट के निर्णय की जानकारी लेने का पहला अधिकार सदन का होता है। लेकिन उसके बावजूद आजकल के समय में ख़बरों को बचाना बहुत कठिन काम होता है। अगर ख़बर अख़बार में आ भी गई तो मुझे लगता है कि इस तरह से शोर मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
माननीय अध्यक्ष जी, पिछली सरकार के दौरान तमाम कैबिनेट के निर्णय सदन के अंदर आएं, मैंने भी इस बात को लेकर एक बार नहीं बल्कि कई बार इस मामले को उठाया। कैबिनेट का निर्णय होता था और कैबिनेट के सारे-के-सारे निर्णय सदन में जानकारी मिलने से पहले ही एक-एक करके अख़बारों में आ जाते थे। इसलिए मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इस पर ज्यादा शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष ने सदन में जो व्यवहार किया और आसन के प्रति जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, वैसे तो आपने पहले ही इस पर अपनी व्यवस्था दे दी है कि अगर वे कार्यवारी का हिस्सा बने हैं तो उनको कार्यवाही से निकालना चाहिए। इसके साथ-साथ आने वाले समय में हमारे मित्र यह सुनिश्चित करें कि चर्चा के लिए हम सब लोग स्वतंत्र हैं और किसी भी नियम के तहत उनको चर्चा के लिए नोटिस देने का अधिकार है और उन्होंने नोटिस दिए भी हैं। लेकिन आज की तारीख में चर्चा के लिए जो एजेण्डा लगा है, उसको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। अभी हमारा कल, परसों और उसके बाद भी 15 तारीख तक सत्र है। अभी तक ऐसा नहीं है कि उनके नोटिस हमने अस्वीकृत कर दिए हैं। जितने भी नोटिस आए हैं आपने उन पर चर्चा करने के लिए खुला मन रखा है और आज की तारीख में आज के दिन के लिए जो नोटिस आज की चर्चा के लिए लगे हुए हैं, उसमें वे अपने विचार गंभीरता से रख सकते हैं क्योंकि वे सारे बहुत ही गंभीर मामले हैं। जिस पर सारे सदन को इकट्ठे होकर चर्चा करनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि वे लोग अपने व्यवहार में सुधार करेंगे और सुधार करके इस माननीय सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए अपना योगदान देंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो व्यवहार उन्होंने आज इस माननीय सदन में किया, वह उचित नहीं था। इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है और मैं इसकी निन्दा करता हूं।

अध्यक्ष : एक विषय मैं माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। नेता, प्रतिपक्ष ने बार-बार कहा कि हमारे नोटिस एजेण्डे में नहीं लगाए गए। जितने प्रश्न विपक्ष की तरफ से या जिस भी विधायक के आए हैं, वे हमने सारे-के-सारे प्रश्न सरकार को उत्तर के लिए भेजे और 6 दिन में सारे-के-सारे सौ प्रतिशत प्रश्न लगाए हैं। पिछले कल जो चर्चा सारा दिन हुई, माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी ने उसकी शुरूआत की, उन्हीं का नियम-130 के अन्तर्गत नोटिस था। मैंने विधान सभा का पुराना रिकॉर्ड निकालने का प्रयास किया। 'विधायकों को नाम पट्टिका के ऊपर लिखने की इजाज़त होनी चाहिए', इसको लेकर नियम-130 के अन्तर्गत तीन बार माननीय सदस्यों ने जो भी पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, उनको

अपनी ओर से नोटिसिज़ दिए, परन्तु कभी भी इस सदन में इस विषय के ऊपर किसी भी अध्यक्ष ने चर्चा को अनुमति प्रदान नहीं की। यह पहला अवसर है जब हमने इस चर्चा को अनुमति प्रदान की और इस चर्चा में 24 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और जो उनको उचित लगा, वह बात उन्होंने यहां रखी। अब मैं पूरी तरह सदन के ध्यान में लाने के लिए टोटल नोटिसिज़ जो मेरे पास आज तक आए हैं, उन्हें रख रहा हूं जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। नियम-62 के अन्तर्गत हमारे पास जो नोटिसिज़ आए हैं उसमें श्री होशयार सिंह जी, श्री राकेश जम्वाल जी, कर्नल इन्द्र सिंह जी, श्री जीत राम कटवाल जी, श्री राकेश सिंघा जी और श्री जगत सिंह नेगी जी और श्री राकेश जम्वाल जी। ये सात नोटिस हैं। श्री सिघा जी यहां बैठे हैं और एक नोटिस पिछले कल श्री जगत सिंह नेगी का आया है।

12/12/2018/1130/MS/DC/1

नियम-62 के अंतर्गत मेरे पास ऐसा कोई नोटिस पैंडिंग नहीं है जो प्रतिपक्ष की ओर से और आया हो। श्री राकेश सिंघा जी के नोटिस का जवाब मैंने उनको दिया है और हम उसको लगा रहे हैं। नियम-63 के अंतर्गत एक नोटिस हमारे पास आया है जो हमने सरकार को जवाब के लिए भेजा है। उसमें अभी हमारे पास 3 दिन बचे हैं जोकि श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का नोटिस है। नियम-130 के अंतर्गत श्री जगत सिंह नेगी जी का नोटिस था जिसके ऊपर पिछले कल चर्चा हो गई है। इसी तरह से नियम-130 के तहत श्री होशयार सिंह जी के नोटिस पर आज चर्चा होनी है। श्री राकेश पठानिया और श्री रमेश चंद ध्वाला जी के नोटिस पर चर्चा हो चुकी है। अगला नोटिस भी श्री राकेश पठानिया जी द्वारा दिया गया है जो आज लगा है। इसी तरह से एक नोटिस नियम-130 के अंतर्गत श्री राकेश जम्वाल जी का है। नियम-130 के अंतर्गत श्री बलबीर सिंह, श्री बिक्रम सिंह जरयाल, श्री परमजीत सिंह और श्री राकेश पठानिया जी ने नोटिस दिया है जिस पर आज नशे के ऊपर चर्चा होनी है। फिर एक श्री सुरेश कश्यप और श्री सुखराम जी का नियम-130 के तहत नोटिस आया है और एक नियम-130 के तहत श्री रमेश चंद ध्वाला जी का नोटिस आया है। नियम-130 के तहत प्रतिपक्ष का एक भी नोटिस हमारे पास पैंडिंग नहीं है। फिर आसन को यह कहना कि हमारे विषय नहीं लगाए जा रहे हैं, यह अत्यन्त गम्भीर आरोप है जबकि उनकी ओर से

नोटिस ही कोई नहीं आया है। मैंने पूरे नोटिस सदन के सामने पढ़कर सुना दिए हैं। इसके अलावा नियम-101 के तहत कल चर्चा होनी है जिसके नोटिस श्री सुन्दर सिंह ठाकुर, श्री अनिरूद्ध सिंह, श्री राजिन्द्र गर्ग और श्री राकेश सिंघा जी द्वारा दिए गए हैं। ये चारों नोटिसिज कार्य सलाहकार समिति में स्वीकार कर लिए गए हैं और कल इनके ऊपर चर्चा दे दी गई है। ये कार्य सलाहकार समिति की बैठक के अंदर पारित हो चुका है। नियम-101 का एक नोटिस जो पिछली बार से कैरीऑन है वह श्री बलबीर सिंह जी का है और उसके ऊपर भी कल चर्चा होगी। इसके बाद केवल नियम-324 के नोटिसिज हैं जिनके उत्तर परसों इस सदन के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। एक नोटिस नियम-63 के अन्तर्गत प्रतिपक्ष का आया है जिसका जवाब सरकार से आना है और उसके बाद उसको चर्चा के लिए रखना है। इसके अलावा प्रतिपक्ष का कोई नोटिस नहीं आया है। जब मेरे पास प्रतिपक्ष का नोटिस ही नहीं है और जो नोटिस उन्होंने दिया है, वह विषय उच्चतम न्यायालय में है तो चर्चा लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए जिस प्रकार की भाषा इन्होंने उपयोग की है वह सदन और आसन का जो न्यायपूर्वक रवैया है उसके विपरीत टिप्पणी है जोकि न्यायसंगत नहीं है। यह बात मैंने सदन के ध्यान में ला दी है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री सुरेश भारद्वाज)ः माननीय अध्यक्ष जी, सदन में बहुत ही दुःखद और अशोभनीय घटना हुई है, जिसकी जितनी भी निन्दा की जाए उतनी कम है। विशेष रूप से जब विपक्ष के नेता स्वयं सदन में कागज़ लहरायें और फिर आसन के विरूद्ध नारे लगाएं तो इससे बड़ा कोई भी अपमान और अशोभनीय व्यवहार सदन में नहीं हो सकता है। जिसकी इस सदन को निन्दा करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करना चाहता हूं कि "यह सदन विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री तथा उनके पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा माननीय अध्यक्ष के विरूद्ध नाम लेकर अशोभनीय नारे लगाने व आसन का अपमान करने की घोर निन्दा करता है तथा उनके व्यवहार की भर्त्सना करता है"। मैं यह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करता हूं और मेरा निवेदन है कि सारा सदन इसको पारित करे और माननीय अध्यक्ष जी इसकी अनुमति देंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, जो विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और उनके साथियों ने आसन के विरूद्ध नारे लगाए हैं, मैं भी पांचवीं बार इस विधान सभा का सदस्य बना हूं,

12.12.2018/1135/जेके/डीसी/ I

परन्तु मैंने विपक्ष की कभी भी इस प्रकार की अशोभनीय भाषा और इस प्रकार का व्यवहार आज तक नहीं देखा है। इसकी जितनी घोर निन्दा की जाए, कम है। मैं देख रहा हूं सदन जिस दिन से चल रहा है उस दिन से ही कांग्रेस के जो सदस्य हैं, बिना नोटिस के भी यहां प्रश्न काल से पहले ही खड़े हो जाते हैं और प्वाइंट ऑफ ऑर्डर कर देते हैं। प्वाइंट ऑफ आर्डर का मतलब क्या है कि जनता के जो इशू हैं वे लोग उनको यहां पर उठाने के लिए गम्भीर नहीं हैं। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जिस प्रकार की ये यहां पर राजनीति कर रहे हैं उसको पूरा प्रदेश जानता है। कांग्रेस जब सत्ता में होती है किस प्रकार का व्यवहार यह लोगों के साथ करती है? कल जो ये यहां पर प्रस्ताव लाए थे उस प्रस्ताव पर भी मुझे कुछ कहना है। जब कांग्रेस की सरकार थी, मेरे साथ बैठे हुए श्री महेन्द्र सिंह जी और मैं वर्ष 1990 में विधायक बनें थे। वर्ष 1993 से लेकर 1998 तक श्री महेन्द्र सिंह जी जब विधान सभा के सदस्य थे उस वक्त ये कांग्रेस पार्टी में थे लेकिन कांग्रेस की तानाशाही से ये दुखी थे। इनको स्टेज से उतार कर, धक्के मार कर एक दिन में तीन जेलों में भेजा गया। इनके अपने सदस्य ठाकुर राम लाल जी जो पूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं, के ऊपर गाड़ी का काला तेल फेंका गया, गोबर फेंका गया। श्री ओ0पी0 रत्न जो इनकी पार्टी के सदस्य थे उनको धक्के मारे गए। श्री निखिल राजौर जो कांग्रेस के सदस्य थे उनको भी धक्के मार कर स्टेज से बाहर निकाल दिया गया। एक बार जब मैं प्रतिपक्ष में विधायक था, उस वक्त हमें स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया गया। इस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के लोग करते रहे। आज इनको जो गलत नज़र आ रहा है वह इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सत्ता से बाहर है। ये लोग बहाने लगा कर, झूठ बोल कर राजनीति चमकाना चाहते हैं। इन्होंने आज तक हिमाचल की

जनता के साथ अन्याय किया है। उसको हिमाचल का जन-जन जानता है। मैं वर्ष 1990 में विधायक बना था। कांग्रेस की सरकार भी यहां पर कई बार रही, यहां पर कहते रहते हैं कि

छः बार मैं यहां का मुख्य मंत्री रहा हूं। इन्होंने मेज़र मनकोटिया के ऊपर डंडे बरसाए। उनके ऊपर झूठे केस बनाए और उनको जेल में भेजा। डॉ0 राजन सुशान्त ने जनहित के मुद्दे उठाए उनके ऊपर भी झूठा केस बना करके जेल में भेज दिया था। उन्होंने शाह नहर को लेकर आंदोलन किया था। इस तरह का इनका व्यवहार रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्षः श्री नरेन्द्र बरागटा जी ।

श्री नरेन्द्र बरागटा (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो यहां पर प्रस्ताव लाया है, मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूं। मैं देख रहा था कि एक तरफ प्रदेश के मुख्य मंत्री सहज भाव से, शांति से बैठे हुए हैं और जिसको प्रदेश की जनता देख रही है। दूसरी तरफ इतनी बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी के साथ विपक्ष के नेता हैं लेकिन उनका व्यवहार समझ से परे है। आखिरकार हम लोग भी इस माननीय सदन के सदस्य हैं। हम किसी का अधिकार मारने यहां पर नहीं आए हैं। मैं एक बात को नोटिस कर रहा हूं और पिछले कल से हम अनुभव कर रहे हैं और बहुत पीड़ा हो रही है। हाउस को घड़ी-घड़ी डिस्ट्रेक्ट किया जा रहा है जबकि जो इनके सदस्य हैं उनके यहां पर प्रश्न लगे हैं और वे कुछ बोलना भी चाहते हैं उनको भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। As if they have been compelled. मैं तो हैरान हूं कि यहां पर माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी भी बैठे हुए हैं और विपक्ष के नेता का व्यवहार बहुत ही अशोभनीय है। ये तो बहुत ही हैरानी की बात है क्योंकि जब वे इस तरफ थे तो मंत्री भी रहे हैं। उनके द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग करना ठीक नहीं, मैं उनकी इस बात से बहुत आहत हुआ हूं।

कोई असाधारण व्यक्ति भी ऐसी भाषा नहीं बोल सकता यानी कि मुर्दाबाद के नारे अध्यक्ष के खिलाफ लगा लिए जाएं। आप तो नियमों से बंधे हुए हैं और नियमों के मुताबिक आप काम कर रहे हैं। आपने जो आंकड़े रखे हैं, मुझे हैरानी है कि जब कोई इश्यु ही नहीं है तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अगर कोई खबर ही बनानी है तो कोई पार परिसर में जाकर भाजपा के मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है और कोई दूसरी पार्टी के जिन्दाबाद के नारे लगा रहा है। मुझे लगता है कि ये (विपक्ष) हतोत्साहित हो गए हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने थोड़े से शब्दों में कहा लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा सार है। कहीं ऐसा लग रहा है कि ये इधर (सत्तापक्ष में) आ गए हैं। अभी चार साल तक अपना काम करो और मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से ये काम कर रहे हैं मुझे लगता है कि चार साल के बाद तो क्या चालीस साल तक इधर (सत्तापक्ष में) नहीं आ सकते हैं। जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यहां प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करना चाहूंगा।

अध्यक्षः मैं प्रश्न काल को आगे बढ़ा रहा हूं। ...(व्यवधान)...

Education Minister (Parliamentary Affairs Minister): Hon'ble Speaker, Sir, I move this resolution and it should be carried by the Hon'ble House.

अध्यक्षः बैठिये प्लीज़। मुझे लगता है कि आपने विषय रख दिया। अन्य सदस्यों और माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी बात कह दी। फिर भी हम सब लोग इस सदन के सदस्य हैं और मैं आशा करता हूं कि good sense will prevail upon यदि हम इस प्रस्ताव को न पारित करें। ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रभु सद्बुद्धि देगा और पुनः हम इस सदन को अच्छे से चलायेंगे। मैंने स्वयं यह बात रख दी है। अच्छा होगा कि हम इसको पारित न करें। माननीय मुख्य मंत्री जी, कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की परिस्थिति इस माननीय सदन में निर्मित की गई, उससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है। लेकिन जब आपके आसन का भी अपमान हो तो वह बर्दाश्त के योग्य नहीं है। उसके बाद आपने एक और व्यवस्था दी कि अभी तक हमको सदन में चर्चा के लिए नोटिसिज़ कौन-कौन से और किस-किस के आए हैं, वह सारी डिटेल आपने बताई है। उसमें कोई प्रस्ताव उनकी ओर से डिस्कशन के लिए पैंडिंग नहीं है और फिर भी वे अपनी बात कहे जा रहे हैं, शोर डाले जा रहे हैं। शोर डाले जा रहे हैं कि हमने जो चर्चाएं मांगी उन चर्चाओं पर आपने उनको इजाज़त नहीं दी है। वह भी सदन को गुमराह करने के साथ-साथ में इस सदन के रिकॉर्ड का हिस्सा बना है जिस प्रकार से उन्होंने बात कही है। मुझे लगता है कि यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। रोज़मर्रा यह उनकी आदत का हिस्सा बन गया है। मैं इस बात के लिए विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि यहां पर हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ (मीडिया) भी उपस्थित है। जिस तरह की वे (विपक्ष) बातें कहते हैं उसमें सच्चाई होती नहीं है। सिर्फ खबर बनाने के लिए कि समाचार पत्र में उनकी खबर बने, ऐसा बोलते हैं। यहां आपने उनके व्यवहार से देखा होगा कि जो चीज़ वास्तव में है नहीं, वह कहकर चले गए। आपने उस सारे का पर्दाफाश कर दिया और सारे नोटिस पढ़कर सुना दिए कि इनका नोटिस इस पर आया और उनका नोटिस इस पर आया। उसमें विपक्ष की ओर से नोटिस नहीं आए हैं। अध्यक्ष महोदय, हम भी विपक्ष में रहे हैं और जब विपक्ष में होते थे तो सत्तापक्ष का अगर एक नोटिस होता था तो हमारे दस नोटिस होते थे। इस हाउस का बिजनैस को जनरेट करना, हाउस को बिजनैस देना, यह दायित्व सत्तापक्ष से ज्यादा विपक्ष का रहता है। वे अपनी उस भूमिका को नहीं निभा रहे हैं। उस भूमिका को निभाने में वे सफल नहीं हैं। लेकिन अभी गर्मजोशी में कुछ प्रदेशों का रिलज्ट आने से उनको असर हुआ है और उन्हें लग रहा है कि यह करने से यहां पर भी वैसा ही हो जायेगा तो मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति इस माननीय सदन में मैं पहली बार देख रहा हूं। जो विधायक दल के नेता हैं,

हमने उनको विपक्ष के नेता के रूप में एक दायित्व दिया, हमने सोचा कि वे जो भी बात करेंगे तो जिम्मेवारी के साथ करेंगे। जो भी बात करेंगे, हकीकत के साथ करेंगे, सच्चाई उसमें होगी। जो भी बात करेंगे, नियमों की परिधि में रह कर करेंगे।

12.12.2018/1145/केएस/एचके/1

मुझे सचमुच इस बात को ले कर बहुत खेद है कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिलने के पश्चात भी जिस प्रकार से इन्होंने सदन को गुमराह किया है, यह एक बहुत गम्भीर मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आसन के खिलाफ उन्होंने जो व्यक्तिगत रूप से नाम ले कर नारे लगाए हैं, अपमान किया है, आपका हृदय विशाल है, आपने उन सारी चीजों को जिस रूप में लिया, आपने कहा कि प्रस्ताव मूव तो हुआ और मूव करने का अधिकार हमको है । जो घटना यहां पर घटित हुई, उसमें तो यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए था लेकिन उसके बावजूद पारित किये बिना आपने इसको इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया, इसका संज्ञान लिया और इतना ही पर्याप्त है, हम उन पर छोड़ देते हैं। मैं भी आपकी इस बात से सहमत होते हुए प्रस्ताव जो है, मैं माननीय पार्लियामैंट अफेयर मिनिस्टर से चाहूंगा कि वे इसे वापिस ले लें । यह सारा विषय आसन के खिलाफ था । जब आपने ही इस बात को इस तरीके से ले लिया कि एक बार उनको अवसर देते हैं, मौका देते हैं, मुझे लगता है कि इतनी विशालता किसी के हृदय में सहज रूप से नहीं मिलती जो आपने दिखाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्षः प्रस्ताव वापिस हुआ समझा जाता है।

प्रश्न संख्याः 935

अध्यक्षः श्री आशीष बुटेल (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्याः 936

अध्यक्षः श्री हर्षवर्धन चौहान (प्राधिकृत) (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या : 937

श्री विनोद कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि नाचन विधान सभा क्षेत्र जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, अभी तक उस क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों से कोई भी राशि खर्च नहीं की गई है और न ही स्वीकृत की गई है? दूसरा, क्या माननीय मंत्री जी, इन तीन वर्षों में लाडा के तहत जो राशि नाचन विधान सभा क्षेत्र की बनती है, क्या उस राशि को स्वीकृत करने की कृपा करेंगें?

बहुउद्देश्यीय परियाजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो इन्होंने मूल प्रश्न किया है, उसमें लाडा का जिक्र किया है। लाडा दिसम्बर, 2006 में इन्ट्रोड्यूस किया गया था। बी.बी.एम.बी. का हमारा प्रोजैक्ट उससे पहले ही शुरू हो चुका था। जो प्रावधान लाडा के अंतर्गत किए जाते हैं, वह बी.बी.एम.बी. के अंतर्गत नहीं है। इसलिए उनको हम बाध्य नहीं कर सकते । क्योंकि कम्पनी एक्ट में भी जो प्रावधान किया गया है उसमें सी.एस.आर. का भी दो परसेंट पैसा आता है, कम्पनी एक्ट में भी यह नहीं आती है इसलिए उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। फिर भी उन्होंने कुछ काम किए हैं और उनकी वर्ष 27.11.2015 में 222वीं बोर्ड की मीटिंग हुई थी। उसमें से उन्होंने 2 परसेंट Budget allocation for the irrigation सैप्रेट फंड रखा था। अब हमें नहीं मालूम कि उनके माध्यम से कितना फंड इरिगेशन के लिए रखा जाता है? उसमें से दो परसेंट का प्रावधान किया है और उसमें लगभग 24 लाख 41 हजार तीन वर्षों में पैसों का आबंटन किया गया और वर्ष 2017-18 में 2 लाख रु0 दिये गए जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है और कुछ पैसा वर्ष 2018-19 में भी चार स्कीमों में उनके माध्यम से दिया गया है तो इसलिए लाडा का इसमें कोई प्रावधान नहीं है, यह मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं।

प्रश्न संख्याः 938

अध्यक्षः श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (अनुपस्थित)

12.12.2018/1150/av/yk/1

प्रश्न संख्या : 939

श्री राकेश सिंघा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का जो लिखित उत्तर दिया है मैं इससे सहमत हूं। यह तथ्य के आधार पर दिया गया है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसकी सैंक्शन वर्ष 2006 में हुई थी और यह शुरू वर्ष 2009 में की गई। अब वर्ष 2018 समाप्त होने वाला है और वर्ष 2019 शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपके विभाग की कोई कमजोरी नहीं है, मेरी जानकारी अगर सही है तो इसमें ऐसा है कि जो पैसा आपके विभाग ने बिजली विभाग को देना था वही नहीं दिया गया। मैं समझता हूं कि इस संदर्भ में आपके विभाग और बिजली विभाग में समन्वय होना जरूरी है अन्यथा यह प्रोजैक्ट अगले 10 वर्षों तक भी शुरू नहीं होगा। इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो भी पैसा आपके विभाग ने बिजली विभाग को देना है वह शीघ्र दिया जाए ताकि लोगों को इसका पानी मिले।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसे कहा कि इस स्कीम की ए0ए0 एण्ड ई0एस0 वर्ष 2006 में दे दी गई थी और अब वर्ष 2018 समाप्ति की ओर है। यह भी ठीक है कि वर्ष 2019 शुरू होने वाला है। इसके लिए वर्ष 2006-07 में 28.17 लाख रुपये, वर्ष 2007-08 में 13.20 लाख रुपये, वर्ष 2008-09 में 5.76 लाख रुपये, वर्ष 2009-10 में 57.37 लाख रुपये, वर्ष 2010-11 में 5.10 लाख रुपये, वर्ष 2011-12 में 7.78 लाख रुपये और वर्ष 2012-13 में 2.99 लाख रुपये की राशि रखी गई। वर्ष 2012-13 के बाद यहां सत्ता परिवर्तन होने के पश्चात इसमें कोई राशि नहीं रखी गई। यह जानकारी माननीय सदस्य मुझे वैसे आप दे रहे हैं कि इसमें एस0ओ0पी0 का पैसा डिपोजिट नहीं

हुआ है। मगर हमने इसमें एस0ओ0पी0 का पैसा डिपोजिट कर दिया है। यह स्कीम दो चरणों में है। इसका एक चरण चला हुआ है और दूसरा चरण अभी नहीं चला है। इसका प्रथम चरण नहीं चला है बल्कि द्वितीय चरण चला हुआ है; अजीब सी बात है। मुझे जब इस बात का पता चला तो मैंने भी यही पूछा कि यह कैसे हो सकता है कि प्रथम चरण बंद है और द्वितीय चरण शुरू हो गया है। मुझे फिर बताया गया गया कि यह एक स्कीम को ऑगुमैंट करने का है। इसमें उस पुरानी स्कीम का पानी नीचे बेसमैंट से प्रथम चरण तक चला हुआ है और उससे ऊपर उठाया जा रहा है। लेकिन जहां से पानी का सोर्स है वहां से इसकी राईजिंग मैन ऑगुमैंट की गई है। उस पुरानी स्कीम में बिजली का ट्रांसफार्मर छोटा था इसलिए उसमें बिजली की मोटरें भी छोटी थी। अब इसमें 115 होर्स पावर की दो मोटरें लगी हैं।

12.12.2018/1155/TCV/YK/1

इससे पहले जो वहां पर मोटरें थीं, वह काफी छोटी थी और ये 45 हॉर्स पॉवर की थी। अभी वहां पर जो बिजली बोर्ड का ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उससे दूसरी स्कीम को बिजली दी जा सकें। इसके लिए बिजली बोर्ड को कहा गया है कि वह वहां पर दूसरा बड़ा नया ट्रांसफॉर्मर लगाएं। उसके लिए बिजली बोर्ड तैयार हो गया है कि हम शीघ्र ही वहां पर बड़ा ट्रांसफॉर्मर लगाने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह मामला दो विभागों के बीच उलझा हुआ है। हमारा काम बिल्कुल पूरा हो चुका है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऐसी अनेकों स्कीमें हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। ऐसी लगभग सैंकड़ों स्कीमें हैं, जहां हमारी स्कीमों का कार्य पूर्ण हो चुका है। लेकिन बिजली बोर्ड की तरफ से वहां पर जो व्यवस्था करनी होती है, वह व्यवस्था समय पर नहीं की जाती है। जिसकी वज़ह से सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को बहुत कठिनाई आती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भी आग्रह करुंगा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई जाये और ऐसी व्यवस्था की जाये कि जब भी किसी पेयजल या सिंचाई परियोजना का

एस0ओ0पी0 जमा होता है और उस परियोजना को पूर्ण करने के लिए जो समय सीमा निर्धारित की जाती है, बिजली बोर्ड भी एक समयसीमा के अंदर एस0ओ0पी0 के तहत जो कार्य होना है उसको पूरा करें। ताकि एक समयसीमा के अंदर हम इसको पूर्ण कर सकें। मैं माननीय सदस्य को आश्वास्त करना चाहता हूं कि जैसे ही ट्रांसफार्मर लगेगा, हम इस स्कीम को चालू करेंगे। ताकि वहां के स्थानीय लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था की जा सके।

श्री राकेश सिंघाः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरी जानकारी है, मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि वहां पर ट्रांसफार्मर अभी है ही नहीं। वहां पर न तो पुराना ट्रांसफार्मर है और न ही नया है। बिजली विभाग का कहना है कि यदि आप 5 लाख रुपये जमा करवाएं तो ट्रांसफार्मर लग जाएगा। कुछ पैसा आपके विभाग ने जमा किया है लेकिन वह पूरा नहीं हुआ है। आप आश्वासन देने की कृपा करें कि आप 5 लाख रुपये जमा करवा देंगे।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक वहां पर पुरानी स्कीम चली हुई है, तभी इसके प्रथम चरण से पानी ऊपर उठाया जा रहा है और जहां पहले पानी दिया जाता था, वहां पानी दिया जा रहा है। लेकिन जो सूचना माननीय सदस्य दे रहे हैं कि वहां पर ट्रांसफार्मर नहीं है तो जो पुरानी स्कीमें हैं, वे कैसे चल रही है। यह एक चिंता का विषय है। मैं इस पर संज्ञान लूंगा। यदि विद्युत विभाग यह कहता है कि इसके लिए पैसा नहीं दिया गया, ऐसा नहीं है, जितनी राशि एस0ओ0पी0 की जमा होनी थी, वह सारी राशि हमने बिजली बोर्ड को दे दी है। मैं सदन में यह कहना चाहता हूं कि जैसे ही बिजली बोर्ड ट्रांसफार्मर लगाएगा, हम स्कीम को तुरन्त चालू करेंगे।

प्रश्न संख्याः 940

श्री होशयार सिंहः अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है, मैं मानता हूं कि इस व़क्त वहां पर जो व्यवस्था है, वह आपके हिसाब से ठीक है। लेकिन पिछले दिनों जब मैं खुद अस्पताल गया तो नागरिक आपूर्ति निगम की जो शॉप है, वहां हजारों के हिसाब से भीड़ थीं और जो बूढ़े-बुजुर्ग थे, उनको बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि वहां पर सीनियर सिटीजन के लिए एक अलग विंडो की व्यवस्था की जाये।

12-12-2018/1200/NS/AG/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता कि लम्बी लाइनें लगती हैं। वहां पर नागरिक आपूर्ति निगम की दुकान है। दूसरा, जन औषधि, अमृत मेडिकल स्टोर और अस्पताल की डिस्पैंसरी में भी दवाईयां मिलती हैं। माननीय सदस्य ने जो यहां पर सुझाव रखा है, इस पर हम विचार करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समय की कमी को ध्यान में रखते हुए कहना चाहता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश में लगभग 36 सिविल सप्लाई की दुकानें हैं, कुछ अस्पताल के बीच में हैं और ये सम्पत्ति, जमीन अस्पताल की है तथा किराया माकुल नहीं मिलता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने माननीय मुख्य मंत्री जी से विचार-विमर्श करने के बाद यह योजना बनाई है कि इस प्रकार की सिविल सप्लाई की दुकानों को जो हिमाचल प्रदेश में इस समय 36 हैं और इसमें से लगभग 35 दुकानें फंक्शनल हैं। इन सभी दुकानों को हम रिव्यू करने जा रहे हैं। मैं यह भी कहूंगा कि जब हम रिव्यू करेंगे तो मरीज़ों की जेब कई बार बाहर के मेडिकल स्टोर वाले हल्की कर देते हैं तो इससे मरीज़ भी बचेंगे और सिविल सप्लाई, हिमाचल प्रदेश सरकार व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भी पैसा मिलेगा। इस पर हम विचार कर रहे हैं। क्योंकि इस समय जो व्यवस्था है, वह पूरी तरह से कोमर्शियल व्यवस्था है, कोई हिसाब-किताब नहीं है। इसलिए हम इस पर काम करने जा रहे हैं।

प्रश्न काल समाप्त

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्षः अब माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज़ विपणन एवं विधायन निगम सीमित का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब माननीय शहरी विकास मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगी।

शहरी विकास मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 161(3) तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255(1) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं का वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए जाएंगे।

अब श्री राकेश पठानिया, सदस्य, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2018-19),समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

(1) **श्री राकेश पठानियाः** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति, (वर्ष 2018-19),समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं, जोकि इस प्रकार हैंः-

i. समिति का 20वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा राजस्व विभाग से सम्बन्धित है;

ii. समिति का 21वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा पशुपालन विभाग से सम्बन्धित है;

iii. समिति का 22वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा पशुपालन विभाग से सम्बन्धित है;

iv. समिति का 23वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/सामाजिक सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा पशुपालन विभाग से सम्बन्धित है;

v. समिति का 24वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के

vi. वित्त) पर आधारित तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है;

vi. समिति का 25वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा पशुपालन विभाग से सम्बन्धित है;

vii. समिति का 26वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के

वित्त) पर आधारित तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है;

viii. समिति का 27वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा सचिवालय प्रशासन विभाग से सम्बन्धित है;

ix. समिति का 28वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित है;

x. समिति का 29वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त/सामाजिक सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र) पर आधारित तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित है;

xi. समिति का 30वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 172वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2008-09) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा उद्योग विभाग से सम्बन्धित है; और

xii. समिति का 31वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 173वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10)

xiii. में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा उद्योग विभाग से सम्बन्धित है ।

अध्यक्षः अब श्री हीरा लाल जी, सदस्य, लोक उपक्रम समिति वर्ष (2018-19) के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे और सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री हीरा लाल जीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2018-19), समिति के 9वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में

अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 31वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2014-15) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब माननीय श्री बलबीर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2018-19), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री बलबीर सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति, (वर्ष 2018-19), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं और सदन के पटल पर रखता हूं, जोकि इस प्रकार हैः-

i. समिति का नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 24वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से सम्बन्धित है; और

ii. समिति का दसवां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 25वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित है।

12.12.2018/1205/RKS/AG-1

<u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः अब श्री जीत राम कटवाल अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री जीत राम कटवालः माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्माणाधीन फोरलेन परियोजना जिसकी किरतपुर से नेरचौक की लम्बाई लगभग 96 किलोमीटर है और जिसका लगभग 12-13 किलोमीटर हिस्सा मेरे चुनाव क्षेत्र में भी आता है। ग्राम पंचायत डमली, बैहना जटां और हीरापुर में ज्यादातर भाखड़ा बांध से विस्थापित परिवार रहते हैं और उन्हें डैम के माध्यम से जिला मुख्यालय, बिलासपुर आने-जाने के लिए मोटर वोट या किश्तियों की व्यवस्था है। वहां पर कोई पुल की व्यवस्था नहीं है। इन लोगों की जमीनें डैम के किनारे हैं परंतु जो भूमि इन्हें निवास या घर बनाने के लिए उपलब्ध हुई है या जहां इन्होंने अपने गांव बसाए हुए हैं, वे ऊपर पहाड़ियों पर हैं। वहां पर लगभग 9-10 सड़कें या पगडंडियां है और इन्हीं सड़कों और पगडंडियों के किनारे इन गांवों के लिए पानी की व्यवस्था होती है। मुख्यतः ग्राम पंचायत डमली में बेहलग दराड़सानी कोठी, बटेढ़ और मैहरूइयां गांव के निवासी इस फोरलेन की परियोजना से प्रभावित हुए हैं। वे अपने पानी के साधन, स्कूल, अस्पताल या बाजार से जीवन-यापन की व्यस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन रास्तों का प्रयोग करते हैं। यह अच्छी बात है कि मेरे चुनाव क्षेत्र से फोरलेन प्रोजैक्ट गुजर रहा है। जैसा कि मैंने इसकी पृष्ठभूमि में कहा कि ये लोग भाखड़ा बांध के विस्थापित हैं और इनकी खेती, पशु, पानी के साधन और आने-जाने की व्यवस्था बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इस फोरलेन प्रोजैक्ट का कार्य वर्ष 2016 में बंद हो गया था। इस वर्ष जिलाधीश महोदय के साथ चर्चा करने के उपरांत कंपनी के अधिकारियों को बुलाकर मौके का निरीक्षण करवाया गया और जो लोगों की समस्याएं थीं उनके लिए कुछ कार्य योजनाएं तैयार की गई। अप्रैल-मई में इस प्रोजैक्ट का काम शुरू हुआ और जो IL&FS और ITNL कंपनी इस फोरलेन प्रोजैक्ट को क्रियान्वित कर रही थी, वह जून महीने में इस काम को छोड़कर चली गई। ऐसा भी सुनने को मिला है कि जिन छोटे-छोटे व्यावसायियों की देनदारी कंपनी के ऊपर थी उन्होंने कंपनी के दफ्तर में ताले लगा दिए। उस क्षेत्र में लगभग 50 करोड़ रुपये की देनदारी है चाहे वह ट्रक वाले की हो, बजरी वाले की हो या किसी अन्य सामान की हो या फिर कंपनी ने जो आगे सबलैटिंग्स की है उनके छोटे-छोटे ठेकेदारों की हो। ऋषिकेश से लेकर ओहर तक 9 स्थान ऐसे थे जहां से लोग घाटों को जाते थे। इस फोरलेन प्रोजैक्ट के बनने से लोग किसी-न-किसी तरीके से घाटों की तरफ जा रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जब फोरलेन प्रोजैक्ट बनता है तो साइट्स उचित

रूप से सील हो जाती है और 2-3 किलोमीटर से पहले आने-जाने या क्रॉस करने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती।

12.12.2018/1210/बी.एस./डी.सी./-1

मेरा जो अनुभव है वह यह है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके इन लोगों के बारे में कुछ सोचा जाए और जो फुट ब्रिज्ि हैं उनकी व्यवस्था भी की जाए। अभी तक कंपनी के साथ हुई चर्चा से मुझे यह प्रतीत हुआ कि इसके बारे में कंपनी का रवैया सही नहीं है और न ही उनके पास कोई कार्य योजना है। इस प्रोजैक्ट के बनने के बाद अभी वहां पर कार्य बंद पड़ा है। मुझे मालूम है कि राज्य सरकार ने मामले को केन्द्र सरकार के साथ उठाया है। मैंने भी निजी तौर पर माननीय नितिन गडकरी जी, केन्द्रीय भूतल मंत्री जी से इस विषय पर बात की थी। इसके बारे में शायद छोटे-छोटे टैंडर करके या कंपनी को बदल कर इसका कार्य शुरू किया जाएगा। If we talk about water resources, 5-6 हैंड पंप्ज जो राज्य सरकार ने स्थापित करवाए थे वे भी समाप्त हो चुके हैं। वहां पर 15-20 परिवार ऐसे हैं जिनके घरों को खतरा बना हुआ है और दर्जनों परिवार ऐसे हैं जिनकी जमीने एक्वायर हुई हैं परंतु जो जमीने बची हैं वे भी स्लाइड हो रही हैं। पहाड़ और जमीने खिस्क कर नीचे आ रही है उसके बारे में कंपनी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया और सहयोग नहीं मिल रहा है और न ही प्रशासन की ओर से लोगों को कोई सहयोग मिल रहा है। मैंने दो बार जिलाधीश महोदय और कंपनी के अधिकारियों से बैठक में चर्चा की थी। उन्हें इस समस्या के बारे में पूर्णतः अवगत करवाया गया है। वहां जो घाट हैं उनसे प्रतिदिन 1500-2000 लोग बिलासपुर जाते हैं। घाट तक जाने के लिए बरसात से वहां सड़के खराब हो चुकी थीं जिन्हें हमने लोक निर्माण विभाग की मदद से चलने लायक बनवाया है। जिस अव्यवस्था से लोग जूझ रहे हैं उसके बारे में इतना ही कहूंगा कि शीघ्र ही प्रदेश सरकार भारत सरकार से इस मामले को उठाए। यह प्रोजैक्ट तो पूरा होना ही है, इस पर आधे से ज्यादा कार्य हो चुका है परंतु इससे जो परिवार प्रभावित हुए हैं उनकी दशा और सुविधाओं के लिए एक

साकारात्मक कार्य सरकार अवश्य करे। मैं चाहता हूं कि प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार और कंपनी के अधिकारियों के साथ वार्ता के लिए एक अच्छे मैकेनिज्म की व्यवस्था करे। इस तरह की समस्या हर क्षेत्र में आ रही है। इस प्रोजैक्ट का निर्माण करते समय स्थानीय लोगों के के घरों, रास्तों, लिंग रोड्ज का नुकसान हो रहा है, यहां तक कि लोगों के घरों के आगे मिट्टी के बड़े-बड़े ढेर लग गए हैं। इस संबंध में सरकार भविष्य में कार्य करने वाली कंपनी या जो कार्य की व्यवस्था की जाएगी उसमें इन सब बातों को अवश्य ध्यान में रख कर कार्य करवाएं। वहां पर इरिगेशन चैनल खत्म हो चुकें है, स्लाइडिंग जोन डवैल्प हो गए, पुलिया नहीं है। इस वर्ष भारी वर्षा के कारण लोगों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सितम्बर महीने में वर्षा के कारण 4-5 स्थानों पर सिंकिंग के साथ-साथ लोगों के घर मिट्टी और पानी से भर गए थे जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा । उन लोगों को बहुत दुखद परिस्थितियों में रहना पड़ा। मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार इन समस्याओं से निपटने के लिए कोई मैकेनिज्म तैयार करे। प्राथमिकता के तौर पर विभाग इस पर कार्रवाई शुरू करे। केन्द्र सरकार से भी इस मामले को उठाया जाए।

12/12/2018/1215/RG/DC/1

एक और बात थी कि यहां भाखड़ा बांध के औस्टीज़ का इलाका है। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने कहीं से प्रोक्योर किया था जिसमें लिखा था कि यहां पुल बनेगा। बैरीदडौला के पुल का शिलान्यास कांग्रेस शासन के दौरान वर्ष 2007 में किया गया और अब वर्ष 2013-14 में शायद ऐसा कहा गया कि वह पुल नहीं बनेगा। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि 1500 से 2000 व्यक्ति प्रतिदिन अपनी रोटी-रोजी के लिए, सरकारी सेवाओं के लिए या छोटी-मोटी मेहनत मजदूरी करके बिलासपुर शहर की तरफ पलायन करते हैं और सुबह-शाम आते जाते हैं। इसलिए पुल का होना बहुत जरूरी है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से विशेषकर अनुरोध रहेगा कि राजा, बिलासपुर ने जो केन्द्र सरकार के साथ एक ऐग्रीमेंट किया था, उसकी कॉपी भारत सरकार से लें। क्योंकि एक अनसाइंड डॉक्यूमेंट मेरे पास भी है, उसमें लिखा है कि पुल बनेंगे। तो अगर वह साइंड औथोराइज्ड

कॉपी उपलब्ध होती है तो बी.बी.एम.बी. के साथ हम लोग यह मामला उठाकर पुल के बारे में कोई कार्रवाई कर सकते हैं। हमारे ऐसे प्रयास होने चाहिए कि लोगों का जीवन पहले से बेहतर हो। यहां तक कि गेहड़वीं से, ऊपर से 3-4 किलोमीटर के क्षेत्र से लोगों के क्रिमेशन की व्यवस्था भी सतलुज नदी के डैम के किनारे है लेकिन वहां से आने-जाने के रास्ते भी बहुत खराब दशा में हैं, यह हम महसूस करते हैं। लोगों का जीवन काफी अव्यवस्थित सा हो गया है। न केवल अव्यवस्थति है बल्कि कुछ खतरनाक परिस्थितियां भी होती हैं, जैसे वोट पर आना-जाना और जब डैम का पानी उतरता है तो कितना मड एवं कितनी कठिन परिस्थिति में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को उसमें चलना पड़ता है जिससे कई ऐसे हादसे भी इस क्षेत्र में हुए हैं कि व्यक्ति या बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो मैं इतना कहूंगा कि औस्टीज़ होने के नाते एक विस्थापन या एक अव्यवस्था हमने भाखड़ा डैम में देखी है। कोई स्कीम नहीं थी लेकिन आज विस्थापितों के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं और बहुत बड़े-बड़े काम भी हो रहे हैं, कोई कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सबिलिटी की बात होती है। परन्तु इस राष्ट्रीय महत्व के प्रोजैक्ट को बनाते समय स्थानीय लोगों के हितों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। यहां तक कि जमीन के बारे में जो छोटी-छोटी व्यवस्थाएं थीं, एक स्कीम बनी, एक नोटिफिकेशन हुई और वह डैम वर्ष 1962 में बनकर तैयार हो गया था और वर्ष 1971 में लोग इतना चीख-पुकार कर रहे थे, जंगलों में रह रहे थे।

माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इस डॉक्यूमेंट को जो राजा, बिलासपुर और यूनियन ऑफ इण्डिया के बीच में साईन हुआ है, उसकी कॉपी मंगाने के लिए सरकार कार्रवाई करे। उनका जो अनसाइंड डॉक्यूमेंट है, जैसे ऑफिस कॉपी होती है, जो बिलासपुर से किसी तरह मुझे उपलब्ध हुई है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि उसमें यह लिखा हुआ है कि यहां पुल बनेंगे और उसका खर्चा भारत सरकार या बी.बी.एम.बी. वहन करेगी। जो उस समय की एजेन्सी थी, उस समय उसको भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड कहते थे और अब भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बना है। तो इसके बारे में कार्रवाई करें और लोगों का जीवन जो अव्यवस्था या परेशानियां से भरा है, उसको खतरे से बाहर निकालने के लिए सरकार प्रयास करे। मैं ज्यादा न कहता हुआ इतना जरूर कहूंगा कि यह बैरीदडौला का जो पुल है, यह लोगों की लाईफ-लाईन है और मेरे झण्डुता

चुनाव क्षेत्र से झण्डुता हैडक्वार्टर से भी बिलासपुर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की और कम होगी। अभी तीस किलोमीटर है। इस पुल के बनने से लोगों को फायदा मिलेगा और उनकी परेशानियों का एक स्थाई हल निकलेगा और लोगों को काफी सुविधा होगी। ...(घण्टी)...इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया और मैंने अपने क्षेत्र की समस्या का विवरण यहां रखा, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। जय हिन्द, धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय नियम-62 के अन्तर्गत उठाए गए विषय का उत्तर देंगे।

12/12/2018/1220/MS/HK/1

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, नियम-62 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री जीतराम कटवाल जी ने फोरलेन परियोजना के तहत जो पोर्शन इनके निर्वाचन क्षेत्र का आता है और इस सड़क के निर्माण की वजह से लोगों को जो बहुत भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उस पर अपनी बात इस माननीय सदन में प्रस्तुत की है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि कीरतपुर-नेरचौक नेशनल हाइवे में जो काम चल रहा है इससे लोगों को बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसका कारण एक तो काम का बाधित होना है और काम बाधित होने के साथ-साथ में कुछ पोर्शन जहां पर इन्होंने काम कर दिया है, वह काम उसी रूप में छूटकर रुक गया है जिसके कारण लोगों को आने-जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। माननीय सदस्य ने जो यहां पर चिन्ता जाहिर की है, मैं भी उससे सहमत हूं क्योंकि स्वाभाविक रूप से अपने क्षेत्र के लोगों को कोई भी असुविधा हो तो चुना हुआ प्रतिनिधि उस चिन्ता में शामिल होना चाहिए और समस्या का समाधान निकालने की दृष्टि से जो काम आवश्यक है, उसमें उनकी भूमिका रहनी भी चाहिए। लोगों की तरफ से भी यही अपेक्षा की जाती है और इस दायित्व का निर्वहन करना चुने हुए प्रतिनिधि के लिए जरूरी भी है। इसलिए जो इनकी चिन्ता है वह जायज है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस विषय की वस्तुस्थिति सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। जो नियम-62 के अंतर्गत माननीय सदस्य जी ने विषय यहां पर उठाया है उसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि विषय में उल्लिखित गांव कीरतपुर-नेरचौक परियोजना से संबंधित है। कीरतपुर-नेरचौक परियोजना का काम बी0ओ0टी0 के आधार पर मै0 कीरपुर-नेरचौक एक्सप्रैस-वे लि0 को दिनांक 13 नवम्बर, 2013 को एन0एच0ए0आई0 द्वारा दिया गया था जिसको तीन वर्ष की अवधि में 12 नवम्बर, 2016 को पूरा किया जाना था। साइट की आवश्यकता के अनुसार Concessionaire द्वारा सुरक्षा कार्य को क्रियान्वित किया गया है। Concessionaire द्वारा धीमी प्रगति के कारण उसे Cure period notice जो ठेकेदार को एक नोटिस देते हैं वह चेतावनी का नोटिस हमने दिया है जोकि 2 अगस्त, 2018 को जारी किया गया है। वर्तमान में Concessionaire द्वारा कार्य को रोक दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सक्रिय रूप से कार्य को शुरू करने और समय पर समापन करने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। काम शुरू होने पर ठेकेदारों द्वारा साइट आवश्यकता के अनुसार प्रोटैक्शन वर्क को किया जाएगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि श्री नितिन गडकरी माननीय केन्द्रीय मंत्री सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से यह मामला उठाया जा रहा है कि वे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दें कि हिमाचल प्रदेश में चल रहे फोरलेन के प्रत्येक कार्य पैकेज के संबंध में ढलान संरक्षण और पर्याप्त परिवहन यातायात संकेत स्थापित करने तथा स्थिरीकरण के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना बनाकर हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ सांझा करे। जिसके उपरान्त राज्य सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगी जो हिमाचल प्रदेश में चल रहे फोरलेन के प्रत्येक कार्य पैकेज की निगरानी करेगी।

12.12.2018/1225/जेके/एचके/।

जिससे आम जनता को दिन-रात में सुरक्षित सड़कें व सुचारू यातायात प्रदान करवाया जा सके। मैं यह भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार हिमाचल प्रदेश में बन रहे फोर लेन के कार्यों को गम्भीरता से लेगी और लोगों की सम्पत्ति की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगी ताकि सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जा सके और आम जनता को किसी भी

प्रकार की असुविधा न हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, जिलाधीश (बिलासपुर) और एस0डी0एम (बिलासपुर) मौके पर इन्सपैक्शन के लिए गए थे, जो नुकसान वहां पर हुआ था उसको उन्होंने देखा। उसके बाद जो आवश्यक चीजें करने की थी उस सन्दर्भ में आदेश दे दिए गए हैं। उसके बावजूद भी हम इस बात से सहमत हैं कि जैसे यहां पर माननीय सदस्य ने बात की कि एक बार विस्थापन हम लोगों ने पहले सहन किया जब भाखड़ा परियोजना का निर्माण हुआ था। वहां पर सभी लोग डैम ऑस्टीज़ हैं। वर्षों के बाद थोड़ा सैटल्ड होने पर और अपनी खेतीबाड़ी, अपना घर-परिवार बसा करके आगे बढ़ रहे थे लेकिन इस फोर लेन के कारण उनको एक बार फिर प्रभावित होना पड़ रहा है। कुछ की जमीन गई और कुछ लोगों की जमीनों को नुकसान हुआ है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी काफी नुकसान हुआ है जिसका जिक्र यहां पर माननीय सदस्य ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सचमुच में यह जो फोर लेन कीरतपुर से नेरचौक तक तैयार होनी है और जिस ठेकेदार को यह काम दिया गया था उसकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह इस काम को आगे जारी नहीं रख सका और बीच में ही उसने इस काम को रोक दिया। जो उसने आगे काम सबलैट किया था उसको भी उन्होंने रोक दिया क्योंकि उनको पेमैंट नहीं मिल पा रही थी। कीरतपुर से नेरचौक का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। मनाली से आगे फोर लेन का काम अगर तेज गति से चला है तो यही एक पोर्शन बचा है जिस पोर्शन का काम अभी तक अवरुद्ध पड़ा है। हमने इस मामले को माननीय नितिन गडकरी के साथ व्यक्तिगत रूप से भी उठाया। अधिकारियों के साथ भी हमने इस बारे में बातचीत की कि इस काम के अवरुद्ध होने के कारण हमें बहुत असुविधा हो रही है। अगर यह काम उस गति से होता, जिस गति से शुरू हुआ था तो आज तक यह पोर्शन पूरा-का-पूरा नेरचौक से लेकर कीरतपुर तक पहुंच जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी यह भी प्राथमिकता है कि यदि यह बड़ा पोर्शन सड़क का बनता है तो उसके कारण बहुत बड़ा सड़क मार्ग से जाने का जो लम्बा रास्ता है उससे हमें निज़ात मिलेगी। हमें स्वारघाट से हो करके जाना पड़ता है लेकिन जब ये फोर लेन बन करके तैयार हो जाएगी उससे चण्डीगढ़

आने-जाने की बहुत बड़ी दूरी कम होगी। ऐसे सारे प्वाइंट हमने केन्द्र सरकार के समक्ष उठाए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि यह सारा मामला व्यक्तिगत रूप से केन्द्रीय मंत्री के ध्यान में है। उन्होंने कहा है कि हम जल्दी-से-जल्दी इसका समाधान निकालेंगे। उस दृष्टि से यह काम जिस कम्पनी को दिया था, उस कम्पनी से वापिस ले कर अलग व्यवस्था के अनुसार काम करने की आगे के निर्णय की प्रक्रिया जारी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सड़क का एक पोर्शन हमारे माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र से जाता है और इस मामले को प्रमुख रूप से नियम-62 के अन्तर्गत उठाया गया है । उसमें जिक्र वही है कि फोर लेन परियोजना से स्थानीय निवासियों को नुकसान व असुविधा हो रही है। उसमें खासतौर से यह जिक्र किया गया है कि जो ऋषिकेश, हीरापुर, दहलाजटां व औहर ग्राम पंचायतें हैं, वह फोर लेन इन पंचायतों के बीच से गुजरती है।

12.12.2018/1230/SS-YK/1

वहां के लोगों को इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत जल्दी हम इसमें कोशिश करेंगे। **इस संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आगे काम करने की दृष्टि से कोशिश करके जो भी इसका रास्ता निकल पायेगा, उसको पूरा किया जायेगा।**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को नोटिफिकेशन का एक रैफरेंस देना चाहता हूं। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का नोटिफिकेशन 4.12.2018 को किया गया है, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं। The Government of Himachal Pradesh is pleased to constitute a

District Level Committee to redress the grievance of four lane effected persons. The Committee will be consisting of following persons:-

उसमें जो कंसर्नड डिप्टी कमिश्नर, बिलासपुर हैं, वे उसके चेयरमैन होंगे। उसके साथ-साथ फिर एग्जिक्यूटिव इंजीनियर मेम्बर्ज़ होंगे। उसके साथ-साथ आर0ओ0, एन0एच0ए0आई उसके मेम्बर होंगे। Besides two Members of the Samiti to be appointed by the Deputy Commissioner. वे भी कमेटी में शामिल होंगे। उसमें मेम्बर सैक्रेटरी, उस एरिया से संबंधित एस0डी0ओ0 (सिविल) होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा था कि उनके क्षेत्र में इस तरह की असुविधा लोगों को आने-जाने की दृष्टि से न हो। वहां कई प्रकार से खतरा बना हुआ है। इनका विशेष आग्रह था कि कमेटी गठित करके जल्दी-से-जल्दी वहां के लोगों की समस्या के समाधान की दृष्टि से कुछ कदम उठाए जाएं। **उस संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूं कि कमेटी के माध्यम से हम आदेश करेंगे कि कमेटी जल्दी-से-जल्दी इन प्रभावित पंचायतों के लोगों की समस्या के समाधान की दृष्टि से कदम उठाए। उसके साथ-साथ प्रदेश सरकार को जो भी उसमें आवश्यक कार्रवाई करनी उचित लगेगी, वह की जायेगी ताकि लोगों को आने-जाने में कोई भी असुविधा न हो। उनका जीवन सुरक्षित**

12.12.2018/1230/SS-YK/2

हो। उनकी सम्पत्ति को नुकसान न हो। उसके साथ-साथ वहां पर सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से संचालित हों, वे सड़क के कारण प्रभावित न हों, इस बात को सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की जायेगी। यही मैं माननीय अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं।

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना

अध्यक्षः अब सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना होगी। अब माननीय मुख्य मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी, यह डिस्कशन पर आयेगा। अभी तो बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है। Day after tomorrow it will be on discussion.

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मन्त्री स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 12) पुरःस्थापित हुआ।

12.12.2018/1235/केएस/वाईके/1

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करेंगें।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 13) पुरःस्थापित हुआ।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरःस्थापित करेंगें।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 14) पुरःस्थापित हुआ।

अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करेंगें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 11) पुरःस्थापित हुआ।

<u>नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः अब नियम 130 के अंतर्गत श्री राकेश पठानिया प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें। इस विषय में श्री बलबीर सिंह, श्री बिक्रम सिंह जरयाल और श्री परमजीत सिंह से भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे भी चर्चा में भाग ले सकेंगें।

श्री राकेश पठानियाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि नियम-130 के तहत मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "प्रदेश की नौजवान पीढ़ी में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति को रोकने हेतु यह सदन विचार करे।"

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "प्रदेश की नौजवान पीढ़ी में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति को रोकने हेतु यह सदन विचार करे।"

12.12.2018/1240/av/ag/1

इसमें तीन अन्य माननीय सदस्यों के नोटिसिज भी हैं तथा मेरे पास इसमें भाग लेने के लिए और लोगों की सूचनाएं भी आई हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि प्रस्तावक अपनी बात दस मिनट में समाप्त करें। शेष सदस्य 5-7 मिनट में अपनी-अपनी बात कहें ताकि माननीय मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर दे सकें। इसके पश्चात नियम 130 के अंतर्गत एक और विषय आज की ही सूची में लगा हुआ है।

श्री राकेश पठानिया (नूरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 130 के अंतर्गत हम जो विषय लेकर आए हैं इसमें आपका आदेश सर-मत्थे है। मगर यह विषय बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण है। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आता हूं वहां इस बीमारी ने हमें इस तरीके से लपेट लिया है कि हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि इसको कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि आप हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने सरकार बनने के पहले दिन से ही इस अभियान पर पूरी गम्भीरता से काम करना शुरू कर दिया। आप अपने लगभग हर भाषण में इस विषय को टच करते हैं और चर्चा करते हैं कि नौजवान पीढ़ी को नशे से कैसे बचाया जाए। I personally feel that this is a good step. यह बहुत ही प्रशंसनीय कदम है जो हमारे मुख्य मंत्री जी ने उठाया है लेकिन मैं समझता हूं कि यह अभी बहुत कम है। A lot more can be done towards this. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह आग्रह है कि हम इस मुद्दे को प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहहेंगे। मेरा यह निवेदन भी रहेगा कि चर्चा के दौरान माननीय मुख्य मंत्री महोदय को डिस्टर्ब न किया जाए क्योंकि यह विषय प्रदेश की आने वाली पीढ़ी के भविष्य से सम्बंधित है। जिस तरीके से यह नशा हमारे पूरे सिस्टम में आ रहा है, I think we are still not competent to fight this menace. हम लोग क्योंकि पंजाब के बोर्डर पर रहते हैं तो हमें एक बहुत बढ़िया बहाना है कि यह नशा पंजाब से आ रहा है। मगर जो लोग पंजाब में रहते हैं वे कहां से आए हैं? वे भी तो हमारे ही देश के लोग हैं। मुझे एक आर्टिकल में यह पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस देश की युवा पीढ़ी को खोखला करने के लिए नशे के रूप में एक बहुत बड़ा षड़यंत्र रचा जा रहा है। इसका जो ऐपिक सैंटर है वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। यह ड्रग्ज इस देश में एक बहुत बड़ी साजिश के रूप में आ रही है। इस देश में सबसे पहला हमला इसका पंजाब में हुआ। जब यह हमला पंजाब में हुआ तो पूरा पंजाब बुरी तरह से इस नशे के शिकंजे में आ गया और पंजाब बर्बाद होना शुरू हो गया। पिछली सरकार वहां पर नशे के बलबूते पर सत्ता में आई। आज भी मैं देख

रहा हूं कि जैसे-जैसे वहां नशे पर शिकंजा कसा जा रहा है यानी जैसे-जैसे वहां पर प्रैशर बिल्ड हो रहा है और पंजाब पुलिस वहां पर ऑपरेशन चला रही है, Himachal Pradesh becomes an easy target. हिमाचल प्रदेश में इनफिल्ट्रेशन बढ़ रही है। मैं यहां पर आपके सामने एक कम्पेरिजन स्टेटमैंट रखना चाहूंगा। हमारे सबडिविजन में दो बड़े थाने आते हैं। एक नूरपुर का थाना तथा दूसरा इंदौरा का थाना है। इंदौरा के थाने में एक इनस्पैक्टर की अध्यक्षता में 30 जवान तैनात है। नूरपुर के थाने में एक इनस्पैक्टर की अध्यक्षता में 36 की नफरी मौजूद है। इसके अलावा पूरे जिला कांगड़ा के अंदर हमारे पास 21 पुलिस स्टेशन व 28 पुलिस पोस्टें हैं और इनमें कुल मिलाकर 1400 जवान तैनात है। जबकि पंजाब के पास क्योंकि हमारे बोर्डर के साथ लगता पठानकोट एक जिला है और वहां की फोर्स की संख्या 1900 से ऊपर है। उनके पास व्हिकल्स की केपेसिटी हमारे से 6 गुणा अधिक है।

12.12.2018/1245/TCV/AG/1

उनके पास बोर शैल्ज हमारे से दस गुणा ज्यादा है। ये जब हमारे ऊपर हमला करते हैं तो हमारे लोग इसका मुकाबला करने के लिए कंपीटेंट नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाह रहा हूं। अभी तक इंदौरा और नुरपूर में कुल 345 एफ0आई0आर्ज0 दर्ज़ हैं और इनको निपटाने के लिए 66 लोग कार्यरत हैं। इन पुलिस के कर्मचारियों की 4-4 दिन तक वर्दी ही नहीं खुलती है। इनके पास न तो कोई मोटर साइकिल है और न ही कोई गाड़ी है। 15-15 साल की लड़कियां मोटर साइकिल व स्कूटियों के ऊपर आती है और उन्होंने हैलमेट के अंदर 100-200 ग्राम नशे का सामान डाला होता है। वहां पर पुलिस वालों के पास स्निफर डॉग्ज भी नहीं है। मुझे यहां पर बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन 4-5 दिन पहले की बात है, पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़का मोटर साइकिल पर आ रहा है और उसके पास 20 नशेदार कैप्सूल हैं। जब उस लड़के को पकड़ा गया तो the information was right but they could not recover anything. उसके सारे कपड़े उतार दिए लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं मिला। फिर अस्पताल में जब उसका चैकअप करवाया

गया तो उसके पीछे की जगह से वे 20 कैप्सूल मिले and to this level they are well-planned. इस तरीके से विरोधी हम पर हमला कर रहे हैं और हमारी तैयारी नहीं है। We are not sufficiently equipped although our boys are working day and night. हम दिन-रात उसके लिए काम कर रहे हैं लेकिन हमारे लोग उसके लिए तैयार नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि we have to strengthen up our police for declaring a war on drugs. हमें एक युद्ध छेड़ना पड़ेगा और वह युद्ध पुलिस विभाग के माध्यम से नहीं छेड़ा जाएगा but the war has to declare from all departments together. Let us make a pledge in Himachal Pradesh that we are declaring a war on drugs. अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि दूसरे-तीसरे दिन जब मैं घर जाता हूं तो कई माताओं के मुझे फोन आते हैं। उन 16-17 साल के बच्चों को रस्सी के साथ पेड़ से बांध कर उसकी टांगों की चमड़ी लाल कर देते हैं लेकिन वह लड़का उसके बावजूद भी नहीं मानता है और यदि छूट जाये तो 4-4 दिन तक हमारे हाथ नहीं आता है। हम उनको थाने में लेकर जाएं तो थानेदार कहता है कि मैं इसको कितने दिन तक यहां पर रखूंगा। How long will he keep him there? ड्रग्ज़ इडिक्शन सेंटर में हमारे पास स्टॉफ नहीं है। हम उस नौजवान को कहां छोड़कर आएं। इस प्रकार की समस्या हमें आये दिन आती रहती है। We are unable to face this battle. We are unable to fight this war. A war has been declared by the drug lords on us. आज पता नहीं कैसे-कैसे नशे आ गये हैं। एक स्कूल के प्रिंसिप्ल मुझे बता रहा थे कि एक डडू (मेंढ़क) के साथ स्कूल में छात्र खेल रहे थे। जब उनको प्रिंसिप्ल ने कहा कि अंदर आएं तो वे 6 छात्र उनको ही मारने पड़ गये। उनमें से एक छात्र ने बताया कि जब वह मेंढ़क थक जाता है तो उसके माथे पर जो पसीना आता है, वे उसको चख लेते हैं और शराब की आधी बोतल के बराबर का नशा हो जाता है। आज ऐसे-ऐसे नशे यहां पर आने शुरू हो गए हैं। पहले ये नौजवान जूतों का पॉलिश व नशे की गोलियां खाते थे लेकिन अब जो ड्रग्ज का रिफॉर्म आ रहा है, माननीय सदस्य श्रीमती रीता देवी के गांव छैनीबेली से मोटर साइकिल पर हमारे यहां ब्लैडर आया करते थे और पुलिस वाले उनको पकड़ते थे। जब हम कोर्ट में जाया करते थे तो पूरे-का-पूरा कोर्ट का बरामदा इलिसिट ब्लैडर लीकर के साथ भरा होता था। लेकिन वे आजकल नज़र नहीं आते हैं क्योंकि इलिसिट शराब का काम क्यों करें जबकि एक छोटे-से

कागज के टुकड़े में लाखों का काम हो जाता है। उन लोगों ने 3-3 किलोमीटर तक अपने घरों के ऊपर सी0सी0टी0 कैमरे लगाये हुए हैं। They have a complete racket. They are organized gang. जब हमारी पुलिस की गाड़ी जाती है तो उनको एक घण्टा पहले पता लग जाता है। पंजाब पुलिस में इन लोगों ने दलेबाज़ रखे हुए हैं। They pay them monthly. जब उनको महीना मिलता है तो वे पहले पता लगा लेते हैं कि ज्वाइंट रेड कब पड़नी है? हिमाचल और पंजाब पुलिस ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 6 बार रेड़ मारी लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। क्योंकि हमारे लोगों ने उनको पहले ही बता दिया था कि किस दिन और किस समय पुलिस की रेड पड़नी है। ---(व्यवधान)--- सब कुछ इसके बीच में आ गया है, चाहे वह चिट्टा हो या कोई अन्य नशा। Everything is part of the package. अध्यक्ष महोदय, चिट्टा तो मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदय के माध्यम से ही सुना था।

12-12-2018/1250/NS/DC/1

जिस लड़के ने इसको तीन बार चख लिया, इसके बाद तो भगवान ही उसे बचाए। There is no de-addiction centre in the Country which can save that young boy. आने वाले दिनों में भर्ती के लिए दौड़ लगाने के लिए लड़के नहीं मिलेंगे। Hon'ble Speaker, Sir, there is need to declared a war against this. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दिनों विधान सभा समिति को बनगढ़ में सैकेंड बटालियन के दौरे पर ले करके गया था वहां पर सैकेंड बटालियन के कमांडेंट ने हमें कहा कि हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं और हमारी समिति में शामिल सात विधायकों ने इसको देखा। वहां पर पुलिस के नौजवानों ने ड्रग्ज के ऊपर जो शो किया, जो स्किट दिखाया, आप जब 15 अगस्त को इन्दौरा में दौरे पर आए थे, तब भी उन पुलिस वालों ने यह स्किट किया था और it was so amazing. वह स्किट देख करके हमारे बाल खड़े हो गए। ऐसा स्किट हमारी पुलिस बटालियन वाले कर सकते हैं तो why can't the Public Relation Department do it; why can't other people do it; why can't we have college teams doing it; why can't we have people going to the school and do it; and why can't we go to the universities and do it. Why don't we make it mandatory syllabus of our curriculum? हम लोग डोप टैस्टिंग विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं करते? रैंडमली चैक करो, +2 के विद्यार्थियों का

खून टैस्ट करवाओ, we should go and do the dope testing. इनके खून टैस्ट होने चाहिए। लेकिन खून टैस्ट करने के लिए सुविधायें ही नहीं हैं। It is a very costly test but we can subsidize it; and we can go in advance way to do it. जब तक युद्ध नहीं छिड़ेगा, तब तक नौजवान इस बात से नहीं डरेंगे और यह नशा बढ़ता ही रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल क्या सिस्टम है? Today it is a chain system. आजकल एक लड़का चेन में दस लड़कों से जुड़ा हुआ है। उसको जब चार पुड़ियां मिलती हैं तो वह तीन पुड़ियां सप्लाई करता है और चौथी पुड़ी खुद उसके लिए होती है। क्योंकि उसने खुद शाम को नशा करना होता है और वह नशे के बिना नहीं रह पाता। मैंने ऐसा खुद पुलिस चौकी में जा करके देखा है। जिन बच्चों को पुलिस पकड़ कर अंदर करती है, वे रात को कैसे तड़पते हैं। I have seen it with my own eyes. जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है वैसे ही ये लड़के पुलिस चौकी के अंदर तड़पते हैं कि उनको एक बूंद चिट्टे की मिल जाए। ऐसा देख कर हमें रोना आता है। हमारे भी जवान बच्चे हैं। I have a son and a daughter of 28 years old. हमें उन बच्चों को देख करके तरस आता है कि यह हमारे समाज और भविष्य के साथ क्या हो रहा है? हमारी नई पीढ़ी के साथ क्या हो रहा है? It is pathetic. वहां पर बहुत बुरा हाल है। मैं चाहूंगा कि सरकार केवल इस बात के ऊपर चर्चाएं न करे, ग्राम पंचायतों में पुलिस वालों की कमेटियां बना करके काम चलने वाला नहीं है, it is no solution. नशे के खिलाफ आप जो ड्राइवज़ लांच कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, it will only remain on the paper and nothing will come on the ground. धरातल पर लड़ाई तभी छिड़ेगी जब इसको लड़ा जाएगा और लड़ा तब जाएगा जब माननीय जय राम जी की अध्यक्षता में सरकार इसको लड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है, अगर यह लड़ाई अभी नहीं लड़ी गई तो यह लड़ाई कभी नहीं लड़ी जाएगी। इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह युद्ध हर क्षेत्र में लड़ा जाए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा पुलिस विभाग को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। There has to be a strategy among all the departments. You cannot depend only on the Police Department to do it. पुलिस विभाग ने और भी काम करने हैं, शाम को राजस्व का कोई मामला आ रहा है, कहीं गांव में सिर फट रहा है या झगड़ा हो रहा है, किसी के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है

और सौ किस्म की एफ0आई0आर0 लोज़ हो रही हैं तथा पुलिस विभाग में चार पुलिस वाले कार्यरत हैं। ये पुलिस वाले कहां-कहां जाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे मेरा ही विधान सभा क्षेत्र नूरपुर है और कांगड़ा इतना बड़ा जिला है। ऐसा नहीं चलेगा। Administratively it is not possible to fight against this battle like this. You have to have Nurpur as another police district as like Baddi Barotiwala. It has to be strengthened up और स्ट्रैंथन अप के साथ-साथ में आपको इस ड्राइव को धरातल पर उतारना पड़ेगा। इसके लिए आपको स्निफर डॉग चाहिए। आपको हर स्कूल और कालेजों में इस नशे के खिलाफ कार्यक्रम करने पड़ेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मैं इस विषय पर बोलना चाहूं तो मुझे बोलने के लिए दो घंटें का समय चाहिए। आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं और मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया है। यह विषय मेरे विधान सभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आप यहां आ करके मेरे क्षेत्र के लोगों को पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब विभाग यह ड्राइव प्लान करता है तब MLAs are not consulted. जन प्रतिनिधि को नहीं पूछते हैं। आपके विभाग को इतना पता नहीं होता है जितना हमें पता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि चिट्टा कहां बिक रहा है और कहां पर क्या हो रहा है? But you have never bothered to take Public Representative into confidence, तभी आप विधायक को विधायक नहीं समझते हैं। आपने कभी पूछने का प्रयास भी नहीं किया है। क्योंकि जनता की इनपुट्स हमारे पास हैं, वे आपके पास नहीं हो सकती हैं। इसका बेस्ट पार्ट यह है कि इसमें करप्शन भी इन्वॉल्व हो जाती है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि जब माल पकड़ा जाता है तो इसके लिए कितना विद्रोह होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत सारे पहलू हैं, जिनको डिस्कस करना पड़ेगा और आपको thresh up करना पड़ेगा। You have to come to a consensus; you have to be very clear on your favour; and you have to be very clear in your mind कि हां, यह युद्ध है और इस युद्ध को ऐसे लड़ा जाएगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि this issue is very sensitive. आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी निवेदन करूंगा कि कृपा करके हिमाचल के नौजवानों को बचाईए।

12.12.2018/1255/RKS/DC-1

अध्यक्षः अब इस विषय पर माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह जी अपनी बात रखेंगे।

श्री बलबीर सिंह (चिंतपूर्णी)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, ड्रग माफिया दो कारणों से ज्यादा पनप रहा है। पहला कारण यह है कि जो लोग ड्रग माफिया से जुड़े हुए हैं वे रातों-रात अमीर बनना चाहते हैं और इस धंधे को अपना लेते हैं। दूसरा मुख्य कारण यह है कि जब सरकार की तरफ से राजनीतिक संरक्षण उन लोगों को मिलता है तो वे लोग छोटे-छोटे गांव के भोले-भाले व गरीब बच्चों को अपनी जाल में फंसाते हैं। भले ही सरकार कोई भी हो अगर उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो ड्रग माफिया पर काबू पाया जा सकता है। ड्रग माफिया पर नकेल कसकर प्रदेश को नशे से छुटकारा मिल सकता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इसकी शुरूआत की और इसकी रोकथाम के लिए एक अच्छा विधेयक लेकर आए। जैसे ही श्री जय राम ठाकुर जी मुख्य मंत्री बनें, इन्होंने बाहर से आने वाले नशे को रोकने के लिए दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की ताकि प्रदेश के नौजवानों को नशे से बचाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं चिंतपूर्णी विधान सभा से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि चिंतपूर्णी निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का जीतना आसान नहीं था। क्योंकि जब पिछली बार मुझे चिंतपूर्णी निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया गया था तो वहां पर भाजपा 16000 वोटों से पिछड़ गई थी। इससे पहले जो मंत्री थे वे साढ़े बारह हजार वोटों से पिछड़ गए थे। लेकिन इस बार मैंने लोगों से वायदा किया था कि मैं ड्रग्स माफिया के साथ जुड़े हुए लोगों पर नकेल कसने का काम करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पिछले पांच वर्षों में गांवों में जाकर उन दुःखी लोगों की व्यथा को सुना है जिनके बच्चे बिगड़ गए थे या नशे की लत में पड़ गए थे।

अम्ब बाजार एक बड़ा बाजार है। वहां पर गांवों से लगभग 2,000 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। वहां पर एक व्यक्ति जो चाय का काम करता है और साथ में उसने वहां पर दो समोसे भी रखे होते हैं। लेकिन उसका सारा दिन एक भी समोसा नहीं बिकता। पिछली

सरकार के समय वह वहां पर नशे के कैप्सूल बेचता था। जब हमने इसके विरुद्ध शोर किया तो पुलिस ने उसकी दुकान में रेड की। पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं परंतु जब केस बनता है तो वह मात्र 20-25 कैप्सूल का बनाया गया। कोकीन जिसे देशी भाषा में चिट्टा कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति एक मिलीग्राम कोकीन पी ले तो वह इसका आदि हो जाता है। हमने हिमाचल प्रदेश में चिट्टे का नाम कभी नहीं सुना था। वह चिट्टा कहां से आया ? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछली सरकार के दौरान एक लड़का था जिसे राजनीतिक संरक्षण था और वह विश्राम गृह में बैठकर चिट्टा बेचता था। मैंने इसके विरुद्ध शोर मचाया, नारेबाजी की तब जाकर उसे पुलिस ने पकड़ा। पुलिस उससे 500-500 ग्राम के दो पैकेट पकड़ती है लेकिन साढ़े चार ग्राम का केस बनाकर उसे कोर्ट भेजा गया। नशे पर नकेल कसने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी एक अच्छा विधेयक लेकर आए हैं। अब चाहे एक ग्राम हो या दो ग्राम, जो गलत है उसे हमें पकड़ना चाहिए और इसके लिए आपने अच्छी शुरूआत की है। माननीय अध्यक्ष जी, आज यहां पर पूर्व मुख्य मंत्री उपस्थित नहीं है। कांग्रेस के लोग बड़े जोर से कहते हैं कि वे 6 बार के मुख्य मंत्री हैं। इस प्रदेश में अगर नशे का कारोबार पनपा है तो इसका मुख्य कारण पूर्व मुख्य मंत्री ही है। कांग्रेस के लोगों को जो लड़के व्यर्थ लगते थे, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं था उन्हें यह कहा गया कि एन.एस.यू.आई. से जुड़ जाओ।

12.12.2018/1300/बी.एस./एच.के./-1

जब वह एन. एस.यू. आई. से जुड़ गया तो उसने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है । उससे कहा गया, पैसा कमाने के लिए नशा बेचो, धंधा करो । ये लोग इस तरह के गैर कानूनी कार्य करते रहे हैं। वहां जिला ऊना में एक लड़का अमरीष राणा आज भी जेल में है। उसने धर्मशाला की जेल में कत्ल किया, ऊना की जेल में कत्ल किया और कण्डा की जेल में भी 3-4 कल्त किए हैं। वह जहां-जहां भी जिस जेल में गया वहीं कत्ल कर देता है । मैं उस लड़के को बचपन से जनता हूं, वह इस तरह की अपराधिक छवि का नहीं था। जब से

राजा वीरभद्र सिंह से जुड़ा इन्होंने एन.एस.यू.आई. से जोड़ा और उसने यह कारोबार शुरू कर दिया। अब लड़के की जिंदगी भी बर्बाद, उसके माता-पिता की जिंदगी भी बर्बाद, सारे-का-सारा परिवार बर्बाद कर दिया गया। इतना ही नहीं नेता प्रतिपक्ष बड़े जोरदार ढंग से अपने लिए हर अच्छी चीज का श्रेय लेना चाहते हैं। पिछले कल भी वे श्रेय लेना चाहते थे परंतु उन्हें समय नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, चिट्टा अगर प्रदेश में शुरू किया है तो इन्होंने अपने क्षेत्र से शुरू किया है, अगर आज पूरे हिमाचल प्रदेश में चिट्टे का व्यापार बढ़ा तो कांग्रेस के लोगों ने उनको सरंक्षण दिया। इसलिए आज हरोली विधान सभा चुनाव क्षेत्र इस स्थिति में है। अध्यक्ष महोदय, आज चिट्टे के खिलाफ माननीय मुख्य मंत्री जी ने कड़ा कानून बनाने का प्रयास किया है और लगातार नशे के खिलाफ प्रसास कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन्हें अवश्य इस कार्य में सफलता प्राप्त होगी । हमारे लोक सभा चुनाव क्षेत्र हमीरपुर में आदरणीय सांसद अनुराग ठाकुर जी ने "सांसद स्टार कुंभ" के माध्यम से हमने कोशिश की है कि जो बच्चे पढ़े-लिखे हैं परंतु अभी नौकरी पर नहीं लगे हैं उनका ध्यान नशे की तरफ न जाए। इस कार्य की हमने शुरूआत की है। जिला ऊना के हर विधान सभा क्षेत्र से लगभग 2-2 हजार बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग ले करके नशे को नकारा है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा, अभी पिछले दिनों मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में आए थे। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष बात रखी कि मैंने लोगों से वायदा किया है कि आपके बच्चों को रोजगार देने की कोशिश करूंगा यदि रोजगार नहीं भी दे सका तो आपके बच्चों को एक नशा मुक्त वातावरण प्रदान करूंगा। इन्होंने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना और मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में 3 करोड़ रुपये का एक इंडोर स्टेडियम मंजूर किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय यही एक रास्ता है जिससे हम अपने बच्चों को रशे से बचा सकते हैं। हमें स्वयं भी इन बातों पर खरा उतने की कोशिश करनी चाहिए। मात्र बात कह देने से बात नहीं बनेगी। हमें समाज को भी जागृत करना होगा। मैं तो हर जगह प्रयास करता हूं, जहां भी जनसभा में जाता हूं नशे के खिलाफ लोगों से बाते करता हूं। मैं लोगों को कहजस हूं कि आप अपने

बच्चे पर अवश्य नजर रखिए कि वह कहां जा रहा है किससे बातें कर रहा है, शाम को कब घर आता है ? जब हम इन सभी बातों को समाज में ले करके जाएंगे तो मुझे लगता है कि नशे पर अवश्य प्रहार होगा। जो नशे के व्यापार के जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर भी नकेल कसी जाएगी। अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए अपराह्न 2:10 बजे तक स्थगित की जाती है।

12/12/2018/1410/RG/YK/1

(विधान सभा की बैठक दोपहर के भोजन के उपरांत पुनः आरम्भ हुई।)

अध्यक्ष : अब इस विषय में श्री बिक्रम सिंह जरयाल जी अपना पक्ष रखेंगे।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल(भटियात) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो नियम-130 के अन्तर्गत "प्रदेश की नौजवान पीढ़ी में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति को रोकने हेतु' प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए लाया गया है", यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझसे पूर्व वक्ताओं श्री राकेश पठानिया जी और श्री बलबीर सिंह जी ने भी इस बारे में अपने क्षेत्र और प्रदेश की बहुत चर्चा की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और पंजाब के साथ लगता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सात चुनाव क्षेत्रों के साथ भी लगता है। यहां सबसे ज्यादा समस्या पुलिस फोर्स की कमी की है। हमारे यहां मात्र दो थाने हैं, एक डलहौजी के क्षेत्र को कवर करता है, एक खैरी और एक चुवाड़ी में है। वहां की जनसंख्या के अनुसार जो जवान या पुलिस के अधिकारी वहां होने चाहिए, वे वहां नहीं हैं। क्योंकि

12/12/2018/1415/MS/YK/1

नुरपूर, जम्मू-कश्मीर और पंजाब से पर्यटकों की काफी गाड़ियां वहां आती हैं और इसके अलावा जोत, चम्बा और खजियार के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र से होकर लोग जाते हैं। पहले इस तरह के नशे होते थे कि किसी ने बूट पॉलिश खा लिया या लम्बे अर्से से जुराब पहन रखते थे, उससे नशा लेते थे लेकिन अब कई प्रकार के नशे हो गए हैं जिनको ले जाना भी बहुत आसान हो गया है। चम्बा जिला में सबसे ज्यादा केसिज भांग के होते हैं। भांग बेचने में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के युवक भी पकड़े जाते हैं। इसलिए इसके लिए हमारे पास एक स्पैशल टास्क फोर्स होनी चाहिए। जैसे फ्लाइंग स्क्वाड होता है वैसे ही पुलिस में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। राकेश पठानिया जी ने सही कहा कि जब तक पुलिस को सूचना देते हैं तब तक नशे का कारोबार करने वाला आदमी 100 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है और पुलिस वहां बाद में पहुंचती है। इसलिए हरेक विधान सभा क्षेत्र में जहां पर ड्रग्स की अति-संवेदनशीलता हो, वहां इसके लिए एक स्पैशल दस्ता होना चाहिए। यहां पर डी0जी0पी0 साहब भी बैठे हुए हैं मेरा इनसे भी अनुरोध रहेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नशे की रोकथाम हेतु गतिशीलता लाई जाए। इसके अलावा जो मेरी पुलिस चौकी सिंहुता है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। वह चौकी वर्ष 1967 में थाना हुआ करती थी। बाकी चीजों को अपग्रेड किया जाता है लेकिन उस थाने को डि-ग्रेड करके चौकी बना दिया गया। इसलिए मेरा अनुरोध है कि उस चौकी को थाना बना दिया जाए ताकि वहां पुलिस की स्ट्रैंथ बढ़े और इन चीजों पर रोक लगे।

मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अच्छे वाले सी0सी0टी0वी0 अपनी विधायक निधि से देने की भी हमें छूट प्रदान की है और हमने पुलिस विभाग को इसके लिए 5-5 और 6-6 लाख रुपये दिए भी हैं। क्योंकि जो पुराने कैमरे थे उनमें पकड़ी गई गाड़ी का नम्बर पढ़ा ही नहीं जाता था। उन कैमरों में गाड़ियों की तस्वीर बिल्कुल धुंधली नज़र आती थी और पता ही नहीं चलता था कि गाड़ी का क्या नम्बर है। मैं चाहता हूं कि ऐसे विधान सभा क्षेत्रों में जहां भागने के रूट हैं, वहां पर ये कैमरे लगाए जाएं ताकि इससे डर पैदा हो। जैसे अभी मुख्य मंत्री जी ने नया कानून लाया है, उसके लिए मैं

धन्यवाद करता हूं और मुझे उम्मीद है कि उससे ड्रग्ज माफिया डर के मारे थोड़ी कम गतिविधि करेगा और उसको आने-जाने के लिए मुश्किल हो जाएगी।
मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज हमारी कोई भी ऐसी चाय की दुकान नहीं है जहां पर शराब नहीं बिकती है। अगर आप शाम के समय देखो तो इन दुकानों में नशेड़ी बैठे होते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं 8-10 दिन पहले की एक बात बताता हूं। सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग में मेरा एक जे0ई0 था। मैं उस ऑफिस में किसी काम से गया था और मैंने उन जे0ई0 के बारे में पूछा तो मुझे बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है। मैंने पूछा कैसे तो मुझे बताया गया कि वे शराब पीते थे इसलिए उनका लिवर खराब हो गया है। काफी लोग हैं जो हर समय शराब में डूबे रहते हैं क्योंकि यह हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अगर शराब कहीं दूर जाकर उपलब्ध होगी तो कम-से-कम आदमी को वहां पहुंचने के लिए समय तो लगेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज लगभग हर चाय की दुकान पर यह उपलब्ध है। इसलिए मेरा पुलिस विभाग के जो अधिकारी यहां बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा उन जगहों को चैक करें और खासतौर पर जो कॉलेज और जमा-दो स्कूल्ज हैं वहां इन संस्थानों के बाहर स्थित दुकानों में हरेक प्रकार का नशा उपलब्ध है। वहां सिगरेट में भांग भरकर रखी होती है और जब भी कोई विद्यार्थी आता है तो उसको वे एक सिगरेट पकड़ा देते हैं और वह किनारे में जाकर उसको पीकर आ जाता है। इसलिए हमें इस चीज के लिए सक्रिय होना पड़ेगा ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी बर्बाद न हो। जब नौजवान नशे में पड़ जाएंगे तो फौज और पुलिस विभाग में भर्ती होने के लिए हमारे पास स्वस्थ नौजवान नहीं रहेंगे।

इसी तरह मेरे चुनाव क्षेत्र बकलोह का एक जीता-जागता उदाहरण है। एक अंश ठाकुर नाम का लड़का है जिसकी उम्र केवल 21 वर्ष है। उसको घर पर जंजीरों से बांधकर रखा होता है। वह लड़का नशा करता था। उसकी मां बूढ़ी है और उसके पिता का नाम राज कुमार था जोकि मर चुका है। मैं कुछ दिन पहले वहां गया तो घर के लोग कहने लगे कि इसका हम क्या करें?

12.12.2018/1420/जेके/एजी/ I

अब उसको वह चीज नहीं मिल पाती है और अब वह घर से ही भाग जाता है। इस प्रकार से वह उल्टी-सीधी बातें करना शुरू कर देता है। मैं विभाग से चाहूंगा कि हरेक विधान सभा क्षेत्र में जो भी नौज़वान हैं उनको ऐसी शिक्षा व संस्कार दिए जाएं ताकि वे नशे की ओर अग्रसर न हो सकें। पुलिस विभाग कुछेक कैम्पस लगाता है। स्कूलों में भी पुलिस विभाग कैम्प आदि लगाता रहता है। जहां पर घनी आबादी वाला इलाका है वहां पर भी पुलिस विभाग नाटकों के माध्यम से नौजवान युवकों को जागरुक करते हैं। यह बहुत ही आवश्यक है। यहां पर बलवीर भाई जी ने भी कहा था कि जब तक युवा शक्ति को स्पोर्ट्स की तरफ न लगाया जाए तब तक इस नशे से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। मैंने भी अपने विधान सभा क्षेत्र में ऐलान किया है कि हरेक पंचायतों में जिन युवाओं को जिम का सामान चाहिए, उनको जिम का सामान देंगे। क्रिकेट किट, बास्किट बॉल, बॉलीबॉल या बैडमिंटन आदि चाहिए उनको इस प्रकार का सामान दिया जाए ताकि उनका ध्यान नशे की ओर न जाएं और अपना फ्री टाइम वे अपने खेलों में बिताएं। इससे उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और नशे से भी वे दूर रहेंगे। आदरणीय मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेरे क्षेत्र में चौकी-सिंहूता है वहां पर पुलिस थाना बनाया जाए। वहां पर सबसे ज्यादा जुर्म होते हैं। मर्डर हो, चोरी हो या ड्रग्ज़ माफिया हो, इसका सबसे ज्यादा काम वहां पर होता है। यहां पर डी0जी0पी0 साहब को एक बात बताना चाहता हूं कि पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारियों को जब किसी चीज की इन्फोर्मेशन दी जाती है कि फ्लां नम्बर की गाड़ी जा रही है उसको चैक करो। उससे पहले ही उस गाड़ी वाले को फोन कर देते हैं कि हम आ रहे हैं आप इस ट्रैक से न जाएं । इस बारे में मैं जिला चम्बा में भी कई बार बोल चुका हूं। इस बारे में मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को भी बोल चुका हूं कि ऐसा मत करो। जब तक हम लोग इन चीजों की ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारा जो यह नशे का करोबार है वह बन्द नहीं हो सकता है। शाम 6.00 बजे के बाद देखो कई जगह युवाओं के झुण्ड के झुण्ड बैठे होते हैं। उन्होंने मोटर साइकलें और कारें सड़कों के किनारे खड़ी की होती है और वहां पर बैठे होते हैं। उनको भांग का भरा हुआ सिगरेट मिल जाता है। उन्होंने

चिट्टा लिया होता है और उसको पी करके वहां पर बैठे रहते हैं। उस नशे को चैक करके पता नहीं लगता कि इसने कौन सी ड्रग ली है। जबकि शराब का तो पता लग जाता है कि इसने कितना अल्कोहल लिया है। हम लोगों को ऐसे यंत्र भी बनाने चाहिए जिससे यह पता चल पाए कि फ्लां आदमी ने किस प्रकार का ड्रग लिया हुआ है। यहां पर एक बात भाई बलवीर सिंह जी ने बहुत ही अच्छी बताई कि अगर 200 ग्राम ड्रग पकड़ी जाती है तो वह 20 ग्राम ही बताई जाती है। फिर उस केस को कोर्ट में दाखिल किया जाता है। डी0जी0पी0 साहब यहां पर बैठे हैं, ये अपने विभाग को आदेश दें कि जितनी भी मात्रा पकड़ी है वह पूरी मात्रा दर्शाई जाए, क्योंकि जो भांग है यदि वह 50,000/- से कम है तो उस पर सजा होती ही नहीं है और उस आदमी को बेल मिल जाती है और अगर 100 ग्राम से ज्यादा है तो उसको सजा हो जाती है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सी0सी0टी0वी0 कैमरे और स्पोर्ट्स किट देने के लिए हमें अधिकृत किया और उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। जो ये यहां पर कानून लाएं हैं, उससे ड्रग्ज़ माफिया को थोड़ा डर रहेगा। जब सी0सी0टी0वी0 कैमरे लग जाएंगे उससे पुलिस सर्तक हो जाएगी । हरेक विधान सभा क्षेत्र में एक टास्क फोर्स आ गई है तो इससे नशे की काफी रोकथाम हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब इस चर्चा में श्री परमजीत सिंह जी भाग लेंगे। (अनुपस्थित)

अब इस चर्चा में श्रीमती कमलेश कुमारी जी भाग लेंगी।

12.12.2018/1425/SS-AG/1

श्रीमती कमलेश कुमारी (भोरंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत प्रदेश की नौजवान पीढ़ी में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति को रोकने हेतु जो प्रस्ताव इस सदन में माननीय राकेश पठानिया जी, बलबीर सिंह जी, बिक्रम सिंह जरयाल जी व भाई परमजीत सिंह जी ने रखा है, उसमें आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नशा समाज के लिए एक ऐसा खतरा है जो एक नहीं बल्कि क्राइम से जुड़ी हुई अनेक कुरीतियों को जन्म देता है। प्रदेश के युवाओं को नशे के सेवन से बचाने के लिए संस्कारों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। नशीली वस्तुओं के अवैध व्यापार करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सख्ती से करनी चाहिए। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन्होंने सबसे पहले विभिन्न प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों से बैठक भी की और इससे यह लगता है कि इन्होंने हिमाचल में नशामुक्ति की शुरूआत की है। समाजसेवी संस्थाएं बच्चों के माता-पिताओं को जागरुक करने का काम करें। नशे की प्रवृत्ति को रोकना हम सब की जिम्मेवारी है। बच्चों को घर, विद्यालय में संस्कार देने का प्रावधान किया जाना बहुत ज़रूरी है। यदि बच्चों के लिए स्कूलों व विद्यालयों में एन0सी0सी0, स्काउट एंड गाइड, एन0एस0एस0 आदि के कैम्प लगाए जाएं ताकि बच्चों का ध्यान इस तरफ बंटे। मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि प्रत्येक विद्यालय, आई0टी0आई0, कॉलेज, विश्वविद्यालयों तथा छोटे-बड़े सभी शिक्षण संस्थानों के गेट के बाहर नशीली चीज़ें बेचने के गुप्त अड्डे बनाए हुए हैं। इससे हमारे देश के बच्चे छोटी आयु में ही नशीली वस्तुओं के सेवन के आदि बन गए हैं। इस नशे ने अब तक असंख्य घरों के दीपक बुझा दिए हैं। बच्चे मां-बाप, परिवार तथा रिश्तेदारी से दूर अलग ही दुनिया में रह रहे हैं। ऐसे बच्चे नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाले बच्चों से चोरी-छिपे मिला करते हैं, धीरे-धीरे वे स्वयं ही दूसरे बच्चों को भी नशे की चपेट में ले रहे हैं। आम आदमी इसकी गिरफ्त में जकड़ा हुआ है। आजकल नशे की गिरफ्त में सिर्फ युवक ही नहीं बल्कि नवयुवक महिलाएं भी आ चुकी हैं। अगर हम सब चाहते हैं कि नशे से मुक्ति मिले तो हम सब को

मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इन नशीली वस्तुओं के सेवन को बढ़ावा देने के लिए अंतराष्ट्रीय ताकतें भी जुड़ी हुई हैं जो भारतवर्ष को अंदर ही अंदर खोखला करना चाहती हैं। हमें एक अभियान के रूप में काम करने की ज़रूरत है। मोदी जी के युवा भारत को अगर हम जिन्दा रखना चाहते हैं तो युवाओं को नशे के सेवन से बचाना होगा। मैं आज यह कहना चाहूंगी कि चारों तरफ पूरे प्रदेश भर में छोटे-छोटे बच्चे जोकि संस्कारित परिवारों के बच्चे हैं वे भी इस नशे के आदि हो गए हैं। यह नशा एक दिन इस युवा पीढ़ी को खत्म करके हटेगा। मेरा आदरणीय मुख्य मंत्री, जय राम ठाकुर जी से विनम्र निवेदन है कि इस नशे के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है

12.12.2018/1430/केएस/डीसी/1

इसके लिए हम सभी इकट्ठे हो कर एक ऐसा अभियान चलाए, पंचायत स्तर पर विधान सभा में या हमारे अलग-अलग विभागों द्वारा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों में जागरुकता का माहौल बनाया जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का समय दिया, इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद।

अध्यक्षः अब श्री नरेन्द्र ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगें।

श्री नरेन्द्र ठाकुरः आदरणीय अध्यक्ष जी, नारकोटिक्स सबस्टांस के ऊपर पठानिया जी जो नियम-130 के अंतर्गत मोशन लाए हैं, इसके ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष जी, ड्रग्ज़ हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही सैंसिटिव इशू बन चुका है। हम इस सम्बन्ध में बड़ी अलार्मिंग स्टेज से गुज़र रहे हैं। अगर ये ही हालात चलते रहे तो आने वाला समय हमारे लिए आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है और मैं चाहूंगा कि गवर्नमैंट के साथ-साथ जितने भी हमारे सोशल हैल्थ ग्रुप्स या दूसरे ग्रुप्स हैं, इनको भी इस अभियान से जोड़ना चाहिए। नशे की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, इसके क्या हाल है इसको आंकड़ों के रूप में

बताना चाहूंगा। हमारे एक बहुत बड़े मनोरोग विशेषज्ञ हैं, डॉ0 एम.एस. जोशी जी, उन्होंने पीछे कहा था कि जैसे पंजाब के बारे में एक फिल्म बनी, "उड़ता पंजाब" और पंजाब में कोई भी चीज़ अगर पनपती है तो उसको हिमाचल में आने में देर नहीं लगती। "उड़ता पंजाब" की बजाय अगर हम "उड़ता हिमाचल" कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हैरान होंगे कि हमारे हिमाचल का लगभग 40 प्रतिशत यूथ ड्रग एडिक्शन में फंस चुका है और दिन-प्रति-दिन इसकी प्रतिशतता बढ़ रही है और मैं तो यह कहूंगा कि हिमाचल में जो पिछली पांच साल सरकार रही इसने इसको हिमाचल प्रदेश में इज़ी-वे दिया। यह पंजाब से होता हुआ हरोली से निकला और शिमला तक बड़ी जल्दी पहुंच गया। यह सारा का सारा पिछली सरकार का जो हिलडुल रवैया रहा इसके हम आज भुगतभोगी हैं। आजकल चरस के अलावा दूसरा ड्रग्ज़ के रूप में जो बहुत बड़ा प्रयोग किया जा रहा है, जिसको हम हिन्दी में चिट्टा कहते हैं, नौजवानों में इसका बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ किया जा रहा है। अगर हम नेशनल लैवल पर प्रदेश की तुलना करें तो मैं थोड़े- बहुत आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा । हिन्दुस्तान में लगभग 4 हजार किलोग्राम चरस सालाना सीज़ की जाती है और आप हैरान होंगें उसमें से लगभग 500 किलोग्राम चरस हिमाचल में सीज़ सालाना की जाती है और इसमें से 80-90 प्रतिशत कुल्लू के मलाणा नामक स्थान पर सीज़ की जाती है। इनका प्रयोग चाहे चरस, चिट्टा या बाकी नशा है, जो हमारा नौजवान है स्टूडैंट 12-13 साल की उम्र से शुरू हो जाते हैं और 20-22 साल तक के बच्चे इससे ज्यादा इफैक्टिड हैं। अभी चिट्टा तो ऐसा कैमिकल निकला है कि इसमें तो नौजवान ने यहां पर अपने घुटने की टेक दिए हैं। शिमला का एक सैम्पल सर्वे कंडक्ट हुआ है। जिसमें लगभग 10 हजार बच्चे शिमला में स्कूल जाते हैं । 2 हजार बच्चों के ऊपर इसकी सैंपलिंग हुई है तो लगभग 54 प्रतिशत स्कूल जाने वाले बच्चे इसमें लिप्त पाए गए हैं ड्रग्ज़ एडिक्शन में और 24.6 लड़कियां भी इसमें इन्वॉल्व हैं। यह संख्या सिर्फ गवर्नमैंट स्कूलों के बच्चों की ही नहीं है बल्कि इसमें गवर्नमैंट और प्राइवेट स्कूलों में इसकी पार्टिसिपेशन बराबर की है।

12.12.2018/1435/av/dc/1

अभी हाल ही में ऊना के डगोंली में इस वर्ष मई माह में एक 17 साल के बच्चे ने ओवर डोज लेकर अपनी जान दे दी। इस तरह के सेम केसिज हरोली में भी काफी ज्यादा हुए हैं। यहां पर जैसे माननीय सदस्य जरयाल जी ने कहा कि हम गाड़ी में सफर करते हुए कहीं भी जा रहे हों बच्चों के झुंड-के-झुंड सड़क के किनारे कॉमन प्लेसिज पर बैठे अकसर देखे जा सकते हैं। हमारे रिटायर्ड डी0जी0पी0 भण्डारी जी ने यहां तक कह दिया कि इसकी ऑफैंस की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि इस ओर सातवीं और आठवीं क्लास के बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इंदौरा के सहोड़ा गांव में भी एक घटना घटी है जिसमें एक परिवार के इकलौते बेटे ने नशे में अपनी जमीन बेचकर सब कुछ गवां दिया। चूहड़पुर गांव में एक 26 साल के लड़के ने ओवर डोज की वजह से अपनी जान दे दी। इंदौरा में ही एक रिटायर्ड ऑफिसर ने अपनी दो करोड़ रुपये की जमीन बेच दी। ऐसे बहुत सारे केसिज हैं जहां परिवार-के-परिवार बर्बाद हो गये। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा, ऊना जिला में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहां पर प्राइवेट तौर पर 22 रीहेबिलिटेशन सैंटर चले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बनी इस अलार्मिंग सिचुएशन पर अगर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में इसके अन्जाम के बारे में आप खुद अन्दाजा लगा सकते हैं। वर्ष 2018 में ऊना जिला में एन0डी0पी0एस0 के 100 मामले हुए जिसमें 34 मामले चिट्टे के पाये गए। कांगड़ा में पिछले दो वर्षों में 137 मामले, और सोलन में 31 मामले हुए जिसमें एक की मौत हो गई। बद्दी में 7 केसिज हुए और वहां 17 ओवर डोज की वजह से मर गये। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में ड्रग्ज के इस प्रकार के हालात बने हुए हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने ऐक्ट में अमैंडमैंट लाई है। यह एक किस्म से बहुत बढ़िया अमैंडमैंट है। पहले ऐसा होता था कि स्मॉल क्वांटिटी के केसिज में बेल हो जाती थी, उसमें बिना किसी सुनवाई के बेल दे दी जाती थी। मगर अब उसे भी कमर्शियल केटेगरी की तरह जहां पर बेल लेना मुश्किल होता था; अब इन केसिज को भी उसी ढंग से ट्रीट किया जायेगा। मैं समझता हूं कि इसका काफी अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी रहेगा क्योंकि यह जो ऐक्ट लाया गया है इसमें जो स्मॉल क्वांटिटी के साथ ऐडिक्ट लोग बीच में पकड़े जायेंगे जो कि कन्जम्पंशन के लिए अपने पास 3-3, 4-4 ग्राम रखते हैं, उनको जेलों में रखना मुश्किल हो जायेगा। इसलिए उनको

ट्रीट करने के लिए कुछ अलग से प्रावधान किए जाएं। इसके अतिरिक्त स्कूलों में योगा और मोरल ऐजुकेशन को जरूरी कर दिया जाए। अगर योगा को भी दूसरे खेलों की तरह रिकोग्निशन मिल जाए तो इस तरफ काफी संख्या में बच्चे अट्रैक्ट होंगे। ड्रग्ज से छुटकारा पाने में सबसे ज्यादा हैल्पफुल योगा हो सकता है। यहां पर जैसे पठानिया जी ने कहा कि हमारी पुलिस को भी इसके रूट्स का पता होता है तथा विधायकों को भी इस बारे में काफी ज्यादा सूचना होती है कि सप्लायर कौन है या कहां से सप्लाई होती है। इसलिए रूट्स की मोनिटरिंग बहुत प्रभावशाली होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार सोशल हैल्प ग्रुप और पब्लिक की सहायता लेकर बच्चों को इस सिचुएशन से निकाल सकती है। यदि इस बारे में सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो हमें भविष्य में इसका बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपनी बात जल्दी समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र ठाकुर : हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने सरकार के बनते ही इस पर काफी इफैक्टिव काम शुरू किए हैं। इन्होंने हमारे प्रदेश के साथ लगते दूसरे राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक करके इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। मगर इसमें जो सफलता मिलनी चाहिए वह अभी तक नहीं मिल रही है।

12.12.2018/1440/TCV/HK/1

मैं ज्यादा न बोलता हुआ इतना जरूर कहूंगा कि जो लोग समग्लर हैं, जिन्होंने इसमें शामिल होकर करोड़ों रुपया कमाया है। ऐसे लगभग 100 केसिज़ कुछ समय पहले पकड़े गए हैं। उनमें से लगभग 10-15 लोगों से 10-12 करोड़ रुपये की रिक्वरी हुई है। लेकिन 80-90 ऐसे केसिज़ हैं जो सप्लॉयर हैं, वे भी पकड़े गए हैं परन्तु उनकी प्रॉपर्टी की अभी तक रिक्वरी नहीं हुई है। उनमें प्रशासन पता नहीं क्यों सुस्त रवैया अपना रहा है। यदि उनकी प्रोप्र्टी को रिक्वर किया जाए तो आने वाले समय में लोग इसमें शामिल होने से डरेंगे। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी चर्चा में भाग लेंगे।

Sh. Rakesh Singha (Theog): Hon'ble Speaker, Sir, I rise to speak on the Resolution moved by the Hon'ble Member Sh. Rakesh Pathania. Today this Hon'ble House discuss the growing tendencies amongst the youth, who are becoming the victim of the drug abuse. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और यदि इसका समाधान निकालना है तो जैसे माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी ने कहा, इसके खिलाफ़ युद्ध घोषित करना होगा। A war has to be declared. लेकिन उस युद्ध को डिक्लेयर करने से पहले हम इस विषय से भटक जाएंगे अगर हम इस बात का आकलन करने में सक्षम न हो कि इस ड्रग एब्यूस का कारण क्या है, ये कहां से उत्पन्न हो रहा है? जहां तक मैं समझता हूं इसका मुख्य कारण नौजवान में हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा अलगाव पैदा होना है। आज हमारी आर्थिक, सामाजिक और कल्लचर व्यवस्था में एक बहुत बड़ा भटकाव पैदा हो गया है। इसका एक कारण यह भी है कि जब पढ़े लिखे नौजवान को रोज़गार नहीं मिलेगा तो वह ऐसी प्रवृत्ति में चला जाता है। यदि इस समस्या का समाधान करना है तो इसके लिए आपको दो रास्ते तैयार करने होंगे। यदि हम यह समझे की प्रशासनिक तौर-तरीके से इसका मुकाबला किया जा सकता है तो हम गलतफहमी के शिकार हो जाएंगे। लेकिन इसका जो सामाजिक पहलू या आंदोलन है, इस सामाजिक आंदोलन में किस-किस को शामिल किया जा सकता है? मैं समझता हूं कि हमारे राज्य में जो हमारी महिलाएं हैं और खासतौर पर जो महिला मण्डलों में ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनको इसमें शामिल करना होगा क्योंकि एक मां का प्यार अपने बेटे और बेटी के प्रति बहुत अधिक रहता है। कई बार हम नौजवान अपने परिवार में उस तरीके का प्यार या परवरिश नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से एक मां करती है। इसलिए महिला मण्डलों और ऐसी सोसाइटियों को जहां पर महिलाओं का वर्चस्व होगा, उनको ट्रेंड व प्रोत्साहित करना होगा। तब ही इसका मुकाबला किया जा सकता है और तभी हम एक युद्ध घोषित कर सकते हैं। सिर्फ इतना कहना कि इसको वॉर डिक्लेयर किया जाये, इसका तौर-तरीका निकाले बगैर हमें सफलता हासिल नहीं होगी। दूसरा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कानून के अंदर संशोधन लाया है और इसको अब नॉन बेलेबल अफेंस के रुप में कंवर्ट किया है। आज से पहले एक कानून के रुप में हमारे पास एन0डी0पी0एस0 का जो हथियार था। वह आज की तारीख में एब्सलूट हो गया है क्योंकि

12-12-2018/1445/NS/HK/1

हर चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती है। हर चीज़ को टाईम एंड स्पेस के साथ परिवर्तित करने की जरुरत है। मैं समझता हूं, जो पुराना कानून है उसमें दांत नहीं रहे हैं। आज इसके बहुत से पहलू ऐसे हो गए हैं, जो काम नहीं आ रहे हैं। इसलिए हमें इस पूरे कानून पर सोच-विचार करने की आवश्यकता है, जो एन0डी0पी0एस0 का प्रोबेबली वर्ष 1985 का कानून था और इससे पहले तो इसको चैक करने के लिए कोई कानून भी नहीं था।

यहां पर माननीय सदस्य जरयाल जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने बोला कि इसमें क्या-क्या चैक होना चाहिए तो मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। यह जो हमारी पुलिस है, यह ऐसा नहीं है कि कहीं वैक्यूम से निकली है, यह भी इसी समाज से निकली है और हमारे समाज की प्रवृत्तियों का शिकार होती है तो इसलिए पुलिस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि कहां से चिट्टा आ रहा है और प्रदेश में कैसे पहुंच रहा है, इसको चैक करने का प्रावधान इसी कानून के अंदर लाना होगा। पुराने जमाने में कानून सुबह से शाम तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करता था। लेकिन मैं समझता हूं कि इस कानून का टैकल करने के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त सीमा नहीं हो सकती है। हां, इसमें मिसयूटिलाईजेशन का खतरा बना रहता है। लेकिन फिर भी इसमें सुधार लाने की जरुरत है। इसमें पुलिस की ज्यूरिस्डिक्शन क्या होगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं बहुत सारे ऐसे एरियाज़ जानता हूं जहां पर ये गिरोह शैल्टर लेते हैं। लेकिन वह क्षेत्र दूसरे एरिया की पुलिस के क्षेत्राधिकार में आ जाता है, दूसरे जिले में आ जाता है। नदियां दो जिलों को अलग-अलग बांटती हैं। इसलिए पुलिस को अधिकार होना चाहिए कि अगर नशा एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहा है तो उस एरिया की पुलिस की मदद के साथ मिल करके काम किया जाए। अगर आज हम ऐसा नहीं करेंगे तो यह संभव है कि ये सारी बाते सिर्फ चर्चाओं में रह जाएगी और हम सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी कहना है कि बहुत सारे हमारे पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन पुलिस अधिकारियों को हमें शाबाशी देनी चाहिए, उनको प्रोत्साहित भी करना चाहिए। क्योंकि अब जो चैक सिस्टमज़ आ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हमारी तरफ से,

समाज सेवकों और सामाजिक आंदोलनों में बहुत पहलकदमी नहीं हुई है और जो भी चैक आज किए जा रहे हैं, वे इन पुलिस अधिकारियों के जरिए हो रहे हैं और जो इसके बारे में संवेदनशील हैं। इसलिए इस बात को भी आज अमल में लाने की जरुरत है। अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा जो एन0डी0पी0एस0 एक्ट है, इसमें बड़े पैमाने पर संशोधन लाएं, गैर-जमानती अपराध लाने से बात नहीं बनेगी। मैं समझता हूं कि अगर यह माननीय सदन एक मंशा के साथ इसको बिना किसी राजनीति के करे तो यह एक पोजिटिव फैक्टर रहेगा। यह फैक्टर पंजाब में है लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं है। यह पोजिटिव फैक्टर यह है कि जो माफिया पैदा हो रहा है तो अभी इसको राजनीतिक संरक्षण उस रूप से यहां पर नहीं मिला है जो दूसरे राज्यों में मिला है। आज यह हिमाचल प्रदेश में यह बहुत पोजीटिव है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की मोटे तौर पर जो राजनीति है, हालांकि मैं उस राजनीति में बहुत छोटा हूं, यहां पर बड़ी पार्टी भाजपा और कांग्रेस है, जो राजनीतिक संरक्षण दूसरे राज्यों में मिला है और इसको एक कॉमर्शियल गतिविधि के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आज ऐसा नहीं है। लेकिन इसको चैक नहीं किया गया तो ये छोटे-छोटे माफिया समूह राजनैतिक और प्रशासनिक संरक्षण लेते हुए शक्तिशाली माफिया गैंग में तबदील हो जाएंगे। यह समय इनको चैक करने का है। मैं समझता हूं कि अगर इस माननीय सदन की मंशा होगी, हिमाचल प्रदेश सरकार की मंशा होगी तो कोई दुनिया की ताकत हमारे बच्चों को इसका शिकार नहीं बना सकती है और नशे की सप्लाई को रोकने का पूरा प्रबंध किया जा सकता है। ऐसी आशा करते हुए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया।

12.12.2018/1450/RKS/YK-1

अध्यक्षः अब माननीय सदस्या, श्रीमती रीता देवी, चर्चा में भाग लेंगी।

श्रीमती रीता देवी (इन्दौरा)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत सर्वश्री राकेश पठानिया, बलबीर सिंह और श्री बिक्रम सिंह जरयाल ने 'प्रदेश की नौजवान पीढ़ी में बढ़ते हुए नशे की प्रवृत्ति को रोकने' हेतु जो प्रस्ताव रखा है, यह सचमुच एक बड़ी गम्भीर समस्या है। समस्त भारतवर्ष नशे की आग में झुलस चुका है और इसकी लपटें हमारे प्रदेश

में भी पहुंच गई है। अगर हम प्रदेश की बात करें तो नशे के क्षेत्र में में मेरा निर्वाचन क्षेत्र इन्दौरा नम्बर-1 में आता है। वहां की जो नौजवान पीढ़ी है वे नशे में धुत रहती है और पूरी तरह से बरबाद हो चुकी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 12-12 वर्ष के बच्चे नशे में धुत रह रहे हैं। वहां पर लड़कियां भी नशे की लत में पड़ चुकी हैं। पहले शराब का नशा होता था और वह नशा जानलेवा नहीं होता था। लेकिन आज कल जो मैडिकल नशा, कैप्सूल या चिट्टे का नशा है वह जानलेवा है, जिससे कई घर बरबाद हो चुके हैं। हमारे मंड क्षेत्र में एक अरनी यूनिवर्सिटी (Arni University) है, उसके बाहर अगर हम देखें तो पूरी खड्ड इंजैक्शन्ज से भरी हुई होती है। गांव-गांव में इतना ज्यादा नशा फैल चुका है कि दिन-दिहाड़े बच्चे दुकानों को लूट रहे हैं। नशे के लिए वे अपने ही घरों में चोरी कर रहे हैं और घर के बर्तन व जेवर तक बेच देते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य, श्री राकेश पठानिया जी ने कहा कि सनीबेली गांव से इस नशे की शुरूआत हुई थी। वहां पर संसी लोग रहते हैं। वे पहले शराब निकालते थे और उसे बेचते थे परंतु उससे लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं होता था। आज वे लोग चिट्टे का कारोबार कर रहे हैं। डमटाल, पधड़ोआ और सनीबेली में इतने ज्यादा संसिये हैं जोकि नशे के तस्कर हैं। उन्होंने छोटे-छोटे बच्चे नशेड़ी बना दिए हैं और उनसे उनके मां-बाप बहुत दुःखी हैं। जब हम गांव में जाते हैं तो उन मां-बाप के ऊपर हमें बहुत तरस आती है। हम सब लोग जो यहां पर बैठे हैं वे सब बच्चों के मां-बाप है। हम उनका दर्द महसूस कर सकते हैं कि उनके दिल पर क्या बीतती होगी? जब उनका बच्चा दिन-रात नशे में धुत रहता है और जब 15-15, 20-20 साल के बच्चों को शमशान घाट लेकर जाना पड़ता है तो उन मां- बाप पर क्या बितती होगी? जब नशे के कारण उनके बच्चे तड़पते हैं तो उनके माता-पिता यह दुआ करते हैं कि उनके बच्चे मर ही जाएं तो अच्छा है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया हैः-

जननी जने भक्त जन या दाता या शूर,
नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर॥

जो शास्त्रों में कहा गया है वह सच है और उनके आंसू भी सच है। अगर बच्चा सही तरीके से अपना जीवन-यापन करे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे बच्चों के होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन्होंने डबल फोर्स बनते ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र इन्दौरा में भेजी थी। डमटाल नशे का मुख्य अड्डा है। वहां पर एक पुलिस चौकी है जिसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपग्रेड कर थाना बनाने की घोषणा की थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अपील करती हूं कि उस चौकी को जल्द-से-जल्द अपग्रेड करवाया जाए ताकि उस क्षेत्र में नशे की रोकथाम की जा सके। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री सुभाष ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुभाष ठाकुरः माननीय अध्यक्ष जी, नियम-130 के अंतर्गत 'प्रदेश की नौजवान पीढ़ी में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति' के ऊपर माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी, श्री बलबीर सिंह, और श्री बिक्रम सिंह जरयाल जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं इस विषय में यह कहना चाहूंगा कि यह बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश की नौजवान पीढ़ी जो हमारा भविष्य है वह कहां जा रहा है?

12.12.2018/1455/बी.एस./एच.के./-1

मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे समय में माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ाते थे तो यह मानकर पढ़ाते थे कि पढ़ लिखकर कर कुछ बनेगा और बुढ़ापे में हमारा सहारा होगा। हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा, इलाके का नाम रोशन करेगा। आज माता-पिता यह मानते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े-न-पढ़े परंतु वह नशा न करे। यह हालत हमारे समाज की हो गई है। पहले माता-पिता के पास जितनी संपत्ति होती थी, घर होता था, जमीन होती थी उसे भी बेचने के लिए वह तैयार होता था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा करके काबिल बनाऊंगा और वह एक दिन हमारा और इलाके का नाम रोशन करेगा। हिमाचल प्रदेश

सरकार ने इस संवेदनशील मुद्दे पर जिस तरह से संवेदनशीलता दिखाई है वह काबिले तारीफ है। इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं कर रहा क्योंकि यह सभी के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज हम अपने प्रदेश को उड़ता हुआ पंजाब नहीं बनाना चाहते। पंजाब कभी खाने-पीने की चीजों के लिए और सेहत के लिए जाना जाता था, खेलों और खिलाड़ियों के लिए जाना जाता था। आज इस नशे के कारण पंजाब की क्या दशा हुई है यह किसी से छिपी नहीं है। आज वहां पर नशे के कारण कोई भी राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय खिलाड़ी पैदा नहीं हो रहा है। नशा आज हिमाचल प्रदेश में अपनी जड़ें फैला रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने और इस माननीय सदन ने एक मत से यह निर्णय लिया है कि हम हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त हिमाचल बनाएंगे। इसके लिए मैं आदरणी मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आई.जी.एम.सी. में जो नशे के लिए सर्वे हुआ है उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें 54 प्रतिशत नौजवान जो शिक्षा ग्रहण कर रहे है वह आंकड़ा आया है। इसमें 24 प्रतिशत लड़कियां 35 प्रतिशत लड़के इसमें सम्मिलित हैं। हमारा भविष्य कहां जा रहा है। यही नौजवान हैं जो हमारा भविष्य है। आज चिट्टे की बात हो रही है जानकार बताते हैं कि यदि किसी लड़के ने इसका नशा 3-4 बार कर लिया तो सारी उम्र इसकी चपेट में आ जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी के चाहे बेटा हो या बेटी एक और दो-दो बच्चे हैं। जिन माता-पिता की एक बेटा या बेटी नशे के दलदल में चला जाए उस परिवार का भविष्य क्या होगा । जिस घर का चिराग समय से पहले ही बुझ जाए उस परिवार का क्या होगा। हमें यह भी पता चला है कि जो बच्चा इसका सेवन करता है उसकी उम्र 5-7 साल की ही होती है। इसलिए मैं इसे संवेदनशील मुद्दा कह रहा हूं। यह हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और पूरे हाऊस का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने पड़ोसी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत की है। जैसा अभी हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि यहां पर पंजाब से चिट्टा आता है और पंजाब में पाकिस्तान से आता है उसमें अपनी संवेदनशीलता दिखाई है। आने वाले दिनों में मैं यही

कहूंगा कि इस नशे के ऊपर यही कहा जाता है कि अगर राजनीतिक संरक्षण न हो तो हम इससे पार पा सकते हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश में आम व्यक्ति को भी यह विश्वास है कि हमाचल प्रदेश की सरकार इसके साथ निपटना चाहती है और नशे का धंधा करने वालों के साथ न सरकार है और प्रशासन है । कड़े कानून से और पुलिस के डंडे से भी यह चीज मिट नहीं सकती जब तक हमारे सामाजिक संगठन को भी आगे आना होगा।

12/12/2018/1500/RG/AG/1

इसलिए यह चुनौती मात्र सरकार की चुनौती नहीं है, यह पूरे प्रदेश, पूरी जनता और पूरे समाज की चुनौती है बल्कि यह नशा भविष्य को भी चुनौती दे रहा है। हमारे विद्वान तो यह भी कहते हैं कि किसी भी देश या प्रदेश को बरबाद करना हो, तो उसके नौजवानों को नशे की लत में लगा दिया जाए। तो उसको किसी लड़ाई अथवा किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अन्त में मैं यही कहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री जी और पूरी सरकार इस विषय के ऊपर संवेनशील है, पूरा प्रशासन इसमें सहयोग दे रहा है और सारा सदन इसके विरुद्ध साथ खड़ा है। इसलिए निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश की जनता को इस सदन के माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश नशामुक्त प्रदेश बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

अध्यक्ष : अब श्री किशोरी लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री किशोरी लाल (आनी) : अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव 'प्रदेश की नौजवान पीढ़ी में बढ़ते हुए नशे की प्रवृत्ति को रोकने हेतु' जो यहां आदरणीय श्री राकेश पठानिया, सदस्य श्री बलबीर सिंह, श्री बिक्रम सिंह जरयाल एवं श्री परमजीत सिंह जी द्वारा लाया गया है, मैं इसके बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, आज जो नौजवान पीढ़ी है उसमें बढ़ते हुए नशे की प्रवृत्ति को रोकना बहुत जरूरी है। यदि समय पर इस पर काबू नहीं किया गया, तो आने वाले समय में प्रदेश की युवा पीढ़ी को उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसके लिए हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि

इन्होंने सरकार में आते ही सबसे पहले जो पड़ौसी राज्यों पंजाब एवं हरियाणा के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक की और इसमें प्रदेश में नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून बनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। आज हिमाचल प्रदेश में बढ़ते हुए नशीले पदार्थों का सबसे बड़ा केन्द्र है जिसमें हमारा जिला कुल्लू, मनाली, मण्डी, सिरमौर और शिमला आता है। यहां सबसे ज्यादा चरस का व्यापार किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में युवाओं में रासायनिक पदार्थों से बनाए गए नशे के उपयोग की प्रवृत्ति बढ़ गई है। इसमें राज्य के करीब 400 गांव ऐसे हैं जहां भांग की खेती होती है जिसमें सबसे ज्यादा जिला कुल्लू में होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे आनी विधान सभा क्षेत्र में भी इसका बहुत प्रयोग होता है। मेरे आनी विधान सभा क्षेत्र से लगभग सौ से ज्यादा लोग भांग की खेती करने के लिए जेल में हैं। मेरे आनी विधान सभा क्षेत्र में विशेष रूप से जब पुलिस बल की बात की जाती है, तो वह बहुत कम है। भौगोलिक दृष्टि से हमारा बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उस दृष्टि से हमारे रामपुर के साथ लगते ब्रौ में वर्ष 2003 में यानि रामपुर प्रोजैक्ट के दृष्टि पुलिस थाना खोला गया था और अभी मार्च के महीने में वहां पुलिस थाना बंद हो गया। इसमें पेमेन्ट प्रोजैक्ट वाले देते थे। माननीय मुख्य मंत्री से हमने इसके लिए निवेदन किया था। क्योंकि ब्रौ, जगातखाना एक ऐसा क्षेत्र है जहां पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग रहते हैं और बच्चे वहां रहते हैं। वहां इस चिट्टे का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। अभी हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री जी रामपुर आए थे, हमने इनसे इस बारे में बात भी की थी। उस चिट्टे को रोकने के लिए विशेषकर रामपुर के डी.एस.पी. बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उसके साथ-साथ जहां तक इस नशे को रोकने के लिए और अफीम और भांग को रोकने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। उसमें विशेषकर हम अपने प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि जो भांग और अफीम की खेती है जो लगभग 400 गांवों में होती है, अभी से ये चिन्हित करने होंगे। क्योंकि उस भांग और अफीम की खेती को खत्म करने के लिए हमें अभी से ही तैयारी करनी होगी। जैसे मई-जून का महीना होता है और उसमें

12/12/2018/1505/MS/YK/1

वहां पर पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि, महिला-मण्डल, युवक-मण्डल और हम सब यदि मिल-जुलकर प्रयास करेंगे तथा विभाग के भी सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश देंगे तो यह अफीम और भांग की खेती खत्म हो सकती है। इसके लिए हमें पुलिस की एक स्पैशल फोर्स भी तैयार करनी होगी जो सिविल ड्रैस में हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां-जहां भी चिट्टे और अवैध नशे का कारोबार है उस पर चैक रखे। मेरा मुख्य मंत्री जी से विशेष अनुरोध रहेगा कि मेरे आनी विधान सभा क्षेत्र में जो पुलिस बल है वह बहुत कम है क्योंकि कुछेक कर्मचारियों को कोर्ट केस के सिलसिले में कोर्ट में जाना पड़ता है और ज्योग्राफिकल कण्डीशन से मेरा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अतः मैं चाहूंगा कि मेरे आनी विधान सभा क्षेत्र में पुलिस बल को बढ़ाया जाए।

ड्रग्स को रोकने के लिए हमारे स्कूल और कॉलेजिज के आसपास जितनी भी दुकानें हैं उनमें बीढ़ी/सिगरेट जैसी कोई भी नशीली चीजें उपलब्ध नहीं होनी चाहिए क्योंकि स्कूल में आधी छुट्टी के समय बच्चे इन दुकानों से बीढ़ी/सिगरेट लेकर झाड़ियों में छिपकर पीते हैं। यहां पर मेरे से पूर्व-वक्ताओं ने भी कहा कि सिगरेट में भांग भरी होती है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसको रोकने के लिए हम सबको मिलकर प्रयत्न करने पड़ेंगे। यदि आने वाली पीढ़ी को हमने बचाना है तो हम सबको एक टीम वर्क के रूप में काम करना होगा। मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को एक ड्रग-मुक्त प्रदेश बनाने का हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः चर्चा में अंतिम वक्ता के रूप में श्री सुरेन्द्र शौरी जी भाग लेंगे।

श्री सुरेन्द्र शौरी(बन्जार)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राकेश पठानिया जी ने नियम-130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव प्रदेश की नौजवान पीढ़ी में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति को रोकने हेतु लाया है, इस पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझसे पूर्व-वक्ताओं ने इस गम्भीर विषय पर बहुत सारी चर्चाएं यहां कीं और प्रदेश के अंदर इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी गहन चिन्तन किया है। मुझे लगता है कि इसको रोकने के लिए हमें सबसे पहले

जागरुकता लानी पड़ेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी जब कुल्लू प्रवास पर आए थे तो वहां पर मेरे जिला की एस0पी0 महोदया ने वहीं के स्थानीय कलाकारों को लेकर एक अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाई थी। उस फिल्म में यह दर्शाया गया था कि चरस और चिट्टे की गिरफ्त में युवा कैसे आते हैं और अन्त में उनका हश्र क्या होता है। जब हमने वह पूरी फिल्म देखी तो हमने कहा कि इसको सोशल मीडिया के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाओ। आज हमारे जितने भी जमा-दो के स्कूल्ज/कॉलेजिज हैं उनमें सब जगह स्मार्ट क्लासरूम बने हैं। मुझे लगता है कि आज जो युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ रही है इसको रोकने के लिए हम उन संस्थानों में ऐसे वीडियो को दिखा सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी जागरुक हो। हमारे सामने दो तरह की नौजवान पीढ़ी है। एक पीढ़ी जो इसकी गिरफ्त में आ चुकी है यानी जो नौजवान इसके जाल में फंस चुके हैं उनको कैसे बाहर निकालना है और दूसरे जो अभी इस नशे की गिरफ्त से दूर हैं लेकिन हो सकता है कि कल को वे भी इसकी गिरफ्त में आ जाएं, तो उनको कैसे बचाना है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अपने लैवल पर कुल्लू जिला में प्रयास किया कि युवाओं को कैसे नशे की गिरफ्त में जाने से रोका जा सकता है। हम कुल्लू अस्पताल में निरन्तर जाते रहते हैं। वहां पर 6 बिस्तर स्पैशल नशे की गिरफ्त में आए लोगों के लिए रखे हुए हैं कि उनको इससे कैसे बाहर निकाला जा सकता है। कुल्लू अस्पताल में डॉक्टर्ज और सी0एम0ओ0 ने इसके लिए अच्छी पहल की है। एक डॉक्टर सत्यव्रत वैद्य जी हैं जिनके साथ मिलकर युवा पीढ़ी को आखिर कैसे बचाना है, इस बारे में काम कर रहे हैं। इस तरह से जनवरी से लेकर अभी तक कुल्लू जिला के हमारे अस्पताल में 439 केस आए हैं।

12.12.2018/1510/जेके/डीसी/ I

हमने डॉक्टर्ज़ के सहयोग से उनका प्रॉपर चैकअप करके उनको किस तरह से नशे से बाहर करना है, उनको ट्रीटमैंट दे करके, काउंसलिंग करके उनको बचाने का काम किया। मुझे खुशी इस बात की है कि वहां पर जो 439 युवा आए थे, उनमें से 401 युवा बिल्कुल ठीक हो करके बाहर निकले और आज अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। 38 युवा वहां से वापिस जाने के बाद पुनः नशे की जकड़ में आ गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से

हम अपने लैवल पर प्रयास कर सकते हैं? जिस तरह से बॉर्डर एरिया में चिट्टा पहुंच चुका है, मुझे लगता है कि धीरे-धीरे अब यह हमारे पहाड़ों की तरफ जा रहा है। इसको रोकने के लिए हम अपने लैवल पर भी प्रयास कर रहे हैं। यहां पर मैंने स्कूलों का उदाहरण दिया। इसी तरह से हम जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से भी इसको रोक सकते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दयार पंचायत है उस पंचायत में एक प्रस्ताव लाया गया कि पूरी पंचायत को हम नशा मुक्त करेंगे। उसके लिए उन्होंने पहल की । वहां की महिलाएं आगे आईं। प्रस्ताव पारित हुआ और आज वहां पर उस पंचायत के अन्दर कोई भी व्यक्ति सरेआम नशा नहीं करता है। इसलिए जन-जागरण की इसमें बहुत आवश्यकता है। जिस तरह से मैंने यहां पर कहा कि कुल्लू जिला में भी नशे का कारोबार बहुत बढ़ चुका है। पिछले कुछ महीनों के अन्दर 50 केस चरस के वहां पर पकड़े जा चुके हैं। मनाली हमारा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है। वहां पर बहुत सारे विदेशी आते हैं। वहां पर कसोल है, जिब्बी है जहां पर बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं। उस कारण से भी वहां पर नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है। यहां पर ठीक कहा गया कि इस कारोबार की रोकथाम के लिए पुलिस फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए पुलिस बल को बढ़ाया जाए ताकि इससे युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। इसके साथ-साथ मुझे लगता है कि गांव-गांव में स्पोर्ट्स की ओर युवाओं का ध्यान केन्द्रित करना चाहिए ताकि वे स्पोर्ट्स की ओर जाएं और खाली समय में वे गेम खेलें। हमारे पहाड़ों के अन्दर बहुत ज्यादा कैश क्रॉप होती है इसलिए हम उनको उस फील्ड में भी ले जा सकते हैं ताकि खाली समय में वे खेतों में काम करें। खाली समय वे खेलों के लिए ग्राउंड में जाएं। जब उनके पास खाली समय नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर नशे की ओर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं करेंगे। इस तरह से भी उनको नशे से बचाया जा सकता है। बहुत सी बातें यहां पर कही गई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत गम्भीर प्रयास किए हैं, यहां पर कानून ला रहे हैं और इससे पहले इन्होंने हमारे पड़ौसी राज्यों के साथ बैठकें की। इन्होंने इसमें एक सार्थक पहल की है। निश्चित तौर पर अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते हर

विधायक अपने चुनाव क्षेत्र के अन्दर यह प्रण करे कि हम आने वाली पीढ़ी को बचाएंगे, प्रदेश के युवाओं को नशे से बचाएंगे और जो आने वाली धरोहर है उसको स्वस्थ बनाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत माननीय सदस्य, श्री राकेश पठानिया, श्री बलवीर सिंह जी, श्री बिक्रम सिंह जरयाल जी और श्री परमजीत सिंह जी ने बहुत ही महत्वपूण विषय पर इस माननीय सदन में चर्चा चाही कि प्रदेश में जो नौज़वानों के बीच में जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसको रोका जाना चाहिए। यह भी मुझे प्रसन्नता है कि सब लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए और अपनी चिन्ता भी जाहिर की। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके अतिरिक्त आठ अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार से उन्होंने इस गम्भीर विषय पर अपनी चिन्ता जाहिर की है और अपनी भावनाओं का समावेश इस वक्तव्य के माध्यम से इस माननीय सदन में किया है, उसका भी मैं अभिन्नंदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय यह

विषय आज प्रदेश का नहीं रह गया, किसी इलाके विशेष का नहीं रह गया, यह पूरे विश्व के लिए चिन्ता का विषय है। पूरे देश की चिन्ता का विषय है। हिमाचल देवभूमि है और स्वाभाविक रूप से जब हम हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक चित्रण उभर आता है कि इस देवभूमि में सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा होने के साथ-साथ में यह भी एक चित्रण आता है कि यहां रहने वाले सभी लोग देवतुल्य होंगे। मैं इस बात से सहमत हूं कि यहां के लोग बहुत अच्छे और देवतुल्य हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हमारे सामने है कि यह देवभूमि भी नशे के प्रचलन से अछूती नहीं है। ऐसी कितनी घटनाएं

कुछ अरसे में घटित हो गईं, जिनका ज़िक्र कुछ साथियों ने यहां पर किया है। जिनका ज़िक्र समाचार पत्रों में या टेलीविजन में समाचारों के माध्यम सुनते हैं। उन सारी बातों को लेकर जब आदमी अकेले में विचार करता है तो उसके मन में इस बात को लेकर पीड़ा निश्चित रूप से होती है कि आखिर यह सब जो हो रहा है, वह क्यों हो रहा है। एक जमाना था जब कोई आदमी शराब पीता था तो उसको बोलते थे कि इसने नशा कर लिया। क्योंकि वह नशा ऐसा होता था कि सार्वजनिक रूप से सब को पता लग जाता था। घर में कोई आदमी जब शराब पीकर जाता था तो भी परिवार के लोगों को पता लग जाता था कि शराब पीकर आया है। अगर चौंक चौराहे पर भी वह आदमी मिलता था तो सारे आने-जाने वालों को पता चलता था कि इस आदमी ने शराब पीकर नशा कर रखा है। हम प्रगति की राह पर आगे बढ़ते गए। साइंस ने भी तरक्की की और जैसे-जैसे हम तरक्की की राह पर आगे बढ़ते गए, सारे जीवन में नई-नई चीज़ें स्थान लेती गईं। समाज में भी इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें स्थान लेती रही हैं। उसी संदर्भ में आज अगर हम अपनी बात कहें तो एक वक्त था कि जब शराब को नशा कहते थे, जिस प्रकार से मैंने पहले बात कही। उसके बाद किसी ने भांग या चरस इत्यादि पी ली तो उसको नशा कहते थे क्योंकि उसमें भी पता लग जाता था कि इसने नशा किया है। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी आ गई है कि नशा करने वाला हमारे बीच में सुबह से शाम तक रहता है लेकिन उसके बावजूद भी हमको मालूम नहीं हो पाता है कि यह आदमी नशा करता है। पता तब चलता है जब उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन हो जाता है। उसकी बातों से जब बहुत अंतर्द्वंद लगता है कि इस आदमी को हो क्या गया। तब आदमी सोचने लगता है कि कुछ तो हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा वक्त उसमें निकल जाता है कि हुआ तो हुआ है तो क्या हुआ है। यह जानकारी लेना मुश्किल हो जाता है। वह परिस्थिति तब निर्मित हुई कि नशा आगे बढ़ते-बढ़ते शराब से हो करके चरस, भांग से होते हुए यहां तक पहुंच गया कि आज वह दिखता भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी जीवन को तबाह कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में आ गया है, जिसका ज़िक्र हम हीरोईन के रूप में कर सकते हैं। पंजाब में एक शब्द 'चिट्टा' प्रचलित

हुआ। वह 'चिट्टा' शब्द इसलिए प्रचलित हुआ क्योंकि वह देखने में सफेद होता है। पंजाबी में सफेद दिखने वाली चीज़ को चिट्टा कहते हैं। यहां पर हमारे सब साथियों ने ठीक कहा।

12.12.2018/1520/केएस/एचके/1

राकेश पठानिया जी जिक्र कर रहे थे कि चिट्टे का अगर हम ज़िक्र करते हैं, आज की तारीख में परिस्थिति ऐसी है कि अगर कोई कई साल तक भी थोड़ा-थोड़ा शराब पीता है तो शायद उसका उतना प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता होगा। वैसे तो सारा ही नशा नुकसानदायक है लेकिन अगर पांच या सात बार किसी ने चिट्टे का इस्तेमाल कर दिया तो उसके बाद आदमी उसके नशे से छूट नहीं सकता। वह एक तरह से जिन्दगी की उस राह पर चल पड़ता है जहां उसका अन्त होना निश्चित है। उसको वापिस लाना कठिन हो जाता है। इस चिट्टे के प्रचलन से और इस सिंथैटिक ड्रग जिसका हमारे साथी यहां पर जिक्र कर रहे थे, यह हमारे लिए सचमुच बहुत बड़ी चिन्ता का विषय बन गया है और इसके मूल भाव में अगर जाएं तो मुझे लगता है कि भारत वर्ष आज की तारीख में जिस तेज गति से एक अलग पहचान के साथ दुनिया के मानचित्र पर खड़ा हो रहा है, हर क्षेत्र में तरक्की, विकास और अलग पहचान के साथ खड़ा हो रहा है, यह बहुत से देशों को गवारा नहीं हो पा रहा है इसलिए वे आतंकवाद के माध्यम से हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के साथ-साथ इस तरह की भी कोशिश कर रहे हैं। जिसका उदाहरण हमारे सामने हैं। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि हम पूरे भारत में कश्मीर जैसे हालात पैदा करें। इन देशों को यह भी लगता है कि सम्भव नहीं है कि हर जगह हम नौजवानों को भेजकर, बन्दूक उठा कर भारत को नष्ट करने, नुकसान पहुंचाने के लिए काम करें इसलिए उन्होंने यह सरल तरीका अपनाया है जिसकी पुष्टि एक बार नहीं अनेक बार की घटनाओं से हुई है । वे यही चाहते हैं कि अगर हिन्दुस्तान को बर्बाद करना है तो उसकी नई पीढ़ी को टारगेट करिए और उन्हें नशे की आदत डालने के लिए बाध्य करिए और इसमें पाकिस्तान अपनी भूमिका निभा रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। उस भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए कुछ

और भी देश जो पाकिस्तान के साथ सहयोगी बन कर चलते हैं, वे भी उसको सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे लिए बड़ी चिन्ता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, जब हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनी, नई जिम्मेवारी मिलने के पश्चात जब हम अपने अधिकारियों के साथ बैठकर बात कर रहे थे, क्योंकि विधान सभा चुनाव के दिनों में भी यह बहुत बड़ा मुद्दा था और इसको ले कर प्रदेश की जनता ने मन बनाया भी है कि इसके खिलाफ लड़ना चाहिए और जो इसके खिलाफ आवाज बुलन्द कर सके, उसका साथ देना चाहिए और इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि हमें इस मुद्दे पर प्रदेश की जनता का साथ मिला है। जब हम अधिकारियों के साथ बैठ कर इस सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे, हमने पूछा कि पूरे हिमाचल में इस प्रकार के कुल कितने मामले दर्ज हैं तो पता चला कि लगभग 900 मामले दर्ज थे । अब वह संख्या बढ़ गई है और वह आंकड़े भी मेरे पास हैं। हमने कहा कि पता करो कि किस-किस एरिया में यह संख्या ज्यादा है लेकिन मैं उसका ज़िक्र नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अभी उस सम्बन्ध में कहना उचित नहीं होगा। हमें पता लगा कि इस-इस एरिया में इस प्रकार के ज्यादा मामले हैं । प्रदेश की सीमा के साथ लगते इलाकों में ये मामले ज्यादा पाए गए लेकिन उसके बाद और दिलचस्प आंकड़े उभर कर आए कि पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर इस प्रकार के 900 के करीब मामले दर्ज हैं तो इनमें से लगभग-लगभग एक-तिहाई वे लोग भी थे जो हिमाचल के रहने वाले नहीं थे। हमने कहा हिमाचल के रहने वाले नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी मामले दर्ज हैं? यह बड़ी विचित्र परिस्थिति थी। तो अध्यक्ष महोदय, हमने पता करने की कोशिश की कि ये कहां के लोग हैं?

12.12.2018/1525/av/hk/1

हमें यह चिन्ता है कि सचमुच में हमारे पड़ोस के राज्य चाहे पंजाब की बात कहें या हरियाण की; वैसे यहां जिक्र करना उचित नहीं लगता मगर वहां नशे का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। पंजाब पाकिस्तान के बोर्डर के साथ लगा हुआ है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और

पंजाब से होते हुए नशे का एक काफी बड़ा नैटवर्क काम कर रहा है तथा इस बात की सम्भावना ही नहीं यह कई मामलों में सिद्ध भी हो चुका है। ऐसी परिस्थिति देखकर मुझे लगा कि अगर हम केवल हिमाचल प्रदेश के अंदर ही ड्रग्ज के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जब तक यह काम साथ लगते राज्यों से जारी रहेगा तब तक हम इस अभियान में वह सफलता हासिल नहीं कर पायेंगे जो हम करना चाहते हैं। मैंने इस बारे में एक पहल की, हालांकि मैं एन नया-नया मुख्य मंत्री बना था। लेकिन मैंने इस बारे में पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के मुख्य मंत्रियों के साथ बातचीत की तथा मैंने कहा कि यह एक ऐसा गम्भीर मसला है जिस पर हम सभी को कहीं एक साथ बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए। इत्तेफाक से दिल्ली में हमारी चीफ मिनिस्टर कौंसिल की बैठक थी और हम सभी वहां गये थे। हम सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इकट्ठे बैठकर वहां इस विषय पर बातचीत की और मैंने सभी को शिमला आने का निमंत्रण दिया। मैंने कहा कि हम वहां पर बैठक करके इस बारे में एक ज्वाईंट स्ट्रेटेजी बनायेंगे, उन्होंने भी इस बारे में सहमति दे दी। लेकिन उन दिनों बरसात का मौसम होने के कारण मालूम हुआ कि वर्षा के कारण शिमला आने-जाने में असुविधा होगी। ऐसी परिस्थिति में बैठक चंडीगढ़ में करनी निर्धारित की गई और हरियाणा के मुख्य मंत्री ने इस बैठक को होस्ट करने की बात स्वीकार की तथा उन्होंने इस बैठक का आयोजन किया। वहां पर सभी मुख्य मंत्री पहुंचे, मुझे भी वहां पर व्यक्तिगत रूप से पहुंचना था लेकिन मौसम खराब होने की वजह से यहां से चौपर नहीं उड़ पाया। लेकिन मैंने कहा कि मुझे इस बैठक का हिस्सा बनना है, वह बैठक लगभग ढ़ाई घंटे की हुई। मैं अपने मुख्य मंत्री कार्यालय से आई0टी0 सिस्टम के माध्यम से उस मीटिंग का हिस्सा बना। इस विषय पर हमारी काफी विस्तार से बातचीत हुई। हमारी बातचीत वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से हुई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी लोगों ने इस इनिशिएटिव के लिए एक-दूसरे को बधाई दी और इस सारे विषय पर चर्चा करने के बाद कुछ निर्णय भी लिए। हालांकि हमारे कुछ साथियों ने कई और बातों का जिक्र भी किया लेकिन मैं अभी उन सारी बातों में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता

हूं। हम जब किसी काम में लगते हैं तो उसमें कुछ कमियां भी निकाली जाती है और अच्छाइयां भी निकाली जाती है मगर ऐसी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पिछले सत्र के दौरान विधान सभा के अंदर जब हमने इस विषय पर चर्चा की थी तो हमारे विपक्ष के मित्रों ने भी कहा था कि इसको अपने दल तक सीमित मत रखिए। इसको सरकार का कार्यक्रम बनाने के साथ-साथ हम विपक्ष के सभी साथी भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं और अपना सहयोग देना चाहते हैं। मैंने उसका भी अभिनन्दन किया। अच्छा होता, अगर हमारे मित्र यहां होते क्योंकि उनको पता था कि आज के बिजनैस के अनुसार इस विषय पर चर्चा करना तय है। वे भी अगर अपने-अपने महत्वपूर्ण सुझाव देते तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही उपयोगी चर्चा होती। हम हिमाचल प्रदेश में नशे को आगे बढ़ने की दिशा में रोकने के लिए महत्वपूर्ण काम कर सकते थे।

12.12.2018/1530/TCV/AG/1

लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि उनका मकसद कुछ और था। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि राजनीति को छोड़कर कभी समाज के लिए भी हमें काम करना चाहिए। मैंने इन मित्रों को संदेश दिया था कि आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है। आपका वॉकआउट हो गया है और कल के लिए आपकी खबर भी बन गई है। अब हाउस के अंदर वापिस आ जाईए। लेकिन उनके हालात और परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां निर्णय कौन करेगा, यही तय नहीं हो पा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस विषय पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, और अपने मूल विषय पर वापिस आना चाहता हूं। मैं जिस इंनिशिएटिव का जिक्र कर रहा था, उसका परिणाम यह हुआ कि चारों मुख्य मंत्रियों ने एक सांझी रणनीति बनाने का निर्णय लिया। हमने तय किया कि ज्वाइंट ऑपरेशन उसका हिस्सा होगा। हमारी इंटैलिजंस की जो महत्वपूर्ण शेयरिंग होती है, उसके बारे में बात हुई। हरियाणा के पंचकूला में इसके कार्यालय की स्थापना कर दी गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उसकी सारी मॉडेलिट्स तय हो गई है और इसका कार्यालय वहां पर खोल

दिया गया है। इसके साथ-साथ हमने यह भी तय किया कि हम सभी राज्यों का एक-एक नोडल ऑफिसर भी होना चाहिए। इसमें सभी मुख्य मंत्रियों ने कहा कि हमारा विषय हिमाचल प्रदेश व उत्तराखण्ड से संबंधित ही नहीं है बल्कि इसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली व जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री भी शामिल होने चाहिए। उस बैठक में राजस्थान व चण्डीगढ़ के डी0जी0पी0, सेक्रेटरी (होम) के साथ अन्य राज्यों से भी अधिकारी शामिल हुए और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि विषय की गम्भीरता को हमने समझने की कोशिश की और उसमें काम करने की प्रयास किया। उस दिशा में जो कार्य करने हमें उचित लगे, उनको करने का हमने निर्णय लिया। यह विषय कभी एक रस्मी विषय होता था। यदि विधान सभा में चर्चा हो गई तो समझ लिया कि हमने अपना कंसर्न जाहिर कर दिया कि हम नशे के खिलाफ़ हैं। यहां सदन में जितने मर्ज़ी भाषण दे, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। यहां पर चाहे हम भाषण दें या कानून बनाएं उससे बहुत ज्यादा समाधान होने वाला नहीं है। लेकिन असली काम यह है कि हम जनता के बीच में जाकर एक अभियान खड़ा करें। हमने इस बात को बड़ी गम्भीरता से महसूस किया है। आज तक जब भी कोई अभियान इस तरह में चला तो उस अभियान में जन सहभागिता हुई । समाज का आदमी उसका हिस्सा बनकर घर से निकल पड़ा। तब जाकर वे जन अभियान सफल एवं कामयाब हुए हैं। उस दृष्टि से जो चीजें करने की आवश्यकता है, वे करनी चाहिए। यदि मैं अभियान का जिक्र करूं, एक व़क्त साक्षरता अभियान की शुरूआत की गई थी तब लोगों को लगा कि ये क्या नया काम पकड़ लिया। सड़कों और चौराहों पर नुक्ड़-नाटक किए गये कि साक्षर होना चाहिए, पढ़ना-लिखना जरूरी है। इस अभियान को आगे बढ़ाने और लोगों को समझाने के लिए घर-घर जाकर अभियान चलाया गया और जब पूरे देश व प्रदेश में यह अभियान चला तो

12-12-2018/1535/NS/YK/1

साक्षरता दर कहां थी और कहां पहुंच गई। इसी प्रकार हम हैल्थ सैक्टर को देखें तो पोलियो के खिलाफ़ अभियान चला और इस अभियान को ले करके लोगों को यह कहा गया कि अगर आपने अपने बच्चों को यह टीका नहीं लगवाया और अगर आपके घर में किसी को पोलियो हुआ तो बच्चा जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा। पोलियो आगे और फैल सकता है इसलिए टीकाकरण बहुत जरुरी है। इस प्रकार से पोलियो का अभियान चला और लोगों के दिमाग में यह बात बैठ गई कि मेरा बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, मेरे बच्चे को पोलियो नहीं होना चाहिए। लोग बच्चों को गोद में उठा करके पोलियो की दवाई पिलाने के लिए जहां स्थान निर्धारित होता था, वहां पहुंचते थे। इस प्रकार से अभियान चला और इसका परिणाम निकला।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हम स्वच्छता के लिए कह सकते हैं। स्वच्छता के अभियान को ले करके जब पूरे देश में कुछ लोग इस प्रकार से बोलने लगे, चाहे इसकी शुरूआत महात्मा गांधी जी ने की और उनके बाद इसको सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बना कर चलाते रहे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान इस प्रकार से खड़ा किया तो हर आदमी महसूस कर रहा है कि यह मेरे लिए, मेरे परिवार और समाज के लिए जरूरी है। देश और प्रदेश के लिए जरूरी है तथा स्वच्छता हर जगह होनी चाहिए, चाहे घर के अंदर या बाहर ही क्यों न हो। जब व्यक्ति इस अभियान का हिस्सा बना तो इसका परिणाम भी निकला। आज आपको बहुत बड़ा अन्तर वातावरण में देखने को मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि अब एक दौर यह आ गया है कि हमें ड्रग्ज़ के खिलाफ भी इसी प्रकार का अभियान चलाना पड़ेगा। इसके लिए शुरूआत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, इस पर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारा काम हो रहा है। लेकिन इसे हमें दो हिस्सो में बांटना पड़ेगा। इसके लिए हमने अपने अधिकारियों के साथ बहुत विस्तार से चर्चा की है और चर्चा करने के बाद हमने इसको दो हिस्सों में बांटने के लिए कहा है। इसका एक हिस्सा यह है कि जन अभियान के रूप में छोटे/बड़े बच्चों, परिवार और घर वालों को समझाना बहुत आवश्यक है कि ड्रग्ज़ के लिए मेरे परिवार, घर, गांव और पंचायत तथा प्रदेश में कोई जगह नहीं है। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जन अभियान के साथ-साथ अवेयरनैस का

कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। जब हर आदमी महसूस करेगा कि यह अभियान मेरे समाज, परिवार और सबके लिए आवश्यक है और मुझे भी इसका हिस्सा बनना चाहिए तो इसका परिणाम निश्चित रूप से सामने आएगा। अन्यथा हम जितने मर्जी कागज बनाकर और भाषण देकर भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमें अभियान के रूप में इसे इस प्रकार से लेना पड़ेगा। यह बात हमें गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचानी पड़ेगी कि नशा खराब है, नुकसानदायक है और यह नाश करता है। मुझे लगता है जब तक सामने बैठा हुआ आदमी यह स्वीकार नहीं करेगा कि मैं भी आपके साथ हूं और नशे के खिलाफ़ अभियान का हिस्सा मुझे भी बनना है तथा साथ चलेगा तो यह अभियान सफल होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका दूसरा हिस्सा यह है कि कानून बने हैं और अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कानून बने हैं, कहीं कमी नहीं है। लेकिन कानून बनने के बाद भी अपराधियों ने इतनी तकनीक विकसित कर ली है कि इनको डर ही नहीं रहा है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो कानून बने हैं, अगर इनको और सख्त करने की आवश्यकता है तो ऐसा होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने शुरूआत कर दी है। हमने एक शुरूआत यह की है कि आज से पहले बहुत बड़ी गुंजाईश रहती थी कि अगर किसी आदमी को गिरफ्तार किया जाता था और फिर बाद में मालूम होता था कि यह किसी का संबंधी या रिश्तेदार है तथा समाज में कोई-न-कोई कन्टैक्ट तो निकल ही आता है और फिर सोचते हैं कि इसको छोड़ देते हैं। इसके लिए क्या करते थे कि कॉमर्शियल क्वांटिटी को कम कर देते थे ताकि उसको जमानत मिल सके। हमने कहा कि यह भी बर्दाश्त करने योग्य नही है।

12.12.2018/1540/RKS/AG-1

इसलिए हमने पिछली कैबिनेट में निर्णय लिया और इस सत्र में यह बिल लाया । इस बिल के प्रावधान के मुताबिक चाहे मात्रा थोड़ी मिले या ज्यादा लेकिन जहां नशे की चीज पकड़ी जाएगी उसके लिए जमानत नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। हम इस बात से सहमत है कि इस कानून को पास करने के लिए केंद्र सरकार से स्वीकृति लेना पड़ेगी लेकिन हम अपने कदम अपने आप क्यों रोके? हम इस दिशा में आगे बढ़े और यह निर्णय लिया गया कि इस कानून को पास किया जाए ताकि समाज के बीच एक अच्छा संदेश जाए। जब कोई बच्चा नशे के कारोबार में पकड़ा जाता है तो बच्चों के माता-पिता

कई बार हमसे सम्पर्क करने की कोशिश करते हैं। वे यह तर्क देने की कोशिश करते हैं कि बच्चे से थोड़ी-सी मात्रा में नशा पकड़ा गया है। कई बार वे यह कह देते हैं कि यह गलती से हो गया या किसी ने जानबूझ कर रख दिया था। क्योंकि जब किसी का बेटा इस चीज में फंस जाता है तो स्वभाविक रूप से पुत्र के लिए जो पिता का स्वभाव होता है वह जाहिर होगा-ही-होगा और इस तरह के कई तर्क दिए जाते हैं। । वे यही कहेंगे कि हमारा बच्चा निर्दोष है। वह दोषी भी होगा तब भी मां-बाप यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा किसी तरह से बाहर निकल जाए। इसमें मानवीय संवदेना है क्योंकि वह एक बेटा है। हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन क्या उनकी भावनाओं का सम्मान करते-करते हम ऐसी परिस्थिति निर्मित होने दें जिससे हम अपनी अगली पीढ़ी को बरबाद कर दें? माननीय अध्यक्ष जी, यह सम्भव नहीं हो सकता और इसलिए हमने यह सख्त निर्णय लिया है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका जिक्र हमारे सभी साथी यहां पर कर रहे हैं। मैं अभी इन्दौरा क्षेत्र जाकर आया हूं और माननीय विधायिका, श्रीमती रीता देवी ने भी नशे के ऊपर अपनी बात रखी है। आज किस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो चुकी है। नौजवान बच्चे नशे के कारण मर रहे हैं। जब संवेदना प्रकट करने के लिए बच्चों के घर जाते हैं तो उनके मां-बाप यह नहीं कह सकते कि उनके बच्चे की मृत्यु नशे के कारण हुई। वे कह देते हैं कि उनके बच्चे की मृत्यु हार्ट-अटैक से हुई। समाज में यह मान्यता है कि अगर कोई मां-बाप यह कहे कि उसका बच्चा शराबी था या नशा करता था तो वह किसी को अच्छा नहीं लगता। जिस परिवार में यह घटना घटित होती है उनको यह बात कहना अच्छी नहीं लगती बल्कि गांव वाले भी ऐसा नहीं कहते। आखिरकार हम कब तक ऐसी बातों को छिपाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि यह छिपाने का विषय नहीं है। जो चीजें करने की हैं उनको करने का समय आ गया है। इसके लिए हमें खुली बात करनी होगी। हमने बहुत सारी चीजों को लेकर बातचीत की है। जब से हमने सख्ती की है, उसके परिणाम अच्छे आए हैं। जब पंजाब में सख्ती करते हैं तो उनको बड़ा आसान लगता है कि हम हिमाचल प्रदेश में जाकर बच जाएंगे। लेकिन हम यह बात सुनिश्चित करना चाहेंगे कि अगर पंजाब वाले यह सोचें कि हम हिमाचल में

बच जाएंगे तो इस चीज की गुंजाइश हमने बहुत कम रखी है। हम इस बात को मानते हैं कि जो मैनपॉवर हमें बोर्डर एरियाज में चाहिए वह उतनी नहीं हो पा रही है लेकिन उसके बावजूद भी पिछले कुछ अरसे से हमने फेसिज में पुलिस फोर्स को स्ट्रेंथन किया है, उनकी नफरी बढ़ाई है। हमारे कुछ मित्र शोर मचाते हैं कि हमारे समय में इतने केस थे और आपके समय में इतने केस बढ़ गए हैं। आपकी सरकार के समय क्वांटिटी ऑफ सीजर काफी बढ़ गया लेकिन मैं इन चीजों की परवाह नहीं करता हूं। स्वाभाविक रूप से जब हम कार्रवाई करेंगे तो गिरफ्तारी का नम्बर बढ़ेगा । जब हम कार्रवाई करेंगे तो

12.12.2018/1545/बी.एस./एच.के./-1

सीज किए हुए मटिरीयल की मात्रा भी बढ़ेगी। जब आप कोई कार्रवाई करते ही नहीं थे तो नम्बर कैसे बढ़ेगा। यदि कोई आ रहा है तो आ रहा है कोई जा रहा है तो जा रहा है। जब आप खुद दोषियों के संरक्षण में शामिल हो जाएंगे तो केस के नम्बर कैसे बढ़ेगें। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय से हमने बहुत सख्ती से कार्रवाई की है उसके परिणाम हमारे सामने आए हैं। चाहे वह चरस की बात है पिछली वर्ष की तुलना में इसमें बहुत बड़ा इनक्रीज हुआ है। वर्ष 2017 में यह आंकड़ा 280.147 किलोग्राम का था और जब इस वर्ष सख्ती की गई, उपराधियों को पकड़ना शुरू किया तो यह आंकड़ा 443.692 किलोग्राम हुई है। इसी प्रकार अफीम की अगर बात की जाए तो अफीम में पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा आकंड़ा कम है । पिछले वर्ष 7.995 किलोग्राम की तुलना में वर्ष 2018 में यह 6.576 किलोग्राम हुआ है। इसमें दो चीजें है एक जिसको हम हीरोइन कहते हैं । हीरोइन में वर्ष 2017-18 में 3.397 किलोग्राम सीजर हुई थी और अब की बार जब से हमने सख्ती की है, किसी दोषी को छोड़ेंगे नहीं कही भी मिले उसे पकड़ेंगे। उसका परिणाम यह हुआ कि 7.180 किलाग्राम उसे सीजर किया है। इसके अलावा जो कैप्सूल की बात की जा रही है

उसमें पिछले वर्ष की तुलना में आंकड़ा कम है । पिछले वर्ष यह आंकड़ा 2,32,425 का है। इस वर्ष यह 1,14,618 का है, यह अभी कम है । लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने कही हिरोइन में सबसे अधिक आंकड़ा बढ़ा है और जो इंजैक्शन का सीजर हुआ है वह आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। वर्ष 2017 में यह आंकड़ा 53 का था परंतु वर्ष 2018 में यह 1,097 का सिजर हुआ है। यह जो आंकड़े मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारे विपक्ष के लोग कई तरह की बात कह सकते हैं कि सीजर ज्यादा हुआ है इसका मतलब नशा और ज्यादा बढ़ गया। जो लोग नशे में संलिप्त हैं अगर उनके खिलाफ ज्यादा केसिज हो गए हैं तो वे कहेंगे कि लोग और ज्यादा इसमें शामिल हो गए। हम इस बात से भी मना नहीं कर सकते है। परंतु वास्तविकता यह है कि जो केसिज का नंबर बढ़ रहा है वह इस वजह से बढ़ रहा है कि हमने सख्त कार्रवाई की है। उन्हें खुला नहीं छोड़ा । जो सीज करने की बात थी उन्हें हमने सीज किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी हमारे माननीय सदस्यों ने इस संबंध में अपनी बात कह दी है परंतु मैं जो कहना चाहता हूं कि इसमें हमने जो निर्णय लिए हैं उसमें हमने एक अभियान के माध्यम से इसकी शुरूआत की है। अभी 5 तारीख को हमने बद्दी से शुरूआत की है। जिसमें लगभग 8 हजार से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। स्कूल के बच्चे, अध्यापक और उनके माता-पिता व स्थानीय लोग भी उसमें शामिल हुए। वहां से हमने शरूआत की है । हमने एक नारा दिया है "नशे को कहें न, जीवन को कहें हां" इसके साथ हमने शुरूआत की है। मैं देख रहा हूं कि उसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। वह अभियान ऐसा अभियान है जो चलता रहेगा। इस कार्यक्रम को हम रोकेगें नहीं। हमने तय किया है कि आने वाले समय में

12/12/2018/1550/RG/DC/1

जिसका जिक्र यहां माननीय सदस्य कर रहे थे कि 'नशा नुकसानदायक है।' इसके प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए हमें कार्यक्रम बनाने होंगे, चाहे हम छोटे-छोटे नुक्कड़, नाटक बनाएं। श्री राकेश पठानिया जी ने ठीक कहा और मैं इस मसले को लेकर इनकी बात से सहमत हूं। क्योंकि पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने एक बहुत छोटी सी लघु

नाटिका तैयार की था और एक स्क्रिप्ट बनाकर उसको प्ले किया था जो बहुत ही सटीक और अच्छा रहा। ऐसा लगता है कि वे लोग एक बहुत ही प्रोफैनल आर्टिस्ट्स हैं और अपनी बात सीधे लोगों तक पहुंचाकर उनको समझा सकते हैं। इसी तरह से हम चाह रहे हैं कि जो हमारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा भी ऐसा किया जाए। इसके अतिरिक्त हम और भी गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से भी ऐसा ही चाह रहे हैं कि इसको अध्ययन के रूप में लिया जाए और वे इसमें आगे आएं। पूरे हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की टोलियां बनाकर हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं चाहे वह तकनीकी शिक्षण संस्थाएं या दूसरे प्रोफेशनल ऐजुकेशन इन्स्टीटियुशन्ज हैं, उन सबमें इस प्रकार की टीमें जाएं।

माननीय अध्यक्ष जी, हम इसको यहीं तक सीमित नहीं करना चाह रहे हैं। बल्कि इससे आगे बढ़कर हमने यह भी सोचा है कि आने वाले समय में इसके ऊपर एक लिटरेचर बनाकर उसको गांवों में बांटा जाए और उसको एक अध्ययन के रूप में लोगों को समझाने के लिए काम करें। इसके साथ-साथ हमारा मंत्रि-मण्डल और विधायकगण तो इसमें काम करेंगे-ही-करेंगे, वे जाएंगे ही। लेकिन इनके साथ और भी जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, वे भी इसका हिस्सा बनें। उनको भी साथ लेकर हम किस प्रकार से कार्यक्रम कर सकते हैं और यहां तक कि राज्यपाल महोदय जी ने भी कहा कि मैं भी जितना समय इसके लिए दे सकता हूं, दूंगा और मैं भी एक अध्ययन के रूप में इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहता हूं, मैं भी चलना चाहता हूं। तो इस प्रकार से वे भी साथ में रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा हमने यह भी तय किया है कि कुछ जगह जो स्कूल कैम्प्ज हैं उनमें जो हमारे जुडिशियरी से जुड़े हुए लोग हैं और मेरी जुडिशियरी के कुछ लोगों से भी इस बारे में बातचीत हुई है। उसके अनुसार वे कह रहे हैं कि हमको भी इसमें शामिल करिए और कुछ जगह यदि आप तय कर दें कि आप ऐसे-ऐसे स्थानों पर जाएं, तो हम भी जाना चाहते हैं। **हम एक कार्यक्रम बनाएंगे और लोगों के बीच में जाएंगे और उन लोगों को समझाने का काम करेंगे। विशेषकर स्कूलों में जाकर बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे।** अभी तक हमने देखा कि जो स्कूल के बच्चों का हमारा पाठ्यक्रम है, उसमें नशे का अलग से सिलेबस में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हमने

इस बारे में माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात की है कि आने वाले समय में इस बात को हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि पाठ्यक्रम में 'नशा नुकसानदायक है', 'नशा नाश करता है', ड्रग्ज को नो कहने के लिए, यह सब पाठ्यक्रम का हिस्सा बने। इसलिए इसको पाठ्यक्रम में शामिल करना। **यह भी कार्यक्रम का एक हिस्सा है जिसको सोचकर विचार करके निर्णय लेने के बारे में हमने तय किया है।**

माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ बहुत सारी चीजें हैं जो हट करके हैं। अब जैसे हमारे स्कूलों में हैल्थ चैक अप के लिए एक व्यवस्था है। उसमें हमने अलग से व्यवस्था करने के लिए विशेष तौर से कुछ किया कि स्कूल में जब बच्चे रेन्डम हैल्थ चेक अप के लिए जाते हैं तो वहां जब आप बच्चों को देखते हैं, उनको ऐग्जामिन करते हैं जिसको क्लीनिकल ऐग्जामिन कहते हैं, उसमें भी बहुत जगह इस प्रकार की संभावना निकल आती है जहां बच्चे को देखते ही पता चल जाता है कि कोई-न-कोई वजह है जिसके कारण इस बच्चे के स्किन में, आंखों में, उसके चेहरे पर नशे के कुछ प्रभाव आ जाते हैं। हालांकि हम इस बात से सहमत हैं कि अच्छी तो वह स्थिति होती है कि माता-पिता अपने बच्चों पर स्वयं नज़र रखें। अगर उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ रहा है, बच्चा देर से घर आ रहा है, जल्दी जा रहा है, घुर में सुस्त रहता है, अलग-थलग रहता है, माता-पिता के साथ बहुत सारी बातों को सांझा नहीं करता, पहले वह ऐसा करता था लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर रहा है, तो ऐसी चीजों को मुझे लगता है कि यह आवश्यक है कि

12/12/2018/1555/MS/YK/1

परिवार के लोग भी इस बात को समझें कि बच्चे के व्यवहार में कोई परिवर्तन आया है तो कुछ गड़बड़ है। बच्चा किसके साथ कहां जाता है, कब आता है और किसके साथ आता है या देर से आता है तो समझ लेना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। ऐसी परिस्थिति में तुरन्त बच्चे को काउंसलिंग के लिए बिठाना चाहिए और उसे प्यार से पूछना चाहिए कि बेटा आप कहां जाते हो? अगर बच्चा नहीं बताता है तो माता-पिता को पता करने के लिए बाहर भी जाना चाहिए कि उनका बच्चा कहां जाता है। आज के समय में यह बहुत आवश्यक हो गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, एक दिन मैं देर रात को ऑफिस में बैठा था। मुझे एक महिला का फोन आया और वह महिला फोन पर ही रो पड़ी कि बच्चा हमने पढ़ने के लिए भेजा था लेकिन वह बर्बाद हो गया है। हम सोचते थे कि बच्चा पढ़ने के लिए गया है लेकिन बच्चा नशे की गिरफ्त में आ गया है। वह बोली कि मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि मेरे बच्चे का जो होगा, वह होगा लेकिन मैं चाहती हूं कि ये बच्चे जहां पर खेल खेलने के नाम पर इकट्ठा होते हैं बल्कि उन्होंने स्पैसिफिक जिक्र किया कि जहां बच्चे स्नूकर खेलने के लिए जाते हैं वहां पर नशे का यह धन्धा चलता है। उस महिला का बच्चा घर से स्नूकर खेलने के लिए जाता था और स्नूकर खेलने के बाद वह देर से घर आता था। वह बच्चा नशे की हालत में घर आता था और कुछ समय बाद वह बच्चा कम्पलीट इसका एडिक्ट हो गया। मैंने डी0जी0पी0 साहब को भी उनका नम्बर दिया था और उन्होंने भी उस महिला से बात की। यह हकीकत है। उस महिला ने कहा कि मेरे बच्चे का तो जो होगा, वह होगा लेकिन आने वाली पीढ़ी को इससे बचाओ। उन्होंने कहा कि आप ऐसी जगहों पर जाकर रेड कीजिए और देखिए कि वहां पर कौन-कौन बच्चे आते हैं और कौन-कौन लोग इस तरह का धन्धा करते हैं। हालांकि इन सारी चीजों की रोकथाम की हम कोशिश कर रहे हैं और जब कोई ऐसी सूचना मिलती है तो रेड करते भी हैं और इसके कुछ परिणाम भी निकले हैं। हमने देखा है कि इसमें खासतौर से दो कैटेगरीज रहती हैं। एक कैटेगरी वह है जो नशे का सेवन कर रही है और दूसरी कैटेगरी वह है जिसको इससे बहुत पैसा मिलता है। जब पैसा मिलता है तो स्वाभाविक है कि आदमी पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। ऐसे लोगों का मकसद केवल पैसा कमाना होता है। कुछ लोगों का धन्धा यही है और पैसा कमाने के मकसद से ही वे इस काम में लगते हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि जैसे मल्टीपल कम्पनीज के 'बाय टू गैट वन फ्री' ऑफर आते हैं वैसे ही इनके भी ऑफर आते हैं यानी ये भी इसी तरह के ऑफर देते हैं कि हम आपको ये तीन पुड़ियां दे रहे हैं और अगर आपने इनको आगे तीन आदमियों को बेच दिया तो उसके बाद आपकी जो भी जरुरत होगी, वह हम मुफ्त में पूरी करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि यह सारा साइकिल किस तरह का बन गया है? उस आदमी को लगता है कि इनको आगे बेचने से मुझे मुफ्त में नशा मिल जाएगा इसलिए तीन आदमियों को जोड़ने के चक्कर में वह अपने दोस्तों को बोलता है कि इस नशे को करो, इससे इससे कुछ नहीं होता है बल्कि इस नशे को लेने से बहुत ही अच्छी

अनुभूति होती है। तो इस तरह से नशा फैलता है। ये दोनों चीजें इस प्रकार से जुड़ी हैं जिसमें एक तो कन्ज्यूम करने वाला है और एक धन्धा करने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इस पर काफी विचार-विमर्श किया है कि जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका कोई कारोबार दिखता नहीं है लेकिन आय हो रही है, जिनकी बहुमंजिली ईमारतें खड़ी हैं तथा उनके पास बहुत-बहुत बड़ी-बड़ी कारें हैं और वे उन बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आते-जाते हैं लेकिन करते क्या है, यह किसी को पता नहीं है इसलिए यदि ऐसा है तो समझ लेना चाहिए कि वहां पर कुछ गड़बड़ है। ऐसे लोग ऐसे धन्धों से जुड़े हुए हो सकते हैं और पैसा कमा रहे हैं। हमने सोचा है कि ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी को सीज करना चाहिए और मैं आपके बीच में यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ अर्से में हमने एक जिले में, और खासतौर से अगर मैं जिले का नाम भी लूं तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। अगर हम कांगड़ा जिला का ही जिक्र करें तो वहां 4,47,45,132/-रुपये की चल-अचल सम्पत्ति को फ्रीज करने के आदेश दे दिए हैं। इसका कारण यह है कि कुछ लोगों के आय के कोई साधन नहीं हैं लेकिन उन्होंने आलीशान घर बना दिए हैं और जब आय के साधन का मालूम पड़ा तो वे लोग इस तरह के व्यवसाय से जुड़े हुए थे।

12.12.2018/1600/जेके/एचके/।

इसी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता यह है कि इस नशे के सेवन से युवा पीढ़ी को बचाया जाए। प्रश्न पैदा होता है कि जो इस सेवन की गिरफ्त में आ गया उनका क्या करें? उस दृष्टि से अभी तक हम इन सारी चीजों पर बहुत गम्भीरता से विचार नहीं कर पा रहे थे। हमारे यहां कुछेक एन0जी0ओज़0 के माध्यम से रीहेबिलिटेशन सैन्टर और डीअडिक्शन सैन्टर चले हैं लेकिन वे न के बराबर हैं। हम देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में इसके लिए अभी तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। अभी पिछले दिनों कुछ उद्योगपतियों के साथ-साथ हमारी भारत सरकार की जो संस्थाएं, जैसे एस0जे0वी0एन0एल0 और एन0टी0पी0सी0 हैं, इस बारे में हमने उनके अधिकारियों से बात की है। हमने कहा कि यह सामाजिक दायित्व को निर्वहन करने की बात है इसलिए

आप इन सारी चीजों के लिए हमें कॉंट्रिब्यूट करें। हिमाचल प्रदेश में सभी जगह तो सम्भव नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि तीन-चार जगह डीअडिक्शन सैन्टर और रीहेबिलिटेशन सैन्टर हो। हमें बताया गया कि कुल्लू की जेल में कुछ लोग अरैस्ट किए हुए हैं लेकिन नशे की उनको इस कदर आदत हो गई है कि उनको जेल के अन्दर रखना भी मुश्किल हो गया है। उनकी बॉडी में नशे की जो रिक्वायरमैंट महसूस होती है, जिस वक्त उनको वह चाहिए तो उस वक्त वे अपना सिर दीवार के साथ पटक देते हैं। शरीर में पहने हुए कपड़ों को फाड़ रहे हैं। इस तरह की परिस्थितियां आ रही हैं। हमारे पुलिस अधिकारियों को यह मुश्किल हो गई है कि उनको वहां रखा कैसे जाए? डॉक्टर ने सजैस्ट किया है कि ये जिस लैवल की डोज़ लेते थे, उनको अडिक्शन इतना ज्यादा हो गई है कि अगर उनको वह नशे की डोज़ नहीं मिलेगी तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। यह भी हमारे लिए बहुत ही चिन्ता का विषय हो जाता है कि यदि किसी को हमने कस्टडी में रखा है और उसकी वहां पर मृत्यु हो जाए तो हमारे छोटे से प्रदेश के लिए वह बहुत बड़ा विषय बन जाता है। हमारे हिमाचल प्रदेश में छोटी घटना भी बड़ी दिखती है। ऐसी घटना तो और भी बड़ी दिखेगी। अधिकारी हमारे पास कहने लगे कि यह हमारे लिए बहुत ही चिन्ता का विषय है। डॉक्टर ने कहा कि इनकी डोज़ एकदम से मत रोकिए क्योंकि उसको रोकने से कुछ भी हो सकता है। इसको धीरे-धीरे कम करिए इसका यही तरीका है। आप कल्पना करें कि जिसको हमने नशे की आदत की वजह से जेल में डाला और जेल में भी उसकी जान बचाने के लिए हमें उसे नशा देना पड़ रहा है, ऐसी पारिस्थिति हमारे सामने आ रही है। इसलिए यह बहुत ही चिन्ता का विषय है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उन गिरफ्तारियों में हिमाचल के ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी हैं। मैं एक दिन ऊना गया वहां पर हमारा जेल में एक फाऊंडेशन स्टोन का कार्यक्रम था । जब हम वहां पर गए तो हमारे साथियों ने कहा कि जेल में जो कैदी हैं, उनसे भी मिल लो। जब मैं वहां जेल के अन्दर गया तो मैं सबको वहां पर मिला। मैं यह देखकर हैरान हो गया कि जितने भी वहां पर कैदी थे, उनमें से अधिकांश की आयु 25 से

35 या 40 साल थी। 40 साल की आयु से ऊपर मुझे सिर्फ दो-चार आदमी ही दिखे। जब मैंने उनसे पूछा, मेरे साथ वीरेन्द्र कंवर जी भी थे, उन सबको ड्रग के मैटर पर ही अन्दर किया गया है। मैंने दूर से एक आदमी को देखा और उसकी शक्ल से लग रहा था कि यह भारतीय नहीं है। वह बिल्कुल काला था। उसके बाल भी घुंघराले टाइप के थे। मैंने उससे पूछा तो पता लगा कि वह नाइजीरिया का है। मैंने उससे पूछा कि आप यहां कैसे आए ? उसने हसंते हुए कहा चिट्टा। उसको और कुछ समझ आए या न आए लेकिन उसको चिट्टा अच्छी तरह से पता है। इसके कारण वह भी जेल के अन्दर है और ऐसे और भी पकड़े गए हैं।

12.12.2018/1605/SS-HK/1

क्योंकि यह कनैक्शन एक या दो जगह से नहीं बल्कि बहुत लम्बा कनैक्शन निकलता है। उस दृष्टि से, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारे विषय जो करने के हैं, उनको करने के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में हमने दो चीज़ों पर अपने अभियान को एक दिशा देने का निर्णय किया है। एक तो अभियान जागरुक करने की दृष्टि से चलाना होगा। इसमें मैं सबका सहयोग चाहता हूं। जितने भी विधायक हैं, जितने भी हम चुने हुए जन-प्रतिनिधि हैं, वे जहां भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाएं, पांच मिनट के लिए नशे के बारे में अपनी बात ज़रूर कहें। मुझे लगता है कि यह हमारी बातचीत का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि लोग आपकी बात को सुनते हैं। वे सुनने के साथ उसको माने या न माने, लेकिन कहने का दायित्व तो हमको निभाना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सारी एन0जी0ओ0 संस्थाएं हैं, उसके साथ-साथ मीडिया सर्कल से भी हमारे साथी हैं, उनकी संस्थाएं हैं और बहुत सारे प्रिंट मीडिया के हाउसिज़ हैं वे भी इस कम्पेन में सहयोग देने की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे शिमला, कुल्लू या मंडी में कार्यक्रम हो रहे हैं, वे सब जगह अपनी क्षमता के मुताबिक बहुत अच्छे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सोशल मीडिया और उसके साथ-साथ में प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया से भी जहां सम्भव हो पा रहा है, वे नशे

के खिलाफ एक अभियान का हिस्सा बन कर सहयोग दे रहे हैं। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें कह रहा था। एक हिस्सा, जो हमने कहा कि समाज को जागरुक करने की दृष्टि से एक अभियान के रूप में लेना चाहिए, चाहे वह साक्षरता का अभियान रहा, चाहे वह पोलियो के खिलाफ अभियान रहा, चाहे वह हमारा स्वच्छता का अभियान रहा, इसी अभियान के तौर पर हमको नशे के खिलाफ अभियान चलाना पड़ेगा। एक तो हमको यह करने की आवश्यकता है, उसके लिए हम योजना बना रहे हैं। उसके लिए जो हमारा बद्दी का कार्यक्रम हुआ है उसमें एक तरह की शुरूआत हुई है। आने वाले समय में इसको और ज्यादा इंटैंसीफाई करके आगे बढ़ाने के लिए हम लोग उसका हिस्सा बनकर काम करेंगे। खासतौर से जहां हमारी नई जनरेशन पढ़ती है चाहे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफैशनल कॉलेज या हमारे अकेडमिक कॉलेजिज़ हैं वहां पर जा करके इन सारी बातों को कहना है। मुझे आवश्यक लग रहा है कि हमको यह शुरूआत अब थोड़ी नीचे से करनी पड़ेगी क्योंकि ज्यादा टारगेट क्या हो रहा है, खासतौर से जो बच्चे 9th, 10th ऐज़ ग्रुप में आते हैं जोकि इस स्थिति में नहीं होते कि इस चीज़ का लाभ होगा या नुकसान होगा, वे भावना में बहकर ऐसे कदम उठा लेते हैं तो हमको उन पर फोकस करना पड़ेगा। इसलिए स्कूल को भी इसका हिस्सा बनाना पड़ेगा। स्कूल के सिलेबस में तो हम इसको डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्कूल भी हमारे अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। उसके साथ-साथ जो मैंने माध्यम बताए, चाहे वह पब्लिक रिलेशन डिपार्टमैंट है, चाहे एन0जी0ओज़0 हैं या दूसरी जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से हम पुलिस विभाग के सहयोग से जागरुकता अभियान चलायेंगे। खास तौर से जो हमारे नाट्य दल हैं उनके माध्यम से भी हम इस जागरुकता अभियान को आगे बढ़ायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा पक्ष, जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा कि हम विवश होकर कानून को मजबूत करने की दृष्टि से कदम उठा रहे हैं। ये दो चीज़ें हैं। मुझे

लगता है कि एक संदेश व शुरूआत करने की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण था, वह हम कर रहे हैं। जब कानून में प्रावधान इन सब चीज़ों का होगा तो मुझे लगता है कि उसका एक मनोवैज्ञानिक इम्पैक्ट निश्चित रूप से आयेगा। जब मनोवैज्ञानिक इम्पैक्ट आयेगा तो अच्छा प्रभाव होगा। पहले आदमी को लगता था कि मैं थोड़ी-सी मादक पदार्थ की मात्रा लेकर चलूंगा, अगर पकड़ा भी गया तो मेरी जमानत हो जायेगी। तो इस बात को उसके दिमाग से निकालने के लिए कि अब अगर तूं थोड़ी या ज्यादा मात्रा भी मादक पदार्थ की ले जायेगा तो जमानत होने वाली नहीं है। सज़ा होगी, जेल के अंदर जाना पड़ेगा। यह संदेश हमको विवश होकर देना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में इस विधान सभा के सत्र में इस कानून को पारित करने के बाद इस चीज़ को और ज्यादा सफलतापूर्वक कर पायेंगे और हम आने वाले समय में इस नशे की प्रवृत्ति को रोकने की स्थिति में हो पायेंगे।

12.12.2018/1610/केएस/वाईके/1

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सी और भी बातें हैं जिनका जिक्र करने की मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती। विभाग की ओर से मेरे पास फैक्ट्स के साथ बहुत लम्बा उत्तर आया है । एक बात कही गई है कि हमारे बॉर्डर एरियाज़ में और ज्यादा पुलिस फोर्स को स्ट्रैंथन करने की आवश्यकता है और इसके साथ-साथ हमारी वहां पर इन्फोर्मेशन शेयरिंग बॉर्डर स्टेट्स के साथ भी हो तो उसको सुनिश्चित करने के लिए हम और भी कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां इन्फोर्मेशन मिलती है, जहां आवश्यक होगा, वहां ज्वाइंट ऑप्रेशन दोनों स्टेट्स की ओर से मिलकर करने की सम्भावना है जिसके परिणाम बहुत अच्छे रहेंगें और जब उन लोगों को यह लगेगा कि मैं अगर हिमाचल में जाऊंगा तो वहां भी पकड़ा जाऊंगा, पंजाब जाऊंगा तो वहां भी पकड़ा जाऊंगा और उत्तराखंड जाऊंगा तो वहां भी पकड़ा जाऊंगा तो वह भी एक साइकलोजिकल इफैक्ट छोड़ने वाला है। जिसके परिणाम सार्थक होने की उम्मीद है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस माननीय सदन में चर्चा लाई गई, मैं समझता हूं कि यह बहुत सार्थक चर्चा है और हम कोशिश कर रहे हैं । मैं यह व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं, सभी की प्राथमिकताएं अलग-अलग रहती है लेकिन मैंने इस विषय को व्यक्तिगत रूप से बहुत ही गम्भीरता से लिया है। मैं लगातार इस कार्य में लगा हूं और मेरी इच्छा है कि हिमाचल को जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, इसकी पहचान और शान कायम रहे। यहां के लोग भी देवतूल्य हैं, नशे से दूर हैं। इस दृष्टि से हम सभी मिलकर यह काम करने की कोशिश करेंगें। इसमें सभी का सहयोग जिस भी रूप में मिल सकता है, मैं अपेक्षा करता हूं कि वह हमें मिलेगा और मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव इस माननीय सदन में दिए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस विषय पर विस्तार से चर्चा होने दी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

अध्यक्षः मुझे सदन के सामने यह रखना है कि आज जैसा कि आपके फोल्डर्ज़ में डाला गया था, निर्वासित तिब्बतियन संसद की ओर से सभी माननीय सदस्यों के लिए उनके सम्मान में चाय-पान का आयोजन यहीं विधान सभा परिसर में किया गया है। 4.00 बजे का समय उसके लिए तय है और वे लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी हमारे पास नियम-130 के अंतर्गत एक विषय होशयार सिंह जी का है । सदन यदि अपना विषय समाप्त करने के बाद जल-पान के लिए जाना चाहे तो 15 मिनट में होशयार सिंह जी अपनी बात कह सकते हैं और उसका उत्तर आ सकता है और उसके बाद जलपान के लिए हम लोग चल सकते हैं या पूर्व में जलपान के लिए जाएं तो हमें दोबारा असैम्बल होना पड़ेगा।

सदन की ऐसी इच्छा है कि हम नियम-130 के अंतर्गत माननीय होशयार सिंह जी ने जो विषय रखना है उसको संक्षेप में रखें और माननीय मुख्य मंत्री जी उसका उत्तर दें । तत्पश्चात हम सभी लोग तिब्बतियन निर्वासित सरकार की ओर से माननीय सदस्यों के

सम्मान में दिए जाने वाले चायपान के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब श्री होशयार सिंह जी नियम-130 के अंतर्गत अपना विषय रखेंगें।

Shri Hoshyar Singh (Dehra): Hon'ble Speaker, Sir, thank you for giving me the opportunity to keep my views under Rule 130 regarding High Court decision on Pong Dam oustees resettlement. Sir, I would like to put in your notice that on 10th December High Court gave a direction for the meeting between Chief Secretaries of both the States to make a policy decision with regard to the purchase of land in any district in the State of Himachal Pradesh at the cost of State of Rajasthan. The meeting is to be held within one month and the status report should be placed accordingly. तो इस सन्दर्भ में मैं अपना पक्ष इस सदन में रखना चाहूंगा ।

12.12.2018/1615/av/YK/1

क्योंकि मैं खुद एक पौंग डैम ऑस्टी हूं। मुझे इस पीड़ा का पता है कि पौंग डैम ऑस्टी इस वक्त किस हालात में है, किस स्थिति में है। वर्ष 1965 में पौंग डैम के लिए लैंड एक्विजिशन का प्रोसैस शुरू हुआ था। वर्ष 1972 में हमें राजस्थान में जमीन देने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हमारा दुर्भाग्य यह रहा कि हमें पुनर्वास से पहले ही उजाड़ दिया गया। As per the law of Land Acquisition Act 1894. पहले पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए थी लेकिन इसका उलटा हुआ। हुआ यह कि हमें उखाड़ कर डैम बना दिया गया और आज दिन तक हम कभी राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर या फिर शिमला के हाई कोर्ट में भटक रहे हैं। मैं तीसरी पीढ़ी का हूं और मेरी दो पीढ़ी समाप्त हो चुकी है लेकिन आज दिन तक

इन्साफ नहीं मिला। इसलिए मैंने इसका नाम 'हिरोशिमा ऑफ हिमाचल प्रदेश' रखा। जापान में जब हिरोशिमा पर बम गिरा तो पांच मिनट में 70,000 लोगों की मृत्यु हो गई। इसी तरह वर्ष 1972 में जब पौंग डैम बना तो 2.50 लाख लोगों को उजाड़ दिया गया। यह हमारे हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति है और आज दिन तक हम पिल्लर-टू-पोस्ट भटक रहे हैं मगर कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर और शिमला हाई कोर्ट में हजारों केस चले हुए हैं। लेकिन अभी तक कोई इन्साफ या निर्णय नहीं हुआ। जिन डैम ऑस्टीज को मुरब्बे या जमीन दी गई वह पाकिस्तान बोर्डर पर दी गई जिसमें से आधी जमीन पाकिस्तान में और आधी जमीन हिन्दुस्तान में पड़ती है। हमारे हिमाचलियों को ऐसे-ऐसे स्थानों पर फेंक दिया गया जहां पर पानी, बिजली, रोड, अस्पताल, स्कूल और कालेज इत्यादि की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा कानून बनाया गया कि जिन लोगों को जमीन दी गई वे खुद हल चलायेंगे। उनके घर वाले भी हल नहीं चलायेंगे और न ही वे नौकर रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब राजस्थान सरकार वहां जायेगी और वह शख्स वहां पर नहीं मिला तो उसके मुरब्बे कैंसिल कर दिए जायेंगे। इस तरह से 90 प्रतिशत मुरब्बे कैंसिल हो गये क्योंकि वे तब जाते थे जब कोई हिमाचली बाजार में सब्जी या दवाई लेने गया होता था। उस वक्त उन्होंने वहां जाना और देखना कि हिमाचली इस वक्त अपने मुरब्बे में उपस्थित नहीं है तथा वहीं मुरब्बे को कैंसिल करने का नोटिस लगा देते। एक रूल 6(A) बनाया गया और हिमाचल प्रदेश को कहा गया कि इसे आप स्वीकार कीजिए। इस रूल में यह है कि राजस्थान सरकार उनके लोगों को मालिकाना हक दे सकती है यानी ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन इस रूल को वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश कर दिया और आदेश दे दिया कि 1188 मुरब्बे जो राजस्थानियों के कब्जे में हैं वे हिमाचलियों को अलॉट किए जाएं मगर वे आज दिन तक नहीं हुए। It's a clear case of 'contempt of Court'. लेकिन किसी भी हिमाचल सरकार या उसके अधिकारी ने इस पर गौर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया, उस कमेटी को बने आज 24 साल हो चुके हैं। वह कमेटी हर साल केवल एक

मीटिंग करती है और दो साल के बाद उसमें अधिकारी बदल जाता है तथा नया अधिकारी आ जाता है। हाई पावर्ड कमेटी में लिखा गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, सचिव (राजस्व) और राजस्थान के सचिव (राजस्व) की केंद्र सरकार की वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के सचिव के साथ मीटिंग होगी जो कि इस कमेटी के चेयरमैन है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसमें क्या हुआ क्योंकि इस कमेटी को बने 24 साल हो चुके हैं। इस कमेटी के बनने से 24 साल के बाद क्या परिणाम निकला? मेरे हिसाब से शून्य परिणाम निकला है। हम अपने ही प्रदेश में रिफ्युजी बन गये। हम न राजस्थान के रहें और न हिमाचल के रहें तथा आज हमारा स्टेटस रिफ्युजियों का है। This is the right word, what I can say; what I can declare; and I can proof that we are refugee. राजस्थान में हमारे हिमाचलियों के 45 मर्डर हुए और आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनको पैरों में गोली मारी गई। वे बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, मैं आपके सामने ऐसे लोगों को भी प्रोड्यूस कर सकता हूं। लेकिन हमारे किसी भी अधिकारी ने उनके हाल-चाल पूछने की जरूरत नहीं समझी।

12.12.2018/1620/TCV/YK/1

जो जमीनें हमें अलॉट की गई है उनका आज तक किसी भी चीफ सेक्रेटरी या रेवैन्यु सेक्रेटरी ने दौरा नहीं किया, न ही इन इलाकों की वीडियोग्राफी हुई और न ही उसके रिकॉर्ड लाकर दिखाए गए कि हमें किस हालात में रखा गया है। वहां से जो रिपोर्ट मिली उसी को आगे रख दिया गया। लेकिन किसी भी अधिकारी ने कोशिश नहीं की कि वह फर्स्ट हैंड इनफॉर्मेशन लें और पौंग डैम विस्थापितों का हाल देखते कि हम किस हाल में है। हमारे लिए एक कानून बना था कि 100 और 500 किसानों का कलस्टर बनेगा लेकिन आज तक पौंग डैम विस्थापितों को एक-एक मरब्बे दिए गए और वह भी मुस्लिम डोमिनेटिड एरिया में दिए गए। क्या वे वहां पर जाकर रह सकते हैं? राजस्थान सरकार हर बार कहती है, हिमाचल सरकार जो फिगर देती है कि 5000 या 6000 पौंग बांध विस्थापित है, वह गलत है। मैं जानना चाहता हूं कि यह रिकार्ड हिमाचल प्रदेश के पास है कि हमारे कितने पौंग डैम विस्थापित हैं। फिर राजस्थान इस पर क्यों आपत्ति करता है? क्या वह इसलिए

आपत्ति करता है कि उसको ज़मीन देनी पड़ेगी? लेकिन हिमाचल प्रदेश का कोई अधिकारी इसके लिए लड़ने को तैयार नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमने अपनी ज़मीन इस देश के लिए दी है, इस देश के लिए हिमाचलियों ने कुर्बानियां दी है। आज पंजाब और राजस्थान में जो ग्रीन रेवोल्यूशन कामयाब हुआ है, वह सिर्फ हमारे पौंग डैम विस्थापितों के कारण हुआ है। आज देश में जो हरित क्रांति आई है, वह हम लोगों की कुर्बानियों के कारण आई है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आज बहुत हार्ड डिसीजन लेने की आवश्यकता है। आज समय आ गया है कि जो हमारे डैम विस्थापित हैं, जिनकी संख्या उस व़क्त लगभग 2 लाख थी, आज उनकी संख्या 4-5 लाख हो गई है। ये हिमाचल प्रदेश में 10 निर्वाचन क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ये परागपुर, जस्वां, देहरा, ज्वाली, फतेहपुर, नगरोटा-बगवां, पालमपुर और धर्मशाला इत्यादि में बसे हुए हैं। इनको ध्यान में रखते हुए, सरकार कड़ा रुख अपनाएं और नोटिफिकेशन निकालें कि जो पौंग डैम विस्थापित हैं, उन्हें हिमाचल में बसाया जाएगा। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है कि उन्हें हिमाचल में बसाया जाये, ये तभी संभव है, जब इन डैम का जो पानी का लैवल है उसको 1410 से घटाकर 1000 फुट किया जाए। इससे 7000 के करीब पौंग डैम विस्थापित हमारी ही ज़मीन पर बसाए जा सकते हैं। हमारी सरकार इसे लागू करें। यदि राजस्थान सरकार इन्हें नहीं बसाना चाहती है और न ही हमें 48 साल का एग्रीकल्चर कंप्नसेशन देने को राजी है तो हम क्यों इन्हें पानी दें। हम भी पानी घटा सकते हैं। दूसरा, गंगा नगर में पानी हमारे बांध विस्थापित की ज़मीनों के लिए भेजा जाता था लेकिन जब वहां पर हमारे लोग ही नहीं है तो उन्हें पानी क्यों दिया जाये? आप पानी दो लेकिन उसका लैवल 1000 फुट कीजिए और बाकी ज़मीन बांध विस्थापितों को दी जाये। इसके साथ ही जो 48 सालों से हम कृषि नहीं कर पाए हैं, उस कृषि मुआवज़े लिए भी सरकार केस लड़े ताकि डैम विस्थापितों को मुआवज़ा दिया जा सकें। आज की तारीख में जमींन वैट लैंड हो गई है। जब लैंड डिसप्यूटिड है, तो उसका टाइटल कैसे चैंज होगा। पहले से ही वह जमीन बी0बी0एम0बी0 की है और पर्यटन व वन विभाग कहते हैं कि वह जमीन उनकी है। आखिर यह लैंड है किस की? ये लैंड हमारी है। जब आज तक हमें बसाया नहीं गया तो लैंड का टाइटल चैंज नहीं होना चाहिए था। You cannot change the title again and again every year. अब

इसको वैट लैंड बना दिया गया है। आज हालत यह हो गई है कि डैम का पानी उतरने के बाद जो ये लोग एक फसल लेते थे, आज उनको अरेस्ट किया जा रहा है।

12-12-2018/1625/NS/AG/1

आज उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र देहरा, ज्वाली और नगरोटा सूरियां क्षेत्र में 14-15 एफ0आई0आर्ज़0 लोज हो रही हैं। मैं आज सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कुर्बानियां दीं, अपनी जमीन दी आज आप उन्हीं को गिरफ्तार कर रहे हैं। I request the Government to immediately pass a notification and to stop the arrest of our people who are being arrested by this Forest Departemnt. मेरा ऐसा मानना है कि इस पर शीघ्रातिशीघ्र रोक लगाई जाए और हमारे लोगों पर कोई एफ0आई0आर0 लोज नहीं होनी चाहिए।

मैं आज मुख्य मंत्री जी की सराहना करता हूं कि इन्होंने जो कदम उठाए हैं और माननीय नितिन गडकरी जी को पत्र लिखा और कहा कि यह मामला कम्पनसेशन से हल किया जा सकता है तथा इसके लिए केंद्र की इंटरवैन्शन की बहुत आवश्यकता है। I will appreciate the Hon'ble Chief Minister efforts and request him to allow our farmers to cultivate the land. जब तक पौंग बांध विस्थापितों की सैटलमैंट नहीं हो जाती है, तब तक हमारे किसान जो वहां पर एक फसल लेते हैं, उनके लिए कोई रोक-टोक न हो। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इसके लिए गुज़ारिश करता हूं कि हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और वहां पर वन्य प्राणी विभाग को निर्देश दें कि हमारे लोगों को गिरफ्तार न करें तथा न ही उन पर कोई एफ0आई0आर0 लोज करें। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। आपकी सरकार आने के बाद इस विषय पर आपने जो कदम उठाए हैं, वे सराहनीय हैं और उम्मीद करता हूं कि आप इस पर जरूर गौर करें और निर्णय लें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः तीन-चार सदस्यों ने बोलने के लिए कहा था, जिस तरह से पूर्व में माननीय अध्यक्ष जी ने आग्रह किया, समय की कमी को देखते हुए मुझे लगता है यदि माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर दें तो सही रहेगा। यहां पर और भी सदस्य हैं, सभी कहेंगे कि मेरा भी आग्रह था। माननीय मुख्य मंत्री जी आप अपना उत्तर दें।

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को माननीय होशयार सिंह जी की भावनाओं में समाहित करता हूं और इसके लिए उनसे क्षमा चाहूंगा। क्योंकि यह विषय सचमुच में भावनाओं से जुड़ा हुआ है। यह हकीकत है कि जमीन हमारी, पानी हमारा, आबाद कोई हुआ और बर्बाद हम हुए। इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय सदस्य ने यहां पर हिरोशिमा और नागासाकी का ज़िक्र किया तो ये शहर पल भर में ही बर्बाद हो गए। लेकिन यहां पर बर्बादी का आलम कई पीढ़ियों तक चल रहा है, जिसको देख रहे हैं और सह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थिति में मुझे बहुत लम्बी बात नहीं कहनी है। इस सारे मामले को ले करके जब से हमारी सरकार बनी है, हमने अलग-अलग स्तर पर प्रयत्न किए हैं। इस सारे मामले को ले करके पहले गंभीरता से विषय नहीं रखा गया था। राजस्व मंत्री के नाते ठाकुर गुलाब सिंह जी भी वहां गए थे और राजस्व मंत्री के नाते डॉ0 राजन सुशांत जी भी गए थे। लेकिन अधिकारियों के स्तर पर बहुत ज्यादा गंभीरता से इस विषय को ले करके बैठ करके बात करने के प्रयास नहीं किए गए थे। इस मामले को ले करके पहले बहुत जूनियर स्तर के अधिकारी जाते रहे हैं। लेकिन हमने इस विषय को समझा और उनकी पीढ़ा को समझा तथा हमने अपने अधिकारियों को कहा। इसलिए हमारे मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) दोनों अपने समकक्ष के अधिकारियों के साथ राजस्थान के अधिकारियों के साथ बातचीत भी कर चुके हैं। मैं आपको यह छोटा-सा प्रयत्न दस महीने के कार्यकाल का बता रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी व्यक्तिगत रूप से

12.12.2018/1630/RKS/DC-1

जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार थी, उनके राजस्व मंत्री के साथ भी बड़े विस्तार से मेरी बातचीत हुई है। मेरी दो-तीन बार राजस्थान की मुख्य मंत्री के साथ भी व्यक्तिगत तौर पर बातचीत हुई है। इस संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश पारित हैं

और जिन्हें मानने के लिए हम बाध्य हैं। उन्हें भी इस बात का एहसास है लेकिन वहां की राजनीतिक परिस्थितयां क्या है, यह देखने की बात है। जब मैं और राजस्थान की मुख्य मंत्री चर्चा कर रही थी, भले ही वह हमारी ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी लेकिन जब हम चीफ मिनिस्टर कौंसिल की मीटिंग में इक्ट्ठा होते हैं तो अपने-अपने प्रदेशों के मसलों को लेकर थोड़ा समय निकाल लेते हैं। जब उनसे बातचीत हुई तो वे सारी बातों को मानने के लिए तैयार थी। लेकिन जब 6 (A) की बात आई तो वे 6 (A) में मानने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 6(A) का कोई रैलिवैंस नहीं है और इस बात की जानकारी उन्हें भी है। हमने उनसे कहा कि जब कोर्ट की रूलिंग आ गई तो 6 (A) का जिक्र क्यों किया जा रहा है? उनका कहना था कि कोर्ट से जो भी रूलिंग हो लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप इस बात को मानें। उनके हिसाब से उनको 6 (A) सूट करता है लेकिन जब इसका जिक्र किया जाता है तो यह हमें सूट नहीं करता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी बीच चुनाव का दौर आ गया और हमारे मिलने का कार्यक्रम संभव नहीं हो पाया। हम इस बात से सहमत है कि जो हमारा क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ था वह जलमग्न हो गया और लोग घर से बेघर हो गए। उन लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पाई और उस राहत के लिए वे आज भी निवेदन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखकर हमें काफी पीड़ा होती है। जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव किया है मैं उससे सहमत हूं और जो दो-तीन चीजों को लेकर विभाग ने इसका उत्तर बनाया है उसकी वस्तुस्थिति इस प्रकार हैः-

पौंग बांध निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण अधिनियम , 1894 के अंतर्गत वर्ष 1961 में पौंग बांध जलाशय के लिए भूमि अधिग्रहण की गई थी। पौंग बांध जलाशय के निर्माण का कार्य 1961 से शुरू होकर वर्ष 1971 में पूर्ण हुआ। पौंग बांध जलाशय के लिए 75,268 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था व तहसील देहरा एवं नूरपुर में कुल 339 गांवों में से 226 गांव पूर्ण रूप से व 113 गांव आंशिक रूप से अधिग्रहित किए गए। पौंग बांध के निर्माण में कुल 20,722 परिवार प्रभावित हुए जिनमें 16,352 परिवार ही राजस्थान में भूमि आबंटन के पात्र पाए गए। 16,352 पौंग बांध विस्थापितों में से 15,124 पौंग बांध विस्थापित को पात्रता

प्रमाण पत्र जारी किए गए थे व 1228 पौंग बांध विस्थापितों ने आवेदन नहीं दिया था। माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के निर्णय अनुसार अब तक 353 पौंग बांध विस्थापितों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करके फाइल आबंटन हेतु राजस्थान सरकार को प्रेषित कर दी गई है। अतः आज तक कुल 15,477 पात्रता प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं। राजस्थान सरकार द्वारा आज तक कुल 12,027 पौंग बांध विस्थापितों को भूमि आबंटन की गई, जिनमें से 1188 मुरब्बे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार

12.12.2018/1635/बी.एस./DC./-1

व लगभग 2830 मुरब्बे कब्जा न करने व किश्ते न भरने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा रद्द कर दिए गए थे। उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा समय के रिकॉर्ड के अनुसार 8009 पौंग बांध विस्थापित ही राजस्थान में मुरब्बों पर काबिज हैं। आज तक राजस्थान में आवंटन हेतु लगभग 2180 फाइलें लंबित हैं, अभी यह बहुत नम्बर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में श्री अश्वनी कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया दायर याचिका संख्या 439/92 दिनांक 26.7.1996 की पालना में माननीय न्यायालय के आदेशनुसार सचिव, भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। जिसमें हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान सरकार के राजस्व सचिवों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है तथा आज तक इस समिति की 24 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

जैसलमेर, राजस्थान में हुई 23वीं बैठक में अध्यक्ष, उच्च स्तरीय समिति द्वारा तहसील रामगढ़ के चक गमलेवाला, हंसुवाला तथा लोंगेवाला के लगभग 613 मुरब्बे रद्द कर दिए हैं और 36 मुरब्बे कब्जा न होने के कारण खारिज कर दिए गए थे व 336 मुरब्बे तब्दीली हेतु बताया है। 24वीं बैठक में राजस्थान सरकार द्वारा यह आग्रह किया गया कि उपायुक्त राहत एवं पुनर्वास कार्यालय राजा-का तालाब से दिनांक 3.7.2018 को दोनों राज्यों के

मुख्य सचिवों के मध्य जयपुर में सम्पन्न हुई बैठक की अनुपालना अनुसार 16352 प्रभावित परिवारों का कम्पयुटराईज्ड ब्यौरा उपलब्ध करवाने बारे चर्चा हुई थी, जिसका कार्य प्रगति पर है तथा दिनांक 31.01.2019 तक उपरोक्त (16352 परिवारों) कुल 339 गांवों का कार्य पूर्ण करके राजस्थान सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा। अभी तक लगभग 30 गांवों का कार्य पूर्ण हो चुका है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में पौंग बांध विस्थापितों द्वारा दायर याचिकाओं के निर्णय की अनुपालना में आज तक कुल 815 आवेदन उपायुक्त, राहत एवं पुनर्वास के कार्यालय में प्राप्त हुए, जिनमें से 757 अभ्यावेदन सिफारिश सहित राजस्थान सरकार को भेजे जा चुके है तथा उनके स्तर पर आबंटन हेतु लम्बित है। माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश ने पौंग बांध विस्थापितों द्वारा दायर की गई याचिका CWP No. 2414 of 2018 titled as Baldev Kumar Vs State of HP a/w CWPs No, 2415 to 2418 of 2018 की सुनवाई के दौरान दिनांक 3.10.2018 को निम्नलिखत आदेश परित किए हैः-

"The matter involves the claim of Pong Dam oustees for their rehabilitation and/or compensation in lieu of their land which has utilized for the construction of Pong Dam. State of Rajasthan, being one of the direct beneficiaries, is also under an obligation to rehabilitate the Pong Dam oustees, who are otherwise residents of the State of Himachal Pradesh, by allocating suitable land to them. For an agriculturist/villager of State of Himachal Pradesh, *prima facie*, it is difficult, if not impossible, to settle down in a remote area of District Jaislmer or Bikaner(Rajasthan) where the alternative land is being offered under the Rehabilitation Scheme. The appropriate recourse, which this Court is inclined to suggest, would be that the Government of Himachal Pradesh can identify the land within the State of Himachal Pradesh which can be acquired/purchased at the expenses of the State of Rajasthan to rehabilitate the Pong Dam oustees like the petitioner(s).

12/12/2018/1640/RG/HK/1

यह आगे इसमें उन्होंने कहा है :

"We are informed that Chief Secretaries of both the States are scheduled to meet on 2nd November, 2018. While this Court would refrain from formulating a policy decision and /or to command the authorities to act in a particular manner, the recourse suggested herein above does require thoughtful consideration at the hands of the authorities to achieve the outcome of their policy decision towards rehabilitation of Pong Dam oustees. Let a copy of this order be given to the learned counsel for State of Himachal Pradesh and Rajasthan for onward transmission for consideration of their respective authorities.

Post on 10th December, 2018 for further consideration. *Copy dasti*."

ये कोर्ट ने आदेश दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 17.11.2018 को राजस्थान सरकार के साथ हिमाचल के पौंग बांध विस्थापितों को भूमि दिलाने हेत भूमि अधिग्रहण/खरीदने पर आने वाले खर्चे के वहन हेतु पत्र-व्यवहार किया गया तथा उपायुक्त, जिला कांगड़ा को भी पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास के बारे में भूमि का चयन करने के लिए दिनांक 21.11.2018 को पत्राचार किया गया है **तथा उपायुक्त(राहत एवं पुनर्वास), राजा का तालाब, तहसील फतेहपुर को पौंग बांध विस्थापितों का पूर्ण ब्योरा यथासमय जिलाधीश, कांगड़ा को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।**

चूंकि अधिग्रहण/खरीदी जाने वाली भूमि का खर्चा राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाना है, अतः मामले में पहले उनकी सहमति जरूरी है, तत्पश्चात ही पौंग बांध विस्थापितों की संख्या के आधार पर ही हिमाचल प्रदेश में भूमि चिन्हित की जा सकेगी। **इस हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान सरकार के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार अर्धशासकीय पत्र संख्या रैव(पी.सी.)ई(6)-98-2018, दिनांक**

17.11.2018 द्वारा मामला उठाया गया है। मैं ज्यादा संक्षेप में नहीं जाना चाहता हूं। उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश, शिमला ने दिनांक 10.12.2018 को CWP No. 2414 of 2018 a/w CWP Nos.2415 to 2420,2490,2491,2506,2507,2537, 2549,2625, 2662 & 2833 of 2018,COPC No.193 of 2017 & Ex.Pet.Nos.05 and 25 of 2017, ये सारे सी.डब्लू.पी. के नम्बर्ज हैं। इनकी सुनवाई करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किए हैं :-

"Learned Additional Advocate General, of the basis of written instructions received from the Additional Chief Secretary-cum-Financial Commissioner (Revenue) Government of Himachal Pradesh, seeks a longer adjournment for at least three months, as according to him, the matter has been taken up with the State of Rajasthan to bear the cost of the land to be acquired/purchased within State of Himachal Pradesh. While we have no difficulty in adjourning the case, it appears to us that the matter needs to be taken up at the highest level between the States of Himachal Pradesh and Rajasthan.

Let therefore a meeting be held between the Chief Secretaries of States of Himachal Pradesh and Rajasthan and if need be, a further meeting be held between the highest Executive Authorities of the respective States, to take a conscious Policy decision with regard to purchase of land in any District in the State of Himachal Pradesh at the cost of State of Rajasthan. The meeting(s) shall be held within one month and a status report in this regard shall be placed on record.

Post the matter for further consideration on 10th January, 2019.

यह मैंने सारी डिटेल मुझे लगता है कि विस्तार से जो आपको लिखित रूप से देनी है, उसमें सिर्फ यह है कि जो बताया है, वह मैं पढ़कर सुना देता हूं।

श्री होशयार सिंह : इसकी कॉपी दे दें।

मुख्य मंत्री : कॉपी आपको दे देंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि समय की कमी है। आपने कहा कि आपको जाना है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहना चाहता हूं कि यह सचमुच में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हम भी इसका समाधान चाहते हैं। इस दृष्टि से मुझे सिर्फ **यही कहना है कि इसमें दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक की व्यवस्था अतिशीघ्र सुनिश्चित की जाएगी।** मैं मानता हूं कि इस वक्त थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टि से जब तक वहां चीजें स्थापित या व्यवस्थित नहीं हो जातीं, तब तक थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन उसके बावजूद सरकार बदलने का अभिप्राय यह नहीं है कि हम अपने काम में पीछे रहेंगे। हम सारे विषयों को लेकर गंभीरता से अपना पक्ष वहां रखेंगे और हिमाचल के लोगों की बरबादी नहीं होने देंगे। इस बात को सुनिश्चित करेंगे और उनके हितों के लिए जो लड़ाई लड़ने की आवश्यकता जिस रूप में होगी, लड़ेंगे। कानूनी तौर पर तो हमने उसमें काफी सफलता भी हासिल की है, लेकिन उसके बावजूद भी कानून को स्वीकार करना, कानून को मानना, यह उनका दायित्व बनता था। अभी तक जिस सारी चीज को लेकर उनका सहयोग जिस रूप में अपेक्षित था, वह नहीं मिल पाया। आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि वह सहयोग हमें मिलेगा और जब सहयोग मिलेगा, तो निश्चित रूप से इस समस्या के समधान के लिए हम सफल हो पाएंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

12/12/2018/1645/MS/YK/1

श्री राकेश पठानिया : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हुई कि नियम-130 के अन्तर्गत कोई बहस ही नहीं हुई, यह क्या बात हुई? मेरे चुनाव क्षेत्र में 22000 लोग प्रभावित हैं। हम यहां अपनी बात रखना चाहते हैं क्योंकि 60 परसेंट लोग मेरे चुनाव क्षेत्र के वर्षों से इससे पीड़ित हैं और इसके कारण 50 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। हमारे वहां क्या हालत है इसका हमें पता है, हमसे पूछिए और उपाध्यक्ष महोदय रूलिंग दे रहे हैं कि समय की कमी है। फिर नियम-130 के अंतर्गत मुद्दा लगाने का क्या फायदा है?

अध्यक्षः इसमें स्पष्टीकरण का प्रावधान नहीं है। अगले सत्र में फिर दुबारा इस पर चर्चा हो सकती है।

अभी हम सब लोग माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ वाले कक्ष में निर्वासित तिब्बतियन सरकार के जलपान कार्यक्रम में आमंत्रित हैं।

अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 के 11.00 बजे (पूर्वाह्न) तक स्थगित की जाती है।

धर्मशाला-176215 **यशपाल शर्मा,**
दिनांकः 12 दिसम्बर, 2018 **सचिव।**